नेपालक संविधान

संसोधन	राजपत्रम प्रकाशित
नेपालक संविधान पहिला संसोधन २०७२	२०७२।०६।०३ २०७२।११।१६

प्रस्तावना

हम्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;

नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता ओ स्वाभिमानहन अक्षुण्ण ढर्टी जनतनक सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता ओ स्वशासनक अधिकारहन आत्मसात् कर्टी;

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र ओ अग्रगामी परिवर्तनक लाग नेपाली जनताहुँक कैयो फ्यारा कर्टी अइलक ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग ओ बलिदानक गौरवपूर्ण इतिहासहन सम्झटी एवं शहीदहुंकन्हँक तथा बेपत्ता ओ पीडित नागरिकहुंकन सम्मान कर्टी;

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत ओ एकात्मक राज्यव्यवस्था सृजना कर्लक सक्कु प्रकारक विभेद ओ उत्पीडनक अन्त्य कर्टी;

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक मेह्रमेरीक विशेषताहन आत्मसात् कैख विविधतावीचक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता ओ सद्भावहन संरक्षण ओ बढ्दैटी; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद ओ सक्कु मेह्रके जातीय छुवाछूतक अन्त्य कैख आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करकलाग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारम समतामूलक समाजक निर्माण कर्ना संकल्प कर्टी;

जन्तन्हक प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष ओ सक्षम न्यायपालिका ओ कानूनी राज्यक अवधारणा लगायतक लोकतान्त्रिक मूल्य ओ मान्यताम आधारित समाजवादम प्रतिबद्ध रहक समृद्ध राष्ट्र निर्माण करकलाग;

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थक माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास ओ समृद्धिक आकांक्षा पूरा करकलाग संविधान सभासे पारित कैख यी संविधान जारी करटी ।

भाग-१
प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानून : (१) यी संविधान नेपालक मूल कानून हो । यी संविधानसे बझ्ना कानून बझ्लक हदसम अमान्य हुइने बा ।

(२) यी संविधान मन्ना प्रत्येक मनैनके कर्तव्य हुइने बा ।

२. सार्वभौमसत्ता ओ राजकीयसत्ता : नेपालक सार्वभौमसत्ता ओ राजकीयसत्ता नेपाली जनताम निहित रहने बा । यही बेल्सना काम यी संविधानम व्यवस्था हुइल अन्सार हुइने बा ।

३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधताम रहल समान आकांक्षा ओ नेपालक राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिकलाग आस्थावान रहक एकतक सूत्रम आबद्ध सक्कु नेपाली जनता समष्टिम राष्ट्र हो ।

४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

स्पष्टीकरण : यी धारक प्रयोजनक. लाग "धर्मनिरपेक्ष" कहबेर जुगजुगसे चल्टिअइलक धर्म संस्कृतिक संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झ पर्ठा ।

(२) नेपालक क्षेत्र देहाय अन्सार हुइने बा :-

(क) यी संविधान सुरु हुँइबेरीक व्यालक क्षेत्र, ओ

(ख) यी संविधान सुरु हुइलकपाछ्र प्राप्त हुइना क्षेत्र ।

५. राष्ट्रिय हित : (१) नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीनक हक हितक रक्षा, सीमानक सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति ओ समृद्धि नेपालक राष्ट्रिय हितक आधारभूत विषय हुइने बा ।

(२) राष्ट्र हित प्रतिकूलक आचरण ओ कार्य संघीय कानून अन्सार दण्डनीय हुइने बा ।

६. राष्ट्रभाषा : नेपालम बोलजैना सक्कु मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुइट ।

७. सरकारी कामकाजक भाषा : (१) देवनागरी लिपिम लिखजैना नेपाली भाषा नेपालक सरकारी कामकाजक भाषा हुइने बा ।

(२) नेपाली भाषाके संगसंग प्रदेश आपन प्रदेशभिट्टर बहुसंख्यक जनता बोल्ना एक वा एकसे ढिउर और राष्ट्रभाषाहन प्रदेश कानून अन्सार प्रदेशक सरकारी कामकाजक भाषा निर्धारण कर सेक्ने बा ।

(३) भाषा सम्बन्धी और बाट भाषा आयोगक सिफारिसम नेपाल सरकार निर्णय कर्लक अन्सार हुइने बा ।

८. राष्ट्रिय झण्डा : (१) सिम्रिक लाल रंगक भुइयाँ ओ गाढा बैजली रंगक किनारा हुइलक दुई टिनकोन्याँ डान्वे जोरगैलक, उप्रक भागम हँस्याअस जोन्हेंक बीचम सोह्रम आठ कोण डेखपर्ना उज्जर आकार ओ टर्का भागम बाह्र कोणयुक्त सूर्यक उज्जर आकार अंकित हुइलक झण्डा नेपालक राष्ट्रिय झण्डा हो ।

(२) नेपालक राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा बनैना तरीका ओ तत्सम्बन्धी और विवरण अनुसूची-१ म उल्लेख हुइल अन्सार हुइने बा ।

९. राष्ट्रिय गान इत्यादि : (१) नेपालक राष्ट्रिय गान अनुसूची-२ म उल्लेख हुइल अन्सार हुइने बा ।

(२) नेपालक निशान छाप अनुसूची-३ म उल्लेख हुइल अन्सार हुइने बा ।

(३) नेपालक राष्ट्रिय फूला लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनाबर गैया ओ राष्ट्रिय चिरैयाँ डाँफे हुइने बा ।

भाग-२

नागरिकता

१०. नागरिकतासे वञ्चित निकरजैना : (१) कौनोफे नेपाली नागरिकहन नागरिकता प्राप्त कर्ना हकसे वञ्चित निकरजाइ ।

(२) नेपालम प्रादेशिक पहिचान सहितक एकल संघीय नागरिकतक व्यवस्था कैगैल बा ।

११. नेपालक नागरिक ठहर्ना : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला नेपालक नागरिकता प्राप्त कर्लक ओ यी भाग अन्सार नागरिकता प्राप्त कर योग्य मनैहुँक नेपालक नागरिक हुइने बाट ।

(२) यी संविधान प्रारम्भ हुइबेर नेपालम स्थायी बसोबास हुइलक देहायक व्यक्ति वंशजक आधारम नेपालक नागरिक ठहरही:-

(क) यी संविधान प्रारम्भ हुइनासे आघ वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त कर्लक मनै,

(ख) कौनो मनैयक जरम हुइना व्याला निजक बाबा वा डाइ नेपालक नागरिक रलह कलसे ओसीन मनै ।

(३) यी संविधान सुरु हुइनासे आघ जरमक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त कर्लक नागरिकक सन्तान बाबा व डाइ डुनु नेपालक नागरिक रलहकलसे निज वालिग हुइलक पाछ वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त कर्ने बा ।

(४) नेपालभिट्टर भेटागैल बाबा ओ डाइक ठेकान निहुइलक प्रत्येक नाबालक निजक बाबा वा डाइ फ्याला निपरटसम वंशजक आधारम नेपालक नागरिक ठहर्नेबा ।

(५) नेपाली नागरिक डाइसे नेपालम जरम होख नेपालम जो बसोबास कर्लक ओ बाबक पहिचान ह्वाय निसेक्लक व्यक्तिहन वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्रदान करजैने बा । लेकिन बाबा विदेशी नागरिक हुइलक ठहरलसे ओसीन व्यक्तिक नागरिकता संघीय कानून अन्सार अंगीकृत नागरिकताम परिणत हुइने बा ।

(६) नेपाली नागरिकसे वैवाहिक सम्बन्ध कायम कर्लक विदेशी महिला चहलसे संघीय कानून अन्सार नेपालक अंगीकृत नागरिकता लिहे सेक्ने बा ।

(७) यी धाराम और ठाउँम जसीन बाट लिखल हुइलसेफे विदेशी नागरिकसे भ्वाज करल नेपाली महिला नागरिकसे जरमलक मनैयक हकम निज नेपालम जो स्थायी बसोबास कर्लक ओ निज विदेशी मुलुकक नागरिकता प्राप्त निकर्लहो कलसे निज संघीय कानून अन्सार नेपालक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कर सेक्ने बा ।

लेकिन नागरिकता प्राप्त कर्ना व्याला निजक डाइ ओ बाबा डुनु नेपाली नागरिक रहलम भर नेपालम जरमलक ओसीन मनैयाँ वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त कर सेक्ने बा ।

८) यी धाराम लिखगैलक बाहेक नेपाल सरकार संघीय कानून अन्सार नेपालक अंगीकृत नागरिकता डिहे सेक्ने बा ।

(९) नेपाल सरकार संघीय कानून अन्सार नेपालक सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कर सेक्ने बा ।

(१०) नेपालभिट्टर मिलाजैना कैख कौनो क्षेत्र प्राप्त हुइलसे ओसिन क्षेत्रभिट्टर बसोबास हुइलक व्यक्ति संघीय कानूनक अधिनम रहख नेपालक नागरिक हुइने बा ।

१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितक नागरिकता : यी संविधान अन्सार वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त कर्ना मनै निजक डाइ वा बाबक नाउँसे लैंगिक पहिचान सहितक नेपालक नागरिकतक प्रमाणपत्र पाइ सेक्ने बा ।

१३. नागरिकताक प्राप्ति, पुनःप्राप्ति ओ समाप्ति : नागरिकतक प्राप्ति, पुनःप्राप्ति ओ समाप्ति सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान कर सेकजैना : विदेशी मुलुकक नागरिकता प्राप्त कर्लक दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनक सदस्य राष्ट्र बाहेकक देशम बसोबास कर्लक साबिकम वंशजक वा जर्मक आधारम निज वा निजक बाबा वा डाइ, बुबा बुडी नेपालक नागरिक रलक पाछ विदेशी मुलुकक नागरिकता प्राप्त कर्लक मनैयहन संघीय कानून अन्सार आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग कर पैना कैख नेपालक गैरआवासीय नागरिकता डीहे सेकजैना बा ।

१५. नेपालक नागरिकता सम्बन्धी और व्यवस्था : नेपालक प्रत्येक नागरिकक परिचय खुल्ना कैख अभिलेख ढर्ना तथा नेपालक नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

भाग-३

मौलिक हक ओ कर्तव्य

१६. सम्मानपूर्वक बाँच पैना हक : (१) प्रत्येक मनैयहन सम्मानपूर्वक बाँच पैना हक हुइने बा ।

(२) किहुहनफे मृत्युदण्डक सजाय डेना कैख कानून निबनाजैने हो ।

१७. स्वतन्त्रताक हक : (१) कानून अन्सार बाहेक कौनोफे मनैयहन वैयक्तिक स्वतन्त्रतासे वञ्चित निकरजैने हो ।

(२) प्रत्येक नागरिकहन देहायक स्वतन्त्रता हुइने बा :-

(क) विचार ओ अभिव्यक्तिक स्वतन्त्रता,

(ख) विना हाँठ हँठियार शान्तिपूर्वक जुटना स्वतन्त्रता,

(ग) राजनीतिक दल खोल्ना स्वतन्त्रता,

(घ) संघ ओ संस्था खोल्ना स्वतन्त्रता,

(ङ) नेपालक कौनोफे भागम आवतजावत ओ बसोबास कर्ना स्वतन्त्रता,

(च) नेपालक कौनोफे भागम पेशा, रोजगार कर्ना ओ उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायक स्थापना ओ चलैना स्वतन्त्रता ।

लेकिन,

(१) खण्ड (क) के कौनो बाटले नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता ओ स्वाधीनताम वा संघीय इकाइ वा मेह्मेहिक विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतहन दुरुत्साहन कर्ना, श्रमप्रति अवहेलना कर्ना, गाली बेइज्जती, अदालतक अवहेलना हुइना, अपराध कर्ना दुरुत्साहन वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकतक प्रतिकूल हुइना काममं मनासिब प्रतिबन्ध लगैना कैख ऐन बनैनाम रोक लगाइल निमानजाइ ।

(२) खण्ड (ख) के कौनो बाटले नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता ओ स्वाधीनता, संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति ओ

व्यवस्थाम खलल पर्ना काममम मनासिब प्रतिबन्ध लगैना कैख ऐन बनाय रोक लगैलक नि मानजाइ ।

(३) खण्ड (ग) के कौनो बाटले नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता ओ स्वाधीनताम खलल पर्ना, राष्ट्रक विरुद्ध जासूसी कर्ना, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग कर्ना वा नेपालक सुरक्षाम आँच पुगैना कैख कौनो विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिहन सहयोग कर्ना वा राज्यद्रोह कर्ना वा संघीय इकाइबीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलैना वा मेह्रमेह्रीक जात, जाति, धर्म ओ सम्प्रदायबीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगक आधारम कौनो राजनीतिक दलक सदस्यता प्राप्त कर्ना वा बन्देज लगैना वा नागरिकहुँकन्हँकबीच विभेद कर्ना कैख राजनीतिक दल गठन कर्ना, हिंसात्मक कार्य कर्ना दुरुत्साहन कर्ना वा सार्वजनिक नैतिकताक प्रतिकूल हुइना कार्यम मनासिब प्रतिबन्ध लगैना कैख ऐन बनाए रोक लगैलक निमान जाइ ।

(४) खण्ड (घ) के कौनो बाटले नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता ओ स्वाधीनताम खलल पर्ना, राष्ट्रक विरुद्ध जासूसी कर्ना, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग कर्ना वा नेपालक सुरक्षाम आँच पुगैना कैख कौनो विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिहन सहयोग कर्ना, राज्यद्रोह कर्ना वा संघीय इकाइबीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलैना वा मेह्रमेह्रीक जात, जाति, धर्म ओ सम्प्रदायबीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना वा हिंसात्मक कार्य कर्ना दुरुत्साहन कर्ना वा सार्वजनिक नैतिकताक प्रतिकूल हुइना कार्यम मनासिब प्रतिबन्ध लगैना कैख ऐन बनैनाम रोक लगैलक नि मानजाइ ।

(५) खण्ड (ङ) के कौनो बाटले सर्वसाधारण जनतनक हित वा संघीय इकाइबीचक सु-सम्बन्ध वा मेह्रमेह्रीक जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहुँकन्हँक बीचक सु-सम्बन्धम

खलल पर्ना वा हिंसात्मक कार्य कर्ना वा ओसीन कार्य दुरुत्साहन कर्ना कार्यम मनासिब प्रतिबन्ध लगैना कैख ऐन बनैनाम रोक लगैलक निमानजाइ ।

(६) खण्ड (च) के कौनो बाटले संघीय इकाइबीचक सु-सम्बन्धम खलल पुगैना कार्य वा सर्वसाधारण जनताक सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताक प्रतिकूल हुइना कार्यम रोक लगैना वा कौनो खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्य केल सञ्चालन कर पैना वा कौनो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय करकलाग कौनो शर्त वा योग्यता तोक्ना कैख ऐन बनैनाम रोक लगैलक निमानजैने हो ।

१८. समानताके हक : (१) सक्कु नागरिक कानूनक दृष्टिम समान हुइने बाट । किहुनफे कानूनक समान संरक्षणसे वञ्चित निकरजाइ ।

(२) सामान्य कानूनक प्रयोगम उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा असहें और कौनो आधारम भेदभाव निकरजाइ ।

(३) राज्य नागरिकहुँकन्हँक बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा असहें और कौनो आधारम भेदभाव नि करजाइ ।

लेकिन सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पाछ परल महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता हुइलक व्यक्ति, गर्भावस्थक व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पाछ परल क्षेत्र ओ आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकक संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लाग कानून अन्सार विशेष व्यवस्था कर रोक लगैलक नि मानजाइ ।

स्पष्टीकरण : यी भाग ओ भाग ४ क प्रयोजनक लाग "आर्थिक रूपले विपन्न" कहबेर संघीय कानूनम तोकगैलक आयसे कम आय हुइलक व्यक्ति सम्झ पर्ठा ।

(४) बराबर कामक लाग लैंगिक आधारम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाम कौनो भेदभाव नि करजाइ ।

(५) पैतृक सम्पत्तिम लैंगिक भेदभाव विना सक्कु सन्तानक समान हक रही ।

१९. सञ्चारक हक : (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतक कौनोफे माध्यमसे कौनो समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा और कौनो पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीक प्रकाशन तथा प्रसारण कर वा सूचना प्रवाह कर वा छप्नासे पैल्ह प्रतिवन्ध निलगाजाइ ।

लेकिन नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइवीचक सु-सम्बन्ध वा मेह्रमेह्रीक जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय वीचक सु-सम्बन्धम खलल पर्ना, राज्यद्रोह, गाली वेइज्जती वा अदालतक अवहेलना हुइना वा अपराध कर दुरुत्साहन कर्ना वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताक प्रतिकूल कार्य कर्ना, श्रमप्रति अवहेलना कर्ना ओ जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावहन दुरुत्साहन कर्ना कार्यम मनासिव प्रतिबन्ध लगैना कैंह ऐन बनैनाम रोक लगैलक नि मानजाइ ।

(२) कौनौ श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणक माध्यम वा छापाखानामसे कौनो समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा और कौनो सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण कर्लक वा छप्लक बापत ओसीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण कर्ना वा छप्ना रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा और कौनो मेह्रीक डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा और सञ्चार माध्यमहन बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा ओसिन सामग्री जफत निकरजाइ ।

लेकिन यी उपधाराम लिखगैलक कौनो बाटले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा और कौनो मेह्रीक डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा और सञ्चार माध्यमक नियमन कर ऐन बनैनाम बन्देज लगैलक नि मानजाइ ।

(३) कानून अन्सार बाहेक कौनो छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतक सञ्चार साधनह अवरुद्ध नि कैजाई ।

२०. न्यायसम्बन्धी हक : (१) कौनो फे व्यक्तिहन पक्राउ हुइलक कारण सहितक, सूचना निडेख थुनाम निढरजाइ ।

(२) पक्राउम परल मनैयहन पक्राउ पर्लक समयसे जो आपन रुचाजल कानून व्यवसायीसे सल्लाह लिह पैना तथा कानून व्यवसायीसे पुर्पक्ष कर्ना हक हुइने वा । ओसीन व्यक्ति आपन कानून व्यवसायीसे कर्लक परामर्श ओ निज डेलक सल्लाह गोप्य रनेबा ।

लेकिन शत्रु देशक नागरिकक हकम यी उपधारा लागू निहुइने हो ।

स्पष्टीकरण : यी उपधाराक प्रयोजनक लाग "कानून व्यवसायी" कहबेर कौनो अड्डा अदालतम कौनो व्यक्तिक प्रतिनिधित्व करकलाग कानूनले अधिकार डेलक व्यक्ति सम्झ पर्ठा ।

(३) पक्राउ करगैलक व्यक्तिहन पक्राउ हुइलक समय तथा स्थानसे डग्रीक म्याद बाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ना अधिकारी समक्ष उपस्थित कराइ पर्ना ओ ओसिन अधिकारीसे आदेश हुइलक बाहेक पक्राउ हुइलक मनैयहन थुनाम निढरजाइ ।

लेकिन निवारक नजरबन्दम ढर्लक मनैयाँ ओ शत्रु देशक नागरिकक हकम यी उपधारा लागू निहुइने हो ।

(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय निहुइना कौनो काम कर्लक बापत कौनो मनैया सजायकभागी निहुइने हो ओ कौनोफे मनैयहन कसूर कर्लक अवस्थाम कानूनम त्वाकलसे ढीउर सजाय निडेजाइ ।

(५) कौनो अभियोग लागल मनैयहन निज कर्लक कसूर प्रमाणित निहुइटसम कसूरदार निमानजाइ ।

(६) कौनोफे मनैयाँ विरुद्ध अदालतम एक्क कसूरम एक फ्यारासे ढीउर मुद्दा निचलाजाइ ओ सजाय निडेजाइ ।

(७) कौनो कसूरक अभियोग लग्लक मनैयहन आपन विरुद्ध साक्षी ह्वाय बाध्य निपारजाइ ।

(८) प्रत्येक मनैयहन निज विरुद्ध करलक कारबाहीक जानकारी पैना हक हुइने बा ।

(९) प्रत्येक मनैयहन स्वतन्त्र, निष्पक्ष ओ सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायसे स्वच्छ सुनुवाइक हक हुइने बा ।

(१०) असमर्थ पक्षहन कानून अन्सार निःशुल्क कानूनी सहायता पैना हक हुइने बा ।

२१. अपराध पीडितक हक : (१) अपराध पीडितहन अप्न पीडित हुइलक मुद्दाक अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पैना हक हुइने बा ।

(२) अपराध पीडितहन कानून अन्सार सामाजिक पुनःस्थापना ओ क्षतिपूर्ति सहितक न्याय पैना हक हुइने बा ।

२२. यातना विरुद्धक हक : (१) पक्राउ परल वा थुनाम रहल व्यक्तिहन शारीरिक वा मानसिक यातना डेजैना वा निजसे निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नि करजाइ ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक कार्य कानून अन्सार दण्डनीय हुइने वा ओ ओसीन व्यवहारसे पीडित व्यक्तिहन कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने वा ।

२३. निवारक नजरबन्द विरुद्धक हक : (१) नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति ओ व्यवस्थाम तत्काल खलल पर्ना पर्याप्त आधार निहोख किहुहनफे निवारक नजरबन्दम निढरजाइ ।

(२) उपधारा (१) अन्सार निवारक नजरबन्दम रहल मनैयक स्थितिक बिषयम निजक परिवारक सदस्य वा लग्धक नातेदारहन कानून अन्सार तत्काल जानकारी डीहे पर्ने वा ।

लेकिन शत्रु देशक नागरिकक हकम यी उपधारा लागू निहुइ ।

(३) निवारक नजरबन्दम ढर्ना अधिकारी कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कौनो व्यक्तिहन नजरबन्दम ढर्लसे ओसीन मनैय कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने वा ।

२४. छुवाछूत ओ भेदभाव विरुद्धक हक : (१) कौनोफे मनैयहन निजक उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थक आधारम कौनोफे निजी तथा सार्वजनिक स्थानम कौनो प्रकारक छुवाछूत वा भेदभाव निकरजाइ ।

(२) कौनो वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण करबेर ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कौनो खास जात वा जातिक मनैयहन खरीद वा प्राप्त कर्नामसे रोक लगैना वा ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कौनो खास जात वा जातिक मनैयहन केल बिक्री वितरण वा प्रदान निकरजाइ ।

(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाक आधारम कौनो मनैयाँ वा समुदायहन उच्च वा नीच देखैना, जात, जाति वा छुवाछूतक आधारम सामाजिक भेदभावहन न्यायोचित ठन्ना वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणाम आधारित विचारक प्रचार प्रसार कर वा जातीय विभेदहन कौनोफे मेह्रीक प्रोत्साहन कर निपाजाइ ।

(४) जातीय आधारम छुवाछूत कैख वा निकैख कार्यस्थलम कौनो मेह्रेकें भेदभाव कर निपाजाइ ।

(५) यी धाराक प्रतिकूल हुइनाकैख हुइलक सक्कु मेह्रीक छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधक रूपम कानून अन्सार दण्डनीय हुइने वा ओ ओसीन कार्यसे पीडित व्यक्तिहन कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने वा ।

२५. सम्पत्तिक हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन कानूनक अधीनम रहक सम्पत्ति कमैना, भोग कर्ना, बेचबिखन कर्ना, व्यावसायिक लाभ पैना ओ सम्पत्तिक और कारोबार कर्ना हक हुइने बा ।

लेकिन राज्य मनैयक सम्पत्तिम कर लगाय ओ प्रगतिशील करक मान्यता अनुरूप मनैयक आयम कर लगाय सेकी ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "सम्पत्ति" कहबेर चल अचल लगायत सक्कु मेह्रीक सम्पत्ति सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतहन जनैठा ।

(२) सार्वजनिक हितक लाग बाहेक राज्य कौनो व्यक्तिक सम्पत्ति अधिग्रहण कर्ना, प्राप्त कर्ना वा ओसीन सम्पत्ति उपर और मेह्रसे कौनो अधिकारक सिर्जना निकर्ने हो ।

लेकिन कौनोफे व्यक्ति गैरकानूनी रूपले आर्जन कर्लक सम्पत्तिक हकम यी उपधारा लागू निहुइने हो ।

(३) उपधारा (२) अन्सार सार्वजनिक हितक लाग राज्य कौनोफे व्यक्तिक सम्पत्ति अधिग्रहण करबेर क्षतिपूर्तिक आधार ओ कार्यप्रणाली ऐन अन्सार हुइने बा ।

(४) उपधारा (२) ओ (३) क व्यवस्थाले भूमिक उत्पादन ओ उत्पादकत्व वृद्धि कर, कृषिक आधुनिकीकरण ओ व्यवसा्यीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास कर्ना प्रयोजनक लाग राज्य कानून अन्सार भूमि सुधार, व्यवस्थापन ओ नियमन कर बाधा निपरी ।

(५) उपधारा (३) अन्सार राज्य सार्वजनिक हितक लाग कौनो मनैयक सम्पत्ति अधिग्रहण कर्लकम ओसीन सार्वजनिक हितक सटाहा और कौनो सार्वजनिक हितक लाग ओसीन सम्पत्ति प्रयोग कर बाधा निपरी ।

२६. धार्मिक स्वतन्त्रतक हक : (१) धर्मम आस्था ढर्ना प्रत्येक मनैयहन आपन आस्था अनुसार धर्मक अवलम्बन, अभ्यास ओ संरक्षण कर्ना स्वतन्तत्रा हुइने बा ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायहन धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइने बा ।

लेकिन धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीक सञ्चालन ओ संरक्षण कर तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाक व्यवस्थापनक लाग कानून बनाख नियमित कर बाधा पुग्लक निमान जाइ ।

(३) यी धारासे प्रदत्त हकक प्रयोग करबेर किहुहनफे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार ओ नैतिकताक प्रतिकूल हुइना वा सार्वजनिक शान्ति भंग

कर्ना क्रियाकलाप कर, कराय वा केको धर्म परिवर्तन करैना वा औरजन्हँक धर्मम खलल पर्ना काम वा व्यवहार कर वा कराय निहुइट ओ ओसीन काम कानून अन्सार दण्डनीय हुइने बा ।

२७. सूचनाक हक : प्रत्येक नागरिकहन आपन वा सार्वजनिक सरोकारक कौनोफे विषयक सूचना मङना ओ पैना हक रही ।

लेकिन कानून अन्सार गोप्य ढरपर्ना सूचनाक जानकारी डिहे किहुहन बाध्य निपारजाइ ।

२८. गोपनीयताक हक : कौनोफे व्यक्तिक जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार ओ चरित्र सम्बन्धी विषयक गोपनीयता कानून अन्सार बाहेक अनतिक्रम्य हुइने बा ।

२९. शोषण विरुद्धक हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिहन शोषण विरुद्धक हक हुइने बा ।

(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा और कौनो आधारम कौनोफे मनैयहन कौनो मेह्रीक शोषण कर निपाजाइ ।

(३) किहुहनफे बेचबिखन कर, दास वा बाँधा बनाय निपाजाइ ।

(४) किहुहनफे निजक इच्छा विरुद्ध काममम लगाय निपाजाइ ।

लेकिन सार्वजनिक प्रयोजनक लाग नागरिकहन राज्य अनिवार्य सेवाम लगाय सेक्नाकैख कानून बनैनाम रोक लगैलक निमान जाइ ।

(५) उपधारा (३) ओ (४) बिपरीतक कार्य कानून अन्सार दण्डनीय हुइने बा ओ पीडितहन पीडकसे कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने बा ।

३०. स्वच्छ वातावरणक हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन स्वच्छ ओ स्वस्थ वातावरणम बाँच पैना हक हुइने बा ।

(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासमसे हुइना क्षतिबापत प्रदूषकसे कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने बा ।

(३) राष्ट्रक विकास सम्बन्धी कार्यम वातावरण ओ विकासबीच समुचित सन्तुलनक लाग आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर यी धारा बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

३१. शिक्षा सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन आधारभूत शिक्षाम पहुँचक हक हुइने बा ।

(२) प्रत्येक नागरिकहन राज्यसे आधारभूत तहसम्मक शिक्षा अनिवार्य ओ निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मक शिक्षा निःशुल्क पैना हक हुइने बा ।

(३) अपांगता हुइलक ओ आर्थिक रूपले कमजोर नागरिकहन कानून अन्सार निःशुल्क उच्च शिक्षा पैना हक हुइने बा ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकहन ब्रेललिपि तथा बहिर स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता हुइलक नागरिकहन सांकेतिक भाषाक माध्यमसे कानून अन्सार निःशुल्क शिक्षा पैना हक हुइने बा ।

(५) नेपालम बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहन कानून अन्सार आपन मातृभाषाम शिक्षा पैना ओ बाकरलाग विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइने बा ।

३२. भाषा ओ संस्कृतिक हक : (१) प्रत्येक व्यक्ति ओ समुदायहन आपन भाषा प्रयोग कर्ना हक हुइने बा ।

(२) प्रत्येक मनै ओ समुदायहन आपन समुदायक सांस्कृतिक जीवनम सहभागी ह्वाय पैना हक हुइने बा ।

(३) नेपालम बसोबास कर्ना हरेक नेपाली समुदायहन आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाक संवर्द्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइने बा ।

३३. रोजगारीक हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन रोजगासैक हक हुइने बा । रोजगारीक शर्त, अवस्था ओ बेरोजगार सहायता संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

(२) प्रत्येक नागरिकहन रोजगारी रवाज पैना हक हुइने बा ।

३४. श्रमक हक : (१) प्रत्येक श्रमिकहन उचित श्रम अभ्यासक हक हुइने बा ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "श्रमिक" कहबेर पारिश्रमिक लेख रोजगारदाताक लाग शारीरिक वा बौद्धिक कार्य कर्ना कामदार वा मजदूर सम्झ पर्ठा ।

(२) प्रत्येक श्रमिकहन उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानम आधारित सामाजिक सुरक्षक हक हुइने बा ।

(३) प्रत्येक श्रमिकहन कानून अन्सार ट्रेड युनियन खोल्ना, ओहिंम सहभागी हुइना ओ सामूहिक सौदाबाजी कर पैना हक हुइने बा ।

३५. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन राज्यसे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त कर्ना हक रही ओ किहुहनफे आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासे वञ्चित निकरजाइ ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति हन आपन स्वास्थ्य उपचारक सम्बन्धम जानकारी पैना हक हुइने बा ।

(३) प्रत्येक नागरिकहन स्वास्थ्य सेवाम बराबर पहुँचक हक हुइने बा ।

(४) प्रत्येक नागरिकहन स्वच्छ पिनापानी तथा सरसफाइम पहुँचक हक हुइने बा ।

३६. खाद्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन खाद्य सम्बन्धी हक हुइने बा ।

(२) प्रत्येक नागरिकहन खाद्यवस्तुक अभावम जीवन जोखिममा पर्ना अवस्थासे सुरक्षित हुइना हक हुइने बा ।

(३) प्रत्येक नागरिकहन कानून अन्सार खाद्य सम्प्रभुताक हक हुइने बा ।

३७. आवासक हक : (१) प्रत्येक नागरिकहन उपयुक्त आवासक हक हुइने बा ।

(२) कानून अन्सार बाहेक कौनोफे नागरिकहन निजक स्वामित्वम रलक वासस्थानसे हटैना वा अतिक्रमण निकरजाइ ।

३८. महिलक हक : (१) प्रत्येक महिलनके लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुइने बा ।

(२) प्रत्येक महिलाहन सुरक्षित मातृत्व ओ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुइने बा ।

(३) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा और कौनो आधारम शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा और कौनो मेह्रीक हिंसाजन्य कार्य वा शोषण निकरजाइ । ओसिन कार्य कानून अन्सार दण्डनीय हुइने बा ओ पीडितहन कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने बा ।

(४) राज्यक सक्कु निकायम महिलाहुँकन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारम सहभागी हुइना हक हुइने बा ।

(५) महिलाहन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ओ सामाजिक सुरक्षाम सकारात्मक विभेदक आधारम विशेष अवसर प्राप्त कर्ना हक हुइने बा ।

(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलाम गोस्या गोसिन्यँक समान हक हुइने बा ।

३९. बालबालिकाक हक : (१) प्रत्येक बालबालिकाहन आपन पहिचान सहित नामकरण ओ जन्मदर्तक हक हुइने बा ।

(२) प्रत्येक बालबालिकाहन परिवार तथा राज्यसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासक हक हुइने बा ।

(३) प्रत्येक बालबालिकाहन प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागितक हक हुइने बा ।

(४) कौनोफे बालबालिकाहन कलकारखाना, खानी वा ओसहें और जोखिमपूर्ण कामम लगाय निपाजाइ ।

(५) कौनोफे बालबालिकाहन बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार ओ अपहरण कर वा बन्धक ढर निपाजाइ ।

(६) कौनोफे बालबालिकाहन सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहम भर्ना वा प्रयोग कर वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनक नाउँम कौनोफे माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा और कौनो मेह्रीक शोषण कर वा अनुचित प्रयोग कर निपाजाइ ।

(७) कौनोफे बालबालिकाहन घर, विद्यालय वा और कौनफे ठाउँ ओ अवस्थाम शारीरिक, मानसिक वा और कौनो मेह्रीक यातना डिहे निपाजाइ ।

(८) प्रत्येक बालबालिकाहन बाल अनुकूल न्यायक हक हुइने बा ।

(९) असहाय, दुवर, अपांगता हुइलक, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिमम रहल बालबालिकाहन राज्यसे विशेष संरक्षण ओ सुविधा पैना हक हुइने बा ।

(१०) उपधारा (४), (५), (६) ओ (७) विपरीतक कार्य कानून अन्सार दण्डनीय हुइने बा ओ ओसीन कार्यसे पीडित बालबालिकाहन पीडकसे कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने बा ।

४०. दलितक हक : (१) राज्यक सक्कु निकायम दलितहन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारम सहभागी हुइना हक हुईने बा । सार्वजनिक सेवा लगायतक रोजगारीक और क्षेत्रम दलित समुदायक सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व ओ सहभागिताक लाग कानून अन्सार विशेष व्यवस्था करजैने बा ।

(२) दलित विद्यार्थीन प्राथमिकसे उच्च शिक्षासम कानून अन्सार छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाक व्यवस्था करजैने बा । प्राविधिक ओ व्यावसायिक उच्च शिक्षाम दलितक लाग कानून अन्सार विशेष व्यवस्था करजाइ ।

(३) दलित समुदायहन स्वास्थ्य ओ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करकलाग कानून अन्सार विशेष व्यवस्था कैजैने बा ।

(४) दलित समुदायहन आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप ओ प्रविधिक प्रयोग, संरक्षण ओ विकास कर्ना हक हुइने बा । राज्य दलित समुदायक परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायम हुँकन प्राथमिकता डेख वाकरलाग आवश्यक पर्ना सीप ओ स्रोत उपलब्ध करैने बा ।

(५) राज्य भूमिहीन दलितहन कानून अन्सार एक फ्यारा जमीन उपलब्ध कराइ पर्ने बा ।

(६) राज्य आवासविहीन दलितहन कानून अन्सार बसोबासक व्यवस्था कर्ने बा ।

(७) दलित समुदायहन यी धारासे प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष ओ सक्कु समुदायम रहल दलित समानुपातिक रूपम प्राप्त कर्ना कैख न्यायोचित वितरण कर पर्ने बा ।

४१. ज्येष्ठ नागरिकक हक : ज्येष्ठ नागरिकहन राज्यसे विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाक हक हुइने बा ।

४२. सामाजिक न्यायक हक : ▲(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पाछ परल महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता हुइलक व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पाछपरल क्षेत्रक नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यहन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारम राज्यक निकायम सहभागिताक हक हुइने बा ।

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायक नागरिकक संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासक लाग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न ओ सामाजिक सुरक्षाम विशेष अवसर तथा लाभ पैना हक हुइने बा ।,

(३) अपांगता हुइलक नागरिकहन विविधतक पहिचान सहित मर्यादा ओ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करपैना ओ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाम समान पहुँचक हक हुइने बा ।

(४) प्रत्येक किसानहन कानून अन्सार कृषि कार्यक लाग भूमिम पहुँच, परम्परागत रूपम प्रयोग ओ अवलम्बन करकलाग पुरान बीया बालर ओ कृषि प्रजातिक छनौट ओ संरक्षणक हक हुइने बा ।

▲ पहिला संसोधनसे संसोधित

(५) नेपालम अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनक लाग हुइलक सक्कु जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष ओ क्रान्तिक क्रमम जीवन उत्सर्ग कर्ना शहीदक परिवार, बेपत्ता पारगैलक मनैयक परिवार, लोकतन्त्रक योद्धा, द्वन्द्वपीडित ओ विस्थापित, अपांगता हुइलक व्यक्ति, घैहेल तथा पीडितहन न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास ओ सामाजिक सुरक्षाम कानून अन्सार प्राथमिकताक साथ अवसर पैना हक हुइने बा ।

४३. सामाजिक सुरक्षाके हक : आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त ओ असहाय अवस्थामा रहल, असहाय एकल महिला, अपांगता हुइलक, बालबालिका, आपन हेरचाह अप्पनहें करनिसेक्ना तथा लोपोन्मुख जातिक नागरिकहन कानून अन्सार सामाजिक सुरक्षाक हक हुइने बा ।

४४. उपभोक्ताक हक : (१) प्रत्येक उपभोक्ताहन गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त कर्ना हक हुइने बा ।

(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवासे क्षति पुग्लक व्यक्तिहन कानून अन्सार क्षतिपूर्ति पैना हक हुइने बा ।

४५. देश निकाला विरुद्धक हक : कौनोफे नागरिकहन देश निकाला निकरजाइ ।

४६. संवैधानिक उपचारक हक : यी भागसे प्रदत्त हकक प्रचलनक लाग धारा १३३ वा १४४ म लिखगैल अन्सार संवैधानिक उपचार पैना हक हुइने बा ।

४७. मौलिक हकक कार्यान्वयन : यी भागसे प्रदत्त हकक कार्यान्वयनक लाग आवश्यकता अनुसार राज्य यी संविधान प्रारम्भ हुइलक तीन वरष भिट्टर कानूनी व्यवस्था कर्नेबा ।

४८. नागरिकक कर्तव्य : प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य देहाय अन्सार हुइने बा ।

(क) देश राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुइटी नेपालक राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता ओ अखण्डताक रक्षा कर्ना,

(ख) संविधान ओ कानूनक पालना कर्ना,

(ग) राज्य चाहल व्याला अनिवार्य सेवा कर्ना,

(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिक सुरक्षा ओ संरक्षण कर्ना ।

भाग-४

राज्यक निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

४९. मार्गनिर्देशनक रूपम रना : (१) यी भागम उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनक मार्गनिर्देशनक रूपम रने बा ।

(२) राज्य यी भागम उल्लिखित सिद्धान्त, नीति ओ दायित्वक कार्यान्वयन कर आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन कर्ना करैने बा ।

५०. निर्देशक सिद्धान्त : (१) नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता ओ स्वाधीनताहन सर्वोपरि ढर्टी नागरिकक जीउ, धन, समानता ओ स्वतन्त्रताक संरक्षण कैख कानूनक शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य ओ मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता ओ सामाजिक न्यायक माध्यमसे राष्ट्रिय जीवनक सक्कु क्षेत्रम न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम कर्टी लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाक स्थापना कर्ना तथा परस्पर सहयोगम आधारित संघीयताक आधारम संघीय इकाइक बिचक सम्बन्ध सञ्चालन कर्टी स्थानीय स्वायत्तता ओ विकेन्द्रीकरणक आधारम शासन व्यवस्थाम समानुपातिक सिद्धान्तहन आत्मसात् कर्टी लोकतान्त्रिक अधिकारक उपभोग कर पैना अवस्था सुनिश्चित करकलाग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ कर्ना राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हुइने बा ।

(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन बा और कौनोफे आधारम हुइना सक्कु मेद्विक विभेद, शोषण ओ अन्यायक अन्त्य कैख सभ्य ओ समतामूलक समाजक निर्माण कर्ना एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमक सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा ओ सहिष्णुताम आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यक विकास कर्ना तथा सांस्कृतिक विविधताक सम्मान कर्टी सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता ओ सामञ्जस्य कायम कैख राष्ट्रिय एकता सुदृढ कर्ना राज्यक सामाजिक ओ सांस्कृतिक उद्देश्य हुइने बा ।

(३) सार्वजनिक, निजी ओ सहकारी क्षेत्रक सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन ओ स्रोतक अधिकतम परिचालनसे तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल कर्टी दिगो आर्थिक विकास कर्ना तथा प्राप्त उपलब्धिक न्यायोचित वितरण कैख आर्थिक असमानताक अन्त्य कर्टी शोषणरहित समाजक निर्माण करकलाग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहन आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनैटी समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र ओ समृद्ध अर्थतन्त्रक विकास कर्ना राज्यक आर्थिक उद्देश्य हुइने बा ।

(४) नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता ओ राष्ट्रिय हितक रक्षा कर्टी सार्वभौमिक समानताक आधारम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम कैख विश्व समुदायम राष्ट्रिय सम्मानक अभिवृद्धि कर्नाओर राज्यक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुइने बा ।

५१. राज्यक नीति : राज्य टर लिखल नीति अवलम्बन कर्ने बा :-

(क) राष्ट्रिय एकता ओ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति :

(१) नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता ओ स्वाधीनताक संरक्षण कर्टी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण ढर्ना,

(२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति ओ सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता ओ ऐक्यबद्धता कायम कैख संघीय इकाइबीच परस्परम सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास कर्टी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन कर्ना,

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीक विकास कैख शान्ति सुरक्षाक व्यवस्था कर्ना,

(४) सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाक प्रत्याभूति कर्ना,

(५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिक आधारम नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सक्कु सुरक्षा निकायहन सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी ओ जनउत्तरदायी बनैना,

(६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकहुँकन राष्ट्रक सेवा करकलाग तत्पर ओ सक्षम बनैना,

(७) पैल्हक कर्मचारी, सैनिक ओ प्रहरी लगायतक पैल्हक राष्ट्रसेवकहुँकन्हँकठे रहल ज्ञान, सीप ओ अनुभवहन राष्ट्र हितम समुचित उपयोग कर्ना ।

(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति :

(१) राजनीतिक उपलब्धिक रक्षा, सुदृढीकरण ओ विकास कर्टी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणक माध्यमसे जनतन्हक सर्वोत्तम हित ओ समुन्नति प्रत्याभूत कर्ना,

(२) मानव अधिकारक संरक्षण ओ संवर्धन कर्टी विधिक शासन कायम ढर्ना,

(३) नेपाल पक्ष हुइलक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताक कार्यान्वयन कर्ना,

(४) सार्वजनिक प्रशासनहन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी ओ सहभागितामूलक बनैटी राज्यसे प्राप्त हुइना सेवा सुविधाम जनतन्हक बराबर ओ सहज पहुँच सुनिश्चित कैख सुशासनक प्रत्याभूति कर्ना,

(५) आमसञ्चारहन स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार ओ व्यावसायिक बनाइकलाग आवश्यक व्यवस्था कर्ना,

(६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन ओ प्रशासनक साझेदारी कर्टी सुमधुर ओ सहयोगात्मक सम्बन्धक विकास ओ विस्तार कर्ना ।

(ग) सामाजिक ओ सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति :

(१) स्वस्थ ओ सभ्य संस्कृतिक विकास कैख सामाजिक सुसम्बन्धम आधारित समाज बनैना,

(२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाक संरक्षण, संवर्धन ओ विकासक लाग अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार कर्ना,

(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक काममं स्थानीय समुदायक सिर्जनशीलतक प्रवर्धन ओ परिचालन कैख स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि कर्टी सामुदायिक विकास कर्ना,

(४) राष्ट्रिय सम्पदक रूपम रहल कला, साहित्य ओ सङ्गीतक विकासम जोर डेना,

(५) समाजम विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाउँम हुइना सक्कु मेह्रीक विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायक अन्त कर्ना,

(६) देशक सांस्कृतिक विविधता कायम ढर्टी समानता एवं सहअस्तित्वक आधारम मेह्रमेह्रीक जातजाति ओ समुदायक भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र ओ सम्पदाक संरक्षण ओ विकास कर्ना,

(७) बहुभाषिक नीति अवलम्बन कर्ना ।

(घ) अर्थ, उद्योग ओ वाणिज्य सम्बन्धी नीति :

(१) सार्वजनिक, निजि ओ सहकारी क्षेत्रक सहभागिता ओ स्वतन्त्र विकास मार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ कर्ना,

(२) अर्थतन्त्रम निजि क्षेत्रक भूमिकाहन महत्व डेटी उपलब्ध साधन ओ स्रोतक अधिकतम परिचालन कैख आर्थिक समृद्धि हासिल कर्ना,

(३) सहकारी क्षेत्रहन प्रवर्धन कर्टी राष्ट्रिय विकासम अत्यधिक परिचालन कर्ना,

(४) आर्थिक क्षेत्रक सक्कु गतिविधिम स्वच्छता, जवाफदेही ओ प्रतिस्पर्धा कायम करकलाग नियमनक व्यवस्था कर्टी सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासम प्रोत्साहन ओ परिचालन कर्ना,

(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासक प्रतिफलक न्यायोचित वितरण कर्ना,

(६) तुलनात्मक लाभक क्षेत्रक पहिचान कैख उद्योगक विकास ओ विस्तारसे निर्यात प्रवर्धन कर्टी वस्तु तथा सेवाक बजार विविधीकरण ओ विस्तार कर्ना,

(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना कर्ना ओ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जसीन कार्यक अन्त्य कर्टी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहन प्रतिस्पर्धी बनाख व्यापारिक स्वच्छता ओ अनुशासन कायम कैख उपभोक्ताक हित संरक्षण कर्ना,

(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रक विकासक लाग राष्ट्रिय उद्योगधन्दा ओ साधन स्रोतक संरक्षण ओ प्रवर्धन कैख नेपाली श्रम, सीप ओ कच्चा पदार्थम आधारित स्वदेशी लगानीहन प्राथमिकता डेना,

(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रक विकासक लाग स्वदेशी लगानीहन प्राथमिकता डेना,

(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनक क्षेत्रम वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिक लगानीहन आकर्षित कर्टी पूर्वाधार विकासम प्रोत्साहन एवं परिचालन कर्ना,

(११) वैदेशिक सहायता लिहेबेर राष्ट्रिय आवश्यकता ओ प्राथमिकताहन आधार बनैटी यहीहन पारदर्शी बनैना ओ वैदेशिक सहायतासे प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटम समाहित कर्ना,

(१२) गैरआवासीय नेपालीहुँकन्हँक ज्ञान, सीप, प्रविधि ओ पूँजीहन राष्ट्रिय विकासम उपयोग कर्ना,

(१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीक परियोजनाक सन्दर्भम अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश ओ संघ

बीच समन्वय स्थापित कराख आर्थिक विकासहन गतिशीलता डेना ।

(ङ) कृषि ओ भूमिसुधार सम्बन्धी नीति :

(१) भूमिम रहल दोहोरो स्वामित्व अन्त्य कर्टी किसानक हितहन ध्यानम ढर्टी वैज्ञानिक भूमिसुधार कर्ना,

(२) अनुपस्थित भू-स्वामित्वहन निरुत्साहित कर्टी जग्गक चक्लाबन्दी कैख उत्पादन ओ उत्पादकत्व वृद्धि कर्ना,

(३) किसानक हक हित संरक्षण ओ संवर्धन कर्टी कृषिक उत्पादन ओ उत्पादकत्व बढ्राइकलाग भूउपयोग नीतिक अवलम्बन कैख भूमिक व्यवस्थापन ओ कृषिक व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण ओ आधुनिकीकरण कर्ना,

(४) भूमिक उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतक आधारम नियमन ओ व्यवस्थापन कर्टी वाकर समुचित उपयोग कर्ना,

(५) कृषकक लाग कृषि सामग्री, कृषि उपजक उचित मूल्य ओ बजारम पहुँचक व्यवस्था कर्ना ।

(च) विकास सम्बन्धी नीति :

(१) क्षेत्रीय सन्तुलन सहितक समावेशी आर्थिक विकासक लाग क्षेत्रीय विकासक योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासक रणनीति ओ कार्यक्रम तर्जुमा कैख समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन कर्ना,

(२) विकासक दृष्टिले पाछ्र परल क्षेत्रहन प्राथमिकता डेटी सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपम भौतिक पूर्वाधारक विकास कर्ना,

(३) विकास निर्माणक प्रक्रियाम स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि कर्ना,

(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान ओ प्रविधिक आविष्कार, उन्नयन ओ विकासम लगानी अभिवृद्धि कर्ना तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक ओ विशिष्ट प्रतिभाहुँकन्हँक संरक्षण कर्ना,

(५) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिक विकास ओ विस्तार कैख ओहींम सर्वसाधारण जनतनक सहज ओ लिरौसी पहुँच सुनिश्चित

कर्ना तथा राष्ट्रिय विकासम सूचना प्रविधिक उच्चतम उपयोग कर्ना,

(६) विकासक प्रतिफल वितरणम विपन्न नागरिकहन प्राथमिकता डेटि आम जनतक न्यायोचित रूपम पैना व्यवस्था कर्ना,

(७) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास कैख नागरिकक सक्कु मेह्रीक सूचना ओ विवरण एकीकृत रूपम व्यवस्थापन कर्ना तथा ओहीहन राज्यसे उपलब्ध हुइना सेवा सुविधा ओ राष्ट्रिय विकास योजनासे आबद्ध कर्ना,

(८) जनसाख्यिक तथ्यांकहन अद्यावधिक कर्टी राष्ट्रिय विकास योजनासे आबद्ध कर्ना ।

(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतक संरक्षण, संवर्धन ओ उपयोग सम्बन्धी नीति :

(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायक मान्यताहन आत्मसात् कर्टी देशम उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनक संरक्षण, संवर्धन ओ वातावरण अनुकूल दिगो रूपम उपयोग कर्ना ओ स्थानीय समुदायहन प्राथमिकता ओ अग्राधिकार डेटी प्राप्त प्रतिफलक न्यायोचित वितरण कर्ना,

(२) जनसहभागिताम आधारित स्वदेशी लगानीहन प्राथमिकता डेटी जलस्रोतक बहुउपयोगी विकास कर्ना,

(३) नवीकरणीय ऊर्जाक उत्पादन तथा विकास कर्टी नागरिकक आधार भूत आवश्यकता परिपूर्तिक लाग सुपथ ओ सुलभ रूपम भरपर्दो ऊर्जाक आपूर्ति सुनिश्चित कर्ना तथा ऊर्जाक समुचित प्रयोग कर्ना,

(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण ओ लड्डेक व्यवस्थापन कर्टी दिगो ओ भरपर्दो सिंचाइक विकास कर्ना,

(५) जनसाधारणम वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना वह्राख औद्योगिक एवं भौतिक विकाससे वातावरणम पर सेक्ना जोखिमहन न्यूनीकरण कर्टी वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताक संरक्षण, संवर्धन ओ दिगो उपयोग कर्ना,

(६) वातावरणीय सन्तुलनक लाग आवश्यक भूभागम वन क्षेत्र कायम रख्ना,

(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधताउप्पर नकारात्मक असर पर्लक वा परसेक्ना अवस्थाम नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून करकलाग उपयुक्त उपाय अवलम्बन कर्ना,

(८) वातावरण प्रदूषण करुइएन सो बापत दायित्व ब्यहव्वार पर्ना तथा वातावरण संरक्षणम पूर्वसावधानी ओ पूर्वसूचित सहमति जसीन पर्यावरणीय दिगो विकासक सिद्धान्त अवलम्बन कर्ना,

(९) प्राकृतिक प्रकोपसे हुइना जोखिम न्यूनीकरण करकलाग पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना कर्ना ।

(ज) नागरिकक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :

(१) शिक्षाहन वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनैटी सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार कर्ना,

(२) शिक्षा क्षेत्रम राज्यक लगानी अभिवृद्धि कर्टी शिक्षाम हुइलक निजी क्षेत्रक लगानीहन नियमन ओ व्यवस्थापन कैख सेवामूलक बनैना,

(३) उच्च शिक्षाहन सहज, गुणस्तरीय ओ पहुँच योग्य बनाख क्रमशः निःशुल्क बनैटी लैजैना,

(४) नागरिकक व्यक्तित्व विकासक लाग सामुदायिक सूचना केन्द्र ओ पुस्तकालयक स्थापना ओ प्रवर्धन कर्ना,

(५) नागरिकहन स्वस्थ बनाख राज्य जनस्वास्थ्यक क्षेत्रम आवश्यक लगानी बढ्रैटी जैना,

(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाम सक्कुँजन्हँक सहज, सुलभ ओ समान पहुँच सुनिश्चित कर्ना,

(७) नेपालक परम्परागत चिकित्सा पद्धतिक रूपम रहल आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा ओ होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिक संरक्षण ओ प्रवर्धन कर्ना,

(८) स्वास्थ्य क्षेत्रम राज्यक लगानी अभिवृद्धि कर्टी यी क्षेत्रम हुइलक निजी लगानीहन नियमन ओ व्यवस्थापन कैख सेवामूलक बनैना,

(९) स्वास्थ्य सेवाहन सर्वसुलभ व गुणस्तरीय बनाईकलाग स्वास्थ्य अनुसन्धानम जोड डेटी स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीक संख्या बढ्नैटी जैना,

(१०) नेपालक क्षमता ओ आवश्यकताक आधारम जनसंख्या व्यवस्थापनक लाग परिवार नियोजनहन प्रोत्साहित कर्टी मातृ शिशु मृत्युदर घटाख औसत आयु बढ्नैना,

(११) अव्यवस्थित बसोबासहन व्यवस्थापन कर्ना तथा योजनाबद्ध ओ व्यवस्थित बस्ती विकास कर्ना,

(१२) कृषि क्षेत्रम लगानी बढ्नैटी खाद्य सम्प्रभुतक मान्यता अनुरूप जलवायु ओ माटी अनुकूलक खाद्यान्न उत्पादनहन प्रोत्साहन कैख खाद्यान्नक दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा ओ सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणक व्यवस्था कर्ना,

(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवाम सक्कु नागरिकहुँकन्हँक समान पहुँच सुनिश्चित कर्टी दुर्गम ओ पाछ पारगैलक क्षेत्रहन विशेष प्राथमिकता डेख योजनाबद्ध आपूर्तिक व्यवस्था कर्ना,

(१४) यातायात सुविधाम नागरिकहुँकन्हँक सरल, सहज ओ समान पहुँच सुनिश्चित कर्टी यातायात क्षेत्रम लगानी बढ्नैना ओ वातावरण अनुकूल प्रविधीहन प्राथमिकता डेटी सार्वजनिक यातायातहन प्रोत्साहन ओ निजि यातायातहन नियमन कैख यातायात क्षेत्रहन सुरक्षित, व्यवस्थित ओ अपांगता हुइलक व्यक्ति अनुकूल बनैना,

(१५) नागरिकक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कर्टी स्वास्थ्य उपचारम पहुँचक व्यवस्था मिलैना ।

(झ) श्रम ओ रोजगार सम्बन्धी नीति :

(१) सक्कुजन काम करपैना अवस्था सुनिश्चित कर्टी देशक मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिक रूपम रहल श्रमशक्तिहन दक्ष ओ व्यावसायिक बनैना ओ स्वदेशम जो रोजगारी अभिवृद्धि कर्ना,

(२) मर्यादित श्रमक अवधारणा अनुरूप सक्कु श्रमिकक आधारभूत अधिकार सुनिश्चित कर्टी सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत कर्ना,

(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणक सक्कु रूपक अन्त्य कर्ना,

(४) श्रमिक ओ उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम कर्टी व्यवस्थापनम श्रमिकक सहभागिता प्रोत्साहन कर्ना,

(५) वैदेशिक रोजगारीहन शोषणमुक्त, सुरक्षित ओ व्यवस्थित करकलाग तथा श्रमिकक रोजगारी ओ अधिकारक प्रत्याभूति करकलाग यी क्षेत्रक नियमन ओ व्यवस्थापन कर्ना,

(६) वैदेशिक रोजगारीसे आर्जन हुइलक पूँजी, सीप, प्रविधि ओ अनुभवहन स्वदेशम उत्पादनमूलक क्षेत्रम लगाइकलाग प्रोत्साहन कर्ना ।

(ञ) सामाजिक न्याय ओ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति :

(१) असहाय अवस्थाम रहल एकल महिलाहन सीप, क्षमता ओ योग्यताक आधारम रोजगारीम प्राथमिकता डेटी जीविकोपार्जनक लाग समुचित व्यवस्था कर्टी जैना,

(२) जोखिमम परल, सामाजिक ओ पारिवारिक बहिष्करणम परल तथा हिंसा पीडित महिलाहुँकन पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कैख स्वावलम्बी बनैना,

(३) प्रजनन अवस्थाम आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगक सुनिश्चितता कर्ना,

(४) बालबच्चनक पालन पोषण, परिवारक हेरचाह जसिन काम ओ योगदानहन आर्थिक रूपम मूल्यांकन कर्ना,

(५) बालबालिकनक सर्वोत्तम हितहन प्राथमिक रूपम ध्यान डेना,

(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहुँकन्हँ पहिचान कैख बसोबासक लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनक लाग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था कर्टी पुनःस्थापना कर्ना,

(७) राष्ट्रिय विकासम युवा सहभागिता अभिवृद्धि कर्टी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारक पूर्ण उपयोगक वातावरण सिर्जना कर्ना, युवा सशक्तीकरण ओ विकासक लाग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतक क्षेत्रम विशेष अवसर डेटी व्यक्तित्व विकास कर्ना तथा राज्यक सर्वांगीण विकासम योगदानक लाग उपयुक्त अवसर डेना,

(८) आदिवासी जनजातिक पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच पैना अधिकार सुनिश्चित करकलाग अवसर तथा लाभक लाग विशेष व्यवस्था कर्टी उ समुदायसे सरोकार ढर्ना निर्णयम सहभागी करैना तथा आदिवासी जनजाति ओ स्थानीय समुदायक परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा ओ अनुभवहन संरक्षण ओ संवर्धन कर्ना,

(९) अल्पसंख्यक समुदायहन आपन पहिचान कायम ढर्टी सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगक अवसर तथा लाभक लाग विशेष व्यवस्था कर्ना,

(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम ओ पिछडा वर्गहन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर ओ लाभक समान वितरण तथा ओसीन समुदाय भिट्टरक विपन्न नागरिकक संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासक अवसर तथा लाभक लाग विशेष व्यवस्था कर्ना,

(११) उत्पीडित तथा पाछ परल क्षेत्रक नागरिकक संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लाग विशेष व्यवस्था कर्ना,

(१२) सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डिहबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदाय भिट्टरक आर्थिक रूपले विपन्नहन प्राथमिकता डेना,

(१३) स्वस्थ, सक्षम ओ अनुशासित नागरिक तयार करकलाग खेलकूद तथा खेलाडीम योजनाबद्ध लगानी कर्ना ओ खेलकूदहन राष्ट्रिय एकता सुदृढ कर्ना एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रम राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि कर्ना माध्यमक रूपम विकास कर्ना,

(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाक लगानी ओ भूमिकाहन जवाफदेही ओ पारदर्शी बनैटी ओसीन संस्थाहुँकन्हँक स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन ओ व्यवस्थापनक लाग एकद्वार प्रणाली अपनैना ओ राष्ट्रिय आवश्यकता ओ प्राथमिकताक क्षेत्रम केल ओसिन संघ संस्थाहुँकन संलग्न करैना।

(ट) न्याय ओ दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति :

(१) न्याय प्रशासनहन छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी ओ जनउत्तरदायी बनैना,

(२) सामान्य प्रकृतिक विवाद समाधानक लाग मेलमिलाप, मध्यस्थता जसीन वैकल्पिक उपाय अवलम्बन कर्ना,

(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सक्कु क्षेत्रक भ्रष्टाचार ओ अनियमितता नियन्त्रणक लाग प्रभावकारी उपाय अवलम्बन कर्ना ।

(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति : नेपालक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक ओ प्राकृतिक सम्पदक पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रक महत्वपूर्ण आधारक रूपम पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगक विकास कर्ना, पर्यटन संस्कृतिक विकास करकलाग आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण कर्ना तथा पर्यटन उद्योगक लाभ वितरणम स्थानीय जनतन प्राथमिकता डेना ।

(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति :

(१) नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता ओ राष्ट्रिय हितक रक्षा करकलाग क्रियाशील रटी संयुक्त राष्ट्रसंघक बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलक सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून ओ विश्व शान्तिक मान्यताक आधारम राष्ट्रक सर्वोपरि हितहन ध्यानम ढर्टी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन कर्ना,

(२) विगतम हुइलक सन्धिक पुनरावलोकन कर्टी समानता ओ पारस्परिक हितक आधारम सन्धि सम्झौता कर्ना ।

५२. राज्यक दायित्व : नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता ओ स्वाधीनताहन अक्षुण्ण ढर्टी मौलिक हक तथा मानव अधिकारक संरक्षण ओ संवर्धन, राज्यक निर्देशक सिद्धान्तक अनुसरण तथा राज्यक नीतिक क्रमशः कार्यान्वयन कर्टी नेपालहन समृद्ध तथा समुन्नत बनैना राज्यक दायित्व हुइने बा ।

५३. प्रतिवेदन पेश कर्ना : यी भागम लिखगैल राज्यक निर्देशक सिद्धान्त, नीति ओ दायित्व कार्यान्वयनक सम्बन्धम कर्लक काम ओ प्राप्त उपलब्धि सहितक वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्ने बा ओ राष्ट्रपति ओसिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश कर्ना व्यवस्था कर्ने बा ।

५४. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था : यी भागम रहल राज्यक निर्देशक सिद्धान्त, नीति ओ दायित्वक प्रगतिशील कार्यान्वयन हुइल निहुइल अनुगमन ओ मूल्यांकन करकलाग संघीय संसदम कानून अन्सार एक समिति रहने बा ।

५५. अदालतम प्रश्न उठाए निसेकजैना : यी भागम लिखगैल कौनो विषय कार्यान्वयन हुइलक निहुइलक सम्बन्धम कौनो अदालतमा प्रश्न उठाए निसेकजाइ ।

भाग-५

राज्यक संरचना ओ राज्यशक्तिक बाँडफाँड

५६. राज्यक संरचना : (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालक मूल संरचना संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह कैख टीन तहक हुइने बा ।

(२) नेपालक राज्यशक्तिक प्रयोग संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहसे यी संविधान तथा कानून अन्सार कर्ने बा ।

(३) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला नेपालम कायम रहल अनुसूची-४ म उल्लेख हुईल अन्सारक जिल्ला रहल प्रदेश रहने बा ।

(४) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका ओ जिल्ला सभा रही । गाउँपालिका ओ नगरपालिकाम रहल वडाक संख्या संघीय कानून अन्सार हुइ ।

(५) संघीय कानून अन्सार सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासक लाग विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम करसेकजाइ ।

(६) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण ओ नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता ओ समानताम आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानक संरक्षण कर्ने बा ।

५७. राज्यशक्तिक बाँडफाँड : (१) संघक अधिकार अनुसूची-५ म लिखल बिषयम निहित रहक ओ ओसिन अधिकारक प्रयोग यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

(२) प्रदेशक अधिकार अनुसूची-६ म उल्लिखित विषयम निहित रही ओ ओसीन अधिकारक प्रयोग यी संविधान ओ प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

(३) संघ ओ प्रदेशक साझा अधिकार अनुसूची-७ म उल्लिखित विषयम निहित रही ओ ओसीन अधिकारक प्रयोग यी संविधान, संघीय कानून ओ प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

(४) स्थानीय तहक अधिकार अनुसूची-८ म उल्लिखित विषयम निहित रहने बा ओ ओसिन अधिकारक प्रयोग यी संविधान ओ गाउँ सभा वा नगर सभा बनैलक कानून अन्सार हुइने बा ।

(५) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहक साझा अधिकार अनुसूची-९ म उल्लिखित विषयम निहित रही ओ ओसीन अधिकारक प्रयोग यी संविधान ओ संघीय कानून, प्रदेश कानून ओ गाउँ सभा वा नगर सभा बनैलक कानून अन्सार हुइने बा ।

(६) उपधारा (३) वा (५) अन्सार प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभा कानून बनाइबेर संघीय कानूनसे निबझना कैख बनाय पर्ना ओ प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभा बनैलक ओसीन कानून संघीय कानूनसे बझ्लसे बाझल हदसम अमान्य हुइने बा ।

(७) उपधारा (५) अन्सार गाउँ सभा वा नगर सभा कानून बनाइबेर प्रदेश कानूनसे निबझना कैख बनाइ पर्ना ओ गाउँ सभा वा नगर सभा बनाइल ओसिन कानून प्रदेश कानूनसे बझ्लसे बाझल हदसम अमान्य हुइने बा ।

५८. अवशिष्ट अधिकार : यी संविधान अन्सार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहक अधिकारक सूची वा साझा सूचीम उल्लेख निहुइलक वा यी संविधानम कौनो तह प्रयोग कर्ना कैख नितोकरौल विषयम संघक अधिकार हुइने बा ।

५९. आर्थिक अधिकारक प्रयोग : (१) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह आपन अधिकारभित्रक आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयम कानून बनैना, वार्षिक बजेट बनैना, निर्णय कर्ना, नीति तथा योजना तयार कर्ना ओ वाकर कार्यान्वयन कर्ने बाट ।

(२) संघ साझा सूचीक विषयम ओ आर्थिक अधिकारक और क्षेत्रम प्रदेशहन समेत लागू हुइनाकैख आवश्यक नीति, मापदण्ड ओ कानून बनाए सेक्ने बा ।

(३) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह आपन-आपन तहक बजेट बनैने बाट ओ प्रदेश ओ स्थानीय तह बजेट पेश कर्ना समय संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

(४) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोतक प्रयोग वा विकाससे प्राप्त लाभक समन्यायिक वितरणक व्यवस्था कर पर्ने बा । ओसिन लाभक निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुक रूपम परियोजना प्रभावित क्षेत्र ओ स्थानीय समुदायहन कानून अन्सार वितरण कर पर्ने बा ।

(५) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोतक उपयोग करबेर स्थानीय समुदाय लगानी कर चहलसे लगानीक प्रकृति ओ आकारक आधारम कानून अन्सार अंश लगानी कर प्राथमिकता डिहे पर्ने बा ।

(६) वैदेशिक सहायता ओ रिन लेना अधिकार नेपाल सरकारक हुइने बा। ओसिन सहायता वा रिन लिहेबेर देशक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुइना कैख लिहे पर्ने बा।

(७) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहक बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा और वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइ।

६०. राजस्व स्रोतक बाँडफाँड : (१) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह आपन आर्थिक अधिकारक्षेत्र भिट्टरक विषयम कर लगाय ओ उ स्रोतसे राजस्व उठाई सेक्ने बा।

लेकिन साझा सूचीभिट्टरक विषयम ओ कौनो फे तहक सूचीम निपरल विषयम कर लगाय ओ राजस्व उठैना व्यवस्था नेपाल सरकार निर्धारण कर्लक अन्सार हुइने बा।

(२) नेपाल सरकार संकलन कर्लक राजस्व संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहहन न्यायोचित रुपम बंटना व्यवस्था मिलैने बा।

(३) प्रदेश ओ स्थानीय तह प्राप्त कर्लक वित्तीय हस्तान्तरणक परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक सिफारिस अन्सार हुइने बा।

(४) नेपाल सरकार प्रदेश ओ स्थानीय तहहन खर्चक आवश्यकता ओ राजस्वक क्षमताक आधारम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण कर्ने बा।

(५) प्रदेश नेपाल सरकारसे प्राप्त अनुदान ओ आपन स्रोतसे उठ्ना राजस्वहन मातहतक स्थानीय तहक खर्चक आवश्यकता ओ राजस्व क्षमताक आधारम प्रदेश कानून अन्सार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण कर्ने बा।

(६) नेपाल सरकार संघीय सञ्चित कोषसे प्रदान कर्ना सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा और प्रयोजनक लाग डेना विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा।

(७) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीच राजस्वक बाँडफाँड करबेर सन्तुलित ओ पारदर्शी रूपम कर पर्ने बा।

(८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाइबेर राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश ओ स्थानीय तहक स्वायत्तता, प्रदेश ओ स्थानीय तह जनतन पुगाइ पर्ना सेबा ओ हुँकन प्रदान करगैलक आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाय सेक्ना क्षमता, राजस्वक सम्भाव्यता ओ उपयोग, विकास निर्माणम करपर्ना सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी ओ असमानतक न्यूनीकरण, बञ्चितीकरणक अन्त्य, आकस्मिक कार्य ओ अस्थायी आवश्यकता पूरा करक लाग सहयोग कर पर्ना विषयम ध्यान डिहे पर्ने बा।

भाग-६

राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति

६१. राष्ट्रपति : (१) नेपालम एक राष्ट्रपति रहने बा ।

(२) राष्ट्रपति नेपालक राष्ट्राध्यक्ष हुइ । निज यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार आपन कार्य सम्पादन कर्ने बा ।

(३) राष्ट्रपति नेपालक राष्ट्रिय एकताक प्रवर्धन कर्ने बा ।

(४) संविधानक पालन ओ संरक्षण कर्ना राष्ट्रपतिक प्रमुख कर्तव्य हुइने बा ।

६२. राष्ट्रपतिक निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिक निर्वाचन संघीय संसदक सदस्य ओ प्रदेश सभक सदस्य मतदाता रहल निर्वाचक मण्डलसे हुइ । संघीय संसदक सदस्य ओ प्रदेश सभक सदस्यक मतभार संघीय कानून अन्सार फरक हुइ ।

(२) उपधारा (१) म जसिन बाट लिखगैलसेफे कौनो प्रदेशम प्रदेश सभक निर्वाचन निहुइलक कारणले केल राष्ट्रपतिक निर्वाचन प्रयोजनक लाग निर्वाचक मण्डल गठन कर बाधा पर्लक निमान जाइ ।

(३) उपधारा (१) अन्सार निर्वाचक मण्डलक तत्काल कायम रहल कुल मतक बहुमत प्राप्त कर्ना व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुइने बा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार कौनो उम्मेदवार बहुमत प्राप्त कर निसेक्लसे सबसे ढिउर मत प्राप्त कर्ना डुई उम्मेदवारहुँकन्हँक बीच मतदान हुइ ओ ओसिन मतदानम कुल मतक पचास प्रतिशतसे ढिउर मत प्राप्त कर्ना उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुइ ।

(५) उपधारा (४) अन्सार मतदानसे समेत कौनो उम्मेदवार कुल मतक पचास प्रतिशतसे ढिउर मत प्राप्त कर निसेक्लसे पुनः मतदान हुइ । ओसिन मतदानम खसल कुल सदर मतक ढिउर मत प्राप्त कर्ना उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुइ ।

(६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुइना राजनीतिक पदम बहाल रहल व्यक्ति यी धारा अन्सार राष्ट्रपति निर्वाचित हुइलसे निजक ओसिन पद स्वतः रिक्त हुइ ।

(७) राष्ट्रपतिक निर्वाचन ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

६३. राष्ट्रपतिक पदावधि : (१) राष्ट्रपतिक पदावधि निर्वाचित हुइलक मितिले पाँच वरषक रही ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक पदावधि समाप्त हुइलक राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति पदभार निसम्हालटसम यी संविधान अन्सारक कार्य सम्पादन कर्ने बा ।

६४. राष्ट्रपतिक योग्यता : (१) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रपति हुइकलाग योग्य हुइ :-

(क) संघीय संसदक सदस्य हुइना योग्य हुइलक,

(ख) कम्तीम पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(ग) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइलक ।

(२) उपधारा (१) म कौनोफे बाट लिखगैलक हुइलसेफे डुइ फ्यारा राष्ट्रपति निर्वाचित होसेक्लक व्यक्ति राष्ट्रपतिक निर्वाचनम उम्मेदवार ह्वाय निसेकी ।

६५. राष्ट्रपतिक पद रिक्त हुइना अवस्था : देहायक कौनो अवस्थाम राष्ट्रपतिक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

६६. राष्ट्रपतिक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रपति यी संविधान वा संघीय कानून अन्सार निजहन प्राप्त अधिकारक प्रयोग ओ कर्तव्यक पालन करी ।

(२) उपधारा (१) अन्सार अधिकारक प्रयोग वा कर्तव्यक पालन करबेस यी संविधान वा संघीय कानून अन्सार कौनो निकाय वा पदाधिकारीक सिफारिसम कर्ना कैख किटानीसाथ व्यवस्था हुइलक कार्य बाहेक राष्ट्रपतिसे सम्पादन करजैना और कौनोफे कार्य मन्त्रिपरिषदक सिफारिस ओ सम्मतिसे हुइने बा । ओसिन सिफारिस ओ सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुइ ।

(३) उपधारा (२) अन्सार राष्ट्रपतिक नाउँम हुइना निर्णय वा आदेश ओ तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रक प्रमाणीकरण संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

६७. उपराष्ट्रपति : (१) नेपालम एक उपराष्ट्रपति रहने बा ।

(२) राष्ट्रपतिक अनुपस्थितिम राष्ट्रपतिसे करजैना काम उपराष्ट्रपतिसे सम्पादन कर जाइ ।

(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुइना राजनीतिक पदम बहाल रहल कौनो मनैयाँ उपराष्ट्रपतिक पदम निर्वाचित हुइलसे निजक ओसिन पदस्वतः रिक्त हुइ ।

६८. उपराष्ट्रपतिक पद रिक्त हुइना अवस्था : देहायक कौनो अवस्थाम उपराष्ट्रपतिक पद रिक्त हुइ :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

६९. उपराष्ट्रपति सम्बन्धी और व्यवस्था : उपराष्ट्रपतिक योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिक सरह हुइ ।

७०. राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हुइना : यी संविधान अन्सार राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायक प्रतिनिधित्व हुइना कैह कर पर्ना बा ।

७१. राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक शपथ : राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति आपन कार्यभार सम्हल्नासे आघ संघीय कानून अन्सार राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश समक्ष ओ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताक शपथ लिहे पर्ना बा ।

७२. राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक पारिश्रमिक तथा सुविधा : राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक पारिश्रमिक तथा और सुविधा संघीय ऐन अन्सार हुइने बा ओ ओसिन ऐन निबनटसम नेपाल सरकार त्वाकल अन्सार हुइ ।

७३. राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक कार्यालय : (१) राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक कार्य सम्पादनक लाग छुट्टछुट्ट कार्यालय रही ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक कार्यालयक काम कारबाही सञ्चालन कर आवश्यक कर्मचारी तथा और व्यवस्था नेपाल सरकार करी ।

भाग-७

संघीय कार्यपालिका

७४. शासकीय स्वरूप : नेपालक शासकीय स्वरूप बहुलवादम आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुइ ।

७५. कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालक कार्यकारिणी अधिकार यी संविधान ओ कानून अन्सार मन्त्रिपरिषदम निहित रही ।

(२) यी संविधान ओ कानूनक अधीनम रहक नेपालक शासन व्यवस्थाक सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण ओ सञ्चालन कर्ना अभिभारा मन्त्रिपरिषदम रही ।

(३) नेपालक संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारक नाउँम हुइने बा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार नेपाल सरकारक नाउँमा हुइना निर्णय वा आदेश ओ तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रक प्रमाणीकरण संघीय कानून अन्सार हुइ ।

७६. मन्त्रिपरिषदक गठन : (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभाम बहुमत प्राप्त संसदीय दलक नेताहन प्रधानमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ओ निजक अध्यक्षताम मन्त्रिपरिषदक गठन हुइ ।

(२) उपधारा (१) अन्सार प्रतिनिधि सभाम कौनोफे दलक स्पष्ट बहुमत निरलक अवस्थाम प्रतिनिधि सभाम प्रतिनिधित्व कर्ना दुई वा दुई से ढिउर दलहुँकन्हँक समर्थनम बहुमत प्राप्त कर सेक्ना प्रतिनिधि सभक सदस्यहन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

(३) प्रतिनिधि सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइलक मितिले तीस दिनभिट्टर उपधारा (२) अन्सार प्रधानमन्त्री नियुक्ति ह्वाय सेक्ना अवस्था निहुइलसे वा असिक नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मर्त प्राप्त कर निसेक्लसे राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभाम सबसे ढिउर सदस्य हुइलक दलक संसदीय दलक नेताहन प्रधानमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

(४) उपधारा (२) वा (३) अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओसिक नियुक्त हुइलक मितिले तीस दिनभिट्टर प्रतिनिधि सभासे विश्वासक मत प्राप्त कर पर्ने बा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मत प्राप्त कर निसेक्लसे उपधारा (२) अन्सारक कौनो सदस्य प्रतिनिधि सभाम विश्वासक मत प्राप्त कर सेक्ना आधार प्रस्तुत कर्लसे राष्ट्रपति ओसिन सदस्यहन प्रधानमन्त्री नियुक्त कर्नेबा ।

(६) उपधारा (५) अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मत प्राप्त करपर्ने बा ।

(७) उपधारा (५) अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री विश्वासक मत प्राप्त कर निसेक्लसे वा प्रधानमन्त्री नियुक्त ह्वाय निसेक्लसे प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन कैख छ मैन्हाँ भिट्टर और प्रतिनिधि सभक निर्वाचन सम्पन्न हुइना कैख निर्वाचनक मिति टोक्ने बा ।

(८) यी संविधान अन्सार हुइलक प्रतिनिधि सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइलक वा प्रधानमन्त्रीक पद रिक्त हुइलक मितिले पैंतीस दिनभिट्टर यी धारा अन्सार प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न कर पर्ने बा ।

(९) राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम संघीय संसदक सदस्यमध्येसे समावेशी सिद्धान्त अन्सार प्रधानमन्त्री सहित बढ़ीम पच्चीस जन मन्त्री रहल मन्त्रिपरिषद गठन कर्ने बा । स्पष्टीकरण : यी भागक प्रयोजनक लाग "मन्त्री" कहबेर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री ओ सहायक मन्त्री सम्झ पर्ठा ।

(१०) प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री सामूहिक रूपम संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुइने बाट ओ मन्त्री आफ्न मन्त्रालयक कामक लाग व्यक्तिगत रूपम प्रधानमन्त्री ओ संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुइने बाट ।

७७. <u>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीक पद रिक्त हुइना अवस्था :</u> (१) देहायक कौनो अवस्थाम प्रधानमन्त्रीक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) धारा १०० अन्सार विश्वासक प्रस्ताव पारित ह्वाय निसेक्लसे वा निजक विरुद्ध अविश्वासक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) निज प्रतिनिधि सभक सदस्य निरलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(२) देहायक कौनो अवस्थाम मन्त्रीक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) प्रधानमन्त्री निजहन पदमुक्त कर्लसे,

(ग) उपधारा (१) क खण्ड (क), (ख) वा (ग) अन्सार प्रधानमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(३) उपधारा (१) अन्सार प्रधानमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसे और मन्त्रिपरिषद गठन निहुइटसम सोही मन्त्रिपरिषद कार्य सञ्चालन कर्ने बा । लेकिन प्रधानमन्त्रीक मृत्यु हुइलसे और प्रधानमन्त्री नियुक्ति निहुइट सम्मकलाग वरिष्ठतम मन्त्री प्रधानमन्त्रीक रूपम कार्य सञ्चालन कर्ने बा ।

७८. संघीय संसदक सदस्य निहुइलक व्यक्ति मन्त्री हुइना: (१) धारा ७६ क उपधारा (९) म जसिन बाट लिखल हुइलसेफे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम संघीय संसदक सदस्य निहुइलक व्यक्तिहन मन्त्री पदम नियुक्त कर सेक्ने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार नियुक्त मन्त्री शपथग्रहण कर्लक मितिले छ महीनाभिट्टर संघीय संसदक सदस्यता प्राप्त कर पर्ने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक अवधिभिट्टर संघीय संसदक सदस्यता प्राप्त कर निसेक्लसे तत्काल कायम रहल प्रतिनिधि सभाके कार्यकालभर निज मन्त्री पदम पुनः नियुक्तिक लागि योग्य निरही ।

(४) उपधारा (१) म ज्याजसिन बाट लिखलक हुइलसेफे तत्काल कायम रहल प्रतिनिधि सभक निर्वाचनम पराजित हुइलक व्यक्ति ओसिन प्रतिनिधि सभक कार्यकालम उपधारा (१) अन्सार मन्त्री पदम नियुक्तिक लाग योग्य निहुइ ।

७९. प्रधानमन्त्री ओ मन्त्रीक पारिश्रमिक तथा और सुविधा : प्रधानमन्त्री ओ मन्त्रीक पारिश्रमिक ओ और सुविधा संघीय ऐन अन्सार हुइने बा । ओसिन ऐन निबनटसम नेपाल सरकार तोक्लक अन्सार हुइने बा ।

८०. शपथ : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री ओ मन्त्री राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री ओ सहायक मन्त्री प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्न कार्यभार सम्हल्ना आघ संघीय कानून अन्सार पद तथा गोपनीयताक शपथ लिहे परी ।

८१. राष्ट्रपतिहन जानकारी डेना : प्रधानमन्त्री देहायक विषयम राष्ट्रपतिह जानकारी करैने बा । :-

(क) मन्त्रिपरिषदक निर्णय,

(ख) संघीय संसदम पेश करजैना विधेयक,

(ग) खण्ड (क) ओ (ख) म उल्लिखित विषयम राष्ट्रपति जानकारी मंग्लक् और आवश्यक विवरण, ओ

(घ) नेपालक समसामयिक परिस्थिति ओ वैदेशिक सम्बन्धक विषय ।

८२. नेपाल सरकारक कार्य सञ्चालन : (१) नेपाल सरकारसे स्वीकृत नियमावली अन्सार नेपाल सरकारक कार्य विभाजन ओ कार्य सम्पादन हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गतक नियमावलीक पालन हुइल वा निहुइल कना प्रश्न कौनो अदालतम उठाय निसेकजाइ ।

भाग-८

संघीय व्यवस्थापिका

८३. संघीय व्यवस्थापिका : प्रतिनिधि सभा ओ राष्ट्रिय सभा नाउँक डुइ सदन सहितक एक संघीय व्यवस्थापिका रही जेहीहन संघीय संसद कैजाइ ।

८४. प्रतिनिधि सभक गठन : (१) प्रतिनिधि सभाम देहाय अन्सार डुई सय पचहत्तर सदस्य रहने बाट :-

(क) नेपालहन▲भूगोल ओ जनसंख्याक आधारम एक सय पैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम कैख प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रसे एक जन रहना कैख पहिला हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार निर्वाचित हुइना एक सय पैसठ्ठी सदस्य,

(ख) सम्पूर्ण देशहन एक निर्वाचन क्षेत्र मानख राजनीतिक दलहन मत डेना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्सार निर्वाचित हुइना एक सय दश सदस्य ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्सार हुइना प्रतिनिधि सभक निर्वाचनक लाग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डिहेबेर जनसंख्याक आधारम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पाछपरल क्षेत्र समेतसे बन्द सूचीक आधारम प्रतिनिधित्व करैना व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा । ओसिख उम्मेदवारी डिहेबेर् भूगोल ओ प्रादेशिक सन्तुलनहन समेत ध्यान डिहे पर्ने बा ।

स्पष्टीकरण : यी उपधाराक प्रयोजनक लाग "खस आर्य" कहबेर क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झ पर्ठा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार राजनीतिक दल उम्मेदवारी डिहेबेर अपांगता हुइलक व्यक्तिक समेत प्रतिनिधित्व हुइना व्यवस्था कर पर्ने बा ।

(४) उपधारा (१) अन्सार हुइना प्रतिनिधि सभा सदस्यक निर्वाचन कानून अन्सार गोप्य मतदानसे हुइने बा ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा हुइलक प्रत्येक नेपाली नागरिकहन संघीय, कानून अन्सार कौनो एक निर्वाचन क्षेत्रम मतदान कर्ना अधिकार हुइने बा ।

(६) प्रतिनिधि सभक सदस्यक लाग हुइना निर्वाचनम मतदान कर्ना अधिकार पैलक धारा ८७ अन्सार योग्यता पुग्लक व्यक्ति संघीय कानूनक अधीनम रहक कौनोफे निर्वाचन क्षेत्रसे उम्मेदवार ह्वाय पैने बा ।

लेकिन एक्क व्यक्ति एकसे ढिउर निर्वाचन क्षेत्रम एक्कचो उम्मेदवार ह्वाय निपाइ ।

▲ पहिला संसोधनसे संसोधित

(७) प्रतिनिधि सभक कार्यकाल छ मैन्हाँसे ढिउर अवधि बाँकी रहलम कौनो सदस्यक स्थान रिक्त हुइलसे ओसिन स्थान जौन निर्वाचन प्रणालीसे पूर्ति हुइल रह उहो प्रक्रियासे पूर्ति करजाइ ।

(८) यी भागम और ठाउँम ज्याजसिन बाट लिखगैलसेफे संघीय संसदम प्रतिनिधित्व कर्ना प्रत्येक राजनीतिक दलसे निर्वाचित कुल सदस्य संख्याक कम्तीम एक तिहाइ सदस्य महिला ह्वाय पर्ना बा । असिख निर्वाचित करबेर उपधारा (१) क खण्ड (क) ओ धारा ८६ क उपधारा (२) क खण्ड (क) अन्सार निर्वाचित सदस्य मध्ये कौनो राजनीतिक दलक एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित ह्वाय निसेक्लसे असिन राजनीतिक दल उपधारा (१) क खण्ड (ख) अन्सार सदस्य निर्वाचित करबेर आपन दलसे संघीय संसदम निर्वाचित हुइना कुल सदस्यक कम्तीम एक तिहाइ महिला सदस्य हुइना कैख निर्वाचित कर पर्ने बा ।

(९) प्रतिनिधि सभाक निर्वाचन ओ तत्सम्बन्धी और विषय संघीय कानून अन्सार हुईने बा ।

८५. प्रतिनिधि सभक कार्यकाल : (१) यी संविधान अन्सार आगहें विघटन हुइलकम बाहेक प्रतिनिधि सभाके कार्यकाल पाँच वर्षक हुइ ।

(२) उपधारा (१) म जसिन बाट लिखगैलक हुईलसेफे संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश लागू रलक अवस्थाम् संघीय ऐन अन्सार प्रतिनिधि सभक कार्यकाल एक वरषम निबहरना कैख थप कर सेकजैने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार थप करगैलक प्रतिनिधि सभक कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश खारेज हुइलक मितिले छ मैन्हाँ पुग्लक पाछ स्वतः समाप्त हुइने बा ।

८६. राष्ट्रिय सभाके गठन ओ सदस्यहुँकन्हँक पदावधि : (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुइने बा ।

(२) राष्ट्रिय सभाम देहाय अन्सारक उनन्साठी सदस्य रहनेबाट :-

(क) प्रदेश सभक सदस्य, गाउँपालिकाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाक प्रमुख ओ उपप्रमुख रहल निर्वाचक मण्डलसे संघीय कानून अन्सार प्रदेश सभक सदस्य, गाउँपालिकाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाक प्रमुख ओ उपप्रमुखक मतक भार फरक हुइना कैख प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीम टिन जन महिला, एक जन दलित ओ एक जन अपांगता हुइलक व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जन कैख निर्वाचित छपन्न जन,

(ख) नेपाल सरकारक सिफारिसम राष्ट्रपतिसे मनोनीत कम्तीम एक जना महिला सहित टीन जन ।

(३) राष्ट्रिय सभक सदस्यहुँकन्हँक पदावधि छ बरषक हुइने बा । राष्ट्रिय सभक एक तिहाइ सदस्यक पदावधि प्रत्येक दुई बरषम समाप्त हुइने बा । लेकिन यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ पैल्ह फ्यारा सदस्यक पदावधि कायम करबेर गोला प्रथासे एक तिहाइक दुई बरष, और एक तिहाइक चार बरष ओ बाँकी एक तिहाइक छ बरष हुइना कैख पदावधि कायम करजाइ ।

(४) यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ राष्ट्रिय सभक सदस्यक पैल्हा फ्यारा पदावधि गणना करबेर राष्ट्रिय सभक पैल्हा कचेह्री बैठलक डिनसे सम्पूर्ण सदस्यहुँकन्हँक पदावधि प्रारम्भ हुइलक मानजाइ ।

(५) राष्ट्रिय सभक रिक्त ह्वाय अइना स्थानक पूर्ति ओसिन स्थान रिक्त कर्ना सदस्यक निर्वाचन वा मनोनयन जौन तरीकाले हुइलरह उहो तरीकाले बाँकी अवधिक लाग करजाइ ।

(६) राष्ट्रिय सभक सदस्यक निर्वाचन सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

८७. सदस्यक लाग योग्यता : (१) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति संघीय संसदक सदस्य हुइना योग्य हुइने बाट :-

(क) नेपालक नागरिक,

(ख) प्रतिनिधि सभक लाग पच्चीस बरष ओ राष्ट्रिय सभक लाग पैतीस बरष उमेर पूरा हुईलक,

(ग) नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम सजाय निपाइल,

(घ) कौनो संघीय कानूनले अयोग्य निहुइल, ओ

(ङ) कौनो लाभक पदम बहाल निरहल ।

स्पष्टीकरण : यी खण्डक प्रयोजनक लाग "लाभक पद" कहबेर निर्वाचन वा मनोनयनसे पूर्ति करजैना राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषसे पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पैना और पद सम्झ पर्ठा ।

(२) कौनो फे व्यक्ति एक्क फ्यारा डुनु सदनक सदस्य ह्वाय निसेकी ।

(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुइना राजनीतिक पदम बहाल रहल व्यक्ति यी भाग अन्सार संघीय संसदक सदस्य पदम निर्वाचित वा मनोनीत

हुइलसे संघीय संसदक सदस्य पदक शपथ ग्रहण कर्लक डिनसे निजक ओसिन पद स्वतः रिक्त हुइने बा ।

८८. शपथ : संघीय संसदक प्रत्येक सदनक सदस्य सदन वा वाकर कौनो समितिक कचेह्रीम पैल्हा फ्यारा भाग लेनासे आघ संघीय कानून अन्सार शपथ लिहे पर्नेबा ।

८९. स्थानक रिक्तता : देहायक कौनो अवस्थाम संघीय संसदक सदस्यक स्थान रिक्त हुइने बा :-

(क) निज सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक धारा ८७ अन्सारक योग्यता निहुइलसे वा निरलसे,

(ग) प्रतिनिधि सभक कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(घ) निज सम्बन्धित सदनहन सूचना निडेख लगातार दशठो कचेह्रीम अनुपस्थित रलसे,

(ङ) जौन दलक उम्मेदवार होख सदस्य निर्वाचित हुइलक हो ओसीन दल संघीय कानून अन्सार निज दल त्याग कर्लक बाट सूचित कर्लसे,

(च) निजक मृत्यु हुइलसे ।

९०. सदस्यक लाग अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : संघीय संसदक कौनो सदस्य धारा ८७ अन्सार अयोग्य बा वा ह्वाय गैलबा कना प्रश्न उठ्लसे वाकर अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतक संवैधानिक इजलास कर्नेबा ।

९१. प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख : (१) प्रतिनिधि सभक पैल्हा कचेह्री प्रारम्भ हुइलक मितिले पन्ध्र डिन भित्र प्रतिनिधि सभक सदस्यहुँक अप्न मध्येसे प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुखक निर्वाचन कर्नें बाट ।

(२) उपधारा (१) अन्सार निर्वाचन करबेर प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख मध्ये एक जन महिला हुइना कैख कर पर्नें बा ओ प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख फरक फरक दलक प्रतिनिधि हुइ पर्नें बा ।

लेकिन प्रतिनिधि सभाम एकसे ढिउर दलक प्रतिनिधित्व निहुइलक वा प्रतिनिधित्व होख फे उम्मेदवारी निडेलक अवस्थाम एक्क दलक सदस्य प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख ह्वाय बाधा निपरी ।

(३) प्रतिनिधि सभक सभामुख वा उपसभामुखक पद रिक्त हुइलसे प्रतिनिधि सभक सदस्यहुँक अप्न मध्येसे प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुखक निर्वाचन कैख रिक्त स्थानक पूर्ति कर्ने बाट ।

(४) प्रतिनिधि सभक सभामुखक अनुपस्थितिम उपसभामुख प्रतिनिधि सभक अध्यक्षता कर्नेबा ।

(५) प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुखक निर्वाचन निहुइलक वा डुनु पद रिक्त हुइलक अवस्थाम प्रतिनिधि सभक कचेह्रीक अध्यक्षता जुटल सदस्य मध्ये उमेरक हिसाबले ज्याठ सदस्य कर्ने बा ।

(६) टर लिखगैलक कौनो अवस्थाम प्रतिनिधि सभक सभामुख वा उपसभामुखक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज प्रतिनिधि सभक सदस्य निरलसे, लेकिन प्रतिनिधि सभा विघटन हुइलक अवस्थाम आपन पदम बहाल रहल प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख प्रतिनिधि सभक लाग हुइना और निर्वाचनक उम्मेदवारी दाखिल कर्ना आघक डिनसम आपन पदम बहाल रहने बा ।

(ख) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ग) निज पद अनुकूल आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव प्रतिनिधि सभक तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक डुई तिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे ।

(७) प्रतिनिधि सभक सभामुख पद अनुकूलक आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव उपर छलफल हुइना कचेह्रीक अध्यक्षता प्रतिनिधि सभक उपसभामुख कर्ने बा । ओसिन प्रस्तावक छलफलम प्रतिनिधि सभक सभामुख भाग लिहे ओ मत डिहे पैने बा ।

९२. राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष : (१) राष्ट्रिय सभक पैल्हा कचेह्री प्रारम्भ हुइलक मितिले पन्ध डिन भित्र राष्ट्रिय सभक सदस्यहुँक अप्नमध्येसे राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक निर्वाचन कर्ने बाट ।

(२) उपधारा (१) अन्सार निर्वाचन करबेर राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष मध्ये एक जन महिला हुइना कैख कर पर्ने बा ।

(३) राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक पद रिक्त हुइलसे राष्ट्रिय सभक सदस्यहुँक अप्नमध्येसे राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक निर्वाचन कैख रिक्त स्थानक पूर्ति कर्ने बाट ।

(४) राष्ट्रिय सभाके अध्यक्षक अनुपस्थितिम राष्ट्रिय सभक उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभक अध्यक्षता कर्ने बा ।

(५) राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक निर्वाचन निहुइलक वा पद रिक्त हुइलक अवस्थाम राष्ट्रिय सभक कचेह्रीक अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरक हिसाबले ज्याठ सदस्य कर्ने बा ।

(६) टर लिखल कौनो अवस्थाम राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रिय सभक सदस्य निरलसे,

(ख) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ग) निज पद अनुकूल आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव राष्ट्रिय सभक तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक डुई तिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे ।

(७) राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष पद अनुकूलक आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव उपर छलफल हुइना कचेह्रीक अध्यक्षता राष्ट्रिय सभक उपाध्यक्ष कर्ने बा । ओसिन प्रस्तावक छलफलम राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष भाग लिहे ओ मत डिहे पैने बा ।

९३. अधिवेशनक आव्हान ओ अन्त्य : (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभक लाग हुइलक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइलक मितिले टीस डिन भित्र संघीय संसदक अधिवेशन बलैने बा । बाकरपाछ यी संविधान अन्सार राष्ट्रपति समय समयम डुनु वा कौनो सदनक अधिवेशन बलैने बा ।

लेकिन एकठो अधिवेशनक ओरैना ओ और अधिवेशनक सुरु हुइना बीचक अवधि छ मैन्हाँसे ढिउर निरही ।

(२) राष्ट्रपति संघीय संसदक डुनु वा कौनो सदनक अधिवेशनक अन्त्य कर सेक्ने बा ।

(३) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभक अधिवेशन चालू निरहल वा कचेह्री स्थगित हुइलक अवस्थाम अधिवेशन वा कचेह्री बलाय वाञ्छनीय बा कना प्रतिनिधि सभक सक्कु सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्यहुँक लिखित अरजी कर्लसे ओसिन अधिवेशन वा कचेह्री बैठना मिति ओ समय टोक्ने बा । ओसिख तोकगैल मिति ओ समयम प्रतिनिधि सभक अधिवेशन प्रारम्भ हुइना वा कचेह्री बैठने बा ।

९४. गणपूरक संख्या : यी संविधानम अन्यथा लिखगैलक बाहेक संघीय संसदक कौनोफे सदनक कचेह्रीम सम्पूर्ण सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्य उपस्थित निहुइटसम कौनो प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयकलाग प्रस्तुत ह्वाय निसेकी ।

९५. राष्ट्रपतिसे सम्बोधन : (१) राष्ट्रपति संघीय संसदक कौनो सदनक कचेह्री वा डुनु सदनक संयुक्त कचेह्रीहन सम्बोधन कर ओ वाकरलाग सदस्यक उपस्थिति आह्वान कर सेक्ने बा ।

(२) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभक निर्वाचन पाछक पहिलो अधिवेशन व प्रत्येक वर्षक पहिला अधिवेशन प्रारम्भ हुईलक पाछ संघीय संसदक डुनु सदनक संयुक्त बैठकक सम्बोधन कर्ने बा ।

९६. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री ओ सहायक मन्त्री डुनु सदनक कचेह्रीम भाग लिहे पैना : उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री ओ सहायक मन्त्रीहुँक संघीय संसदक कौनो सदन वा वाकर समितिम उपस्थित ह्वाय ओ कारबाही तथा छलफलम भाग लिहे पैने बाट । लेकिन अप्न सदस्य निहुइलक सदन वा वाकर समितिम मतदान कर निपहीं ।

९७. समितिक गठन : (१) प्रतिनिधि सभा ओ राष्ट्रिय सभा संघीय कानून अन्सार समिति गठन कर सेक्ना ।

(२) संघीय संसदक डुइ सदनक बीचक कार्यप्रणालीहन व्यवस्थित कर, कौनो विधेयकम रहल मतभिन्नता अन्त्य कर वा और कौनो खास कार्यक लाग डुनु सदनक संयुक्त समिति गठन करजाय कैह्व कौनो सदन प्रस्ताव पारित कर्लसे संयुक्त समितिक गठन करजाइ । ओसिन संयुक्त समितिम प्रतिनिधि सभक सदस्य पाँच जन ओ राष्ट्रिय सभक सदस्य एक जन्हँक अनुपातम समावेशितक आधारम बढीम पच्चीस जन सदस्य रनेबाट ।

९८. सदस्यक स्थान रिक्त रलक अवस्थाम सदनक कार्य सञ्चालन : संघीय संसदक कौनो सदस्यक स्थान रिक्त हुइलसेफे सदन आपन कार्य सञ्चालन कर सेक्ने, बा । संघीय संसदक कौनो सदनक कारबाहीम भाग लिहे निपैना कौनो व्यक्ति भाग लेलक बाट पाछ पत्ता लागल कलसेफे होस्याकल कार्य अमान्य निहुइ ।

९९. मतदान : यी संविधानम अन्यथा व्यवस्था करगैलकम बाहेक संघीय संसदक कौनो सदनम निर्णयक लाग प्रस्तुत करगैलक कौनोफे प्रस्तावक निर्णय उपस्थित होख मतदान कर्ना सदस्यहुँकन्हँक बहुमतसे हुइने बा । अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिहन मत डेना अधिकार निरने हो । लेकिन मत बराबर हुइलम निज आपन निर्णायक मत डेनेबा ।

१००. विश्वासक मत ओ अविश्वासक प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानमन्त्री कौनोफे व्याला आपन उप्पर प्रतिनिधि सभक विश्वास बा कना बाट स्पष्ट कर आवश्यक वा उपयुक्त ठन्लसे विश्वासक मतक लाग प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव ढर सेक्ने बा ।

(२) प्रधानमन्त्री प्रतिनिधित्व कर्ना दल विभाजित हुइलकम वा सरकारम सहभागी दल आफ्न समर्थन फिर्ता लेलसे तीस डिनभिट्टर प्रधानमन्त्री विश्वासक मतक लाग प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव ढर पर्ने बा ।

(३) उपधारा (१) ओ (२) अन्सार पेश हुइलक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रलक सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतसे पारित ह्वाय निसेक्लसे प्रधानमन्त्री आफ्न पदसे मुक्त हुइने बा ।

(४) प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्यहुँक मध्ये एक चौथाइ सदस्य प्रधानमन्त्रीउप्पर सदनक विश्वास निहो कैह लिखित रूपम अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर सेक्ने बाट । लेकिन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुइलक पहिलो दुई बरषसम ओ एक फ्यारा ढर्लक अविश्वासक प्रस्ताव असफल हुइलक एक बरष भिट्टर अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर निसेकजाइ ।

(५) उपधारा (४) अन्सार अविश्वासक प्रस्ताव पेश करवेर प्रधानमन्त्रीक लाग प्रस्तावित सदस्यक नाउँ समेत उल्लेख करल हुइ पर्ने बा ।

(६) उपधारा (४) अन्सार पेश हुइलक अविश्वासक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतसे पारित हुइलसे प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुइने बा ।

(७) उपधारा (६) अन्सार अविश्वासक प्रस्ताव पारित होख प्रधानमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसे उपधारा (५) अन्सार प्रस्ताव करगैलक प्रतिनिधि सभा सदस्यहन राष्ट्रपति धारा ७६ अन्सार प्रधानमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

१०१. महाभियोग : (१) यी संविधान ओ कानूनक गम्भीर उल्लंघन कर्लक आधारम प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्य राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगक प्रस्ताव पेश कर सेक्ने बाट । ओसिन प्रस्ताव संघीय संसदक दुनु सदनक तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक कम्तीम दुइ तिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे निज पदमसे मुक्त हुइने बा ।

(२) यी संविधान ओ कानूनक गंभीर उल्लंघन कर्लक, कार्यक्षमताक अभाव वा खराब आचरण हुइलक वा इमानदारीपूर्वक आपन पदीय कर्तव्यक पालन निकर्लक वा आचार संहिताक गम्भीर उल्लंघन कर्लक कारणले आपन पदीय जिम्मेवारी पूरा कर निसेक्लक आधारम प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्य नेपालक प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश, न्याय परिषदक सदस्य, संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारीक विरुद्ध महाभियोगक प्रस्ताव पेश कर सेक्ने बाट । ओसिन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाम तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक कम्तीम डुई तिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे सम्बन्धित व्यक्ति पदमसे मुक्त हुइने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार कौनो व्यक्तिक विरुद्ध महाभियोगक प्रस्ताव पेश कर्ना आधार ओ कारण विद्यमान हुइलक निहुइलक छानवीन कैख सिफारिस कर्ना प्रयोजनक लाग प्रतिनिधि सभाम एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने बा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार समितिम प्रतिनिधि सभक एघार जन सदस्य रहने बाट ।

(५) उपधारा (२) अन्सार महाभियोगसे पदमुक्त हुइना व्यक्ति संविधानक गम्भीर उल्लंघन कर्लक वा कार्यक्षमताक अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वक पालन इमानदारीपूर्वक निकर्लक वा आचार संहिताक गम्भीर उल्लंघन कर्लक कना आधारम प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहल कैख प्रतिनिधि सभक कम्तीम तीन जन सदस्य प्रमाणित कैख पेश कर्लसे उपधारा (३) अन्सारक समिति ओसिन उजुरीउप्पर संघीय कानून अन्सार छानबिन कैख महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीक लाग प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस कर्लसे उपधारा (२) अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पेश ह्वाय सेक्ने बा ।

(६) उपधारा (२) अन्सार महाभियोगक कारबाही प्रारम्भ हुइलक पाछ नेपालक प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश, न्यायपरिषदक सदस्य, संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारी ओसिन कारबाहीक टुंगो निलागटसम आपन पदक कार्य सम्पादन कर निपाइ ।

(७) उपधारा (१) वा (२) अन्सार महाभियोगक चोरी लागल मनैयहन सफाइ पेश कर्ना मनासिब मौका डिहे पर्ने बा ।

(८) यी धारा अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित होख पदमुक्त हुइलक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालक प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश, न्यायपरिषदक सदस्य, संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारी

पदमा रहबेर कौनो कसूर कर्लकरलसे ओसिन कसूरम संघीय कानून अन्सार कारबाही कर बाधा निपरी ।

(९) उपधारा (१) वा (२) अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित होख पदमुक्त हुइलक व्यक्ति ओसिन पदसे पैना कौनो सुविधा लिहे ओ भविष्यम कौनो फे सार्वजनिक पदम नियुक्ति वा मनोनयन ह्वाय निसेकी ।

(१०) महाभियोग सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

१०२. अनधिकार उपस्थित हुइलकम वा मतदान कर्लकम सजाय : धारा ८८ अन्सार शपथ निलेलक वा संघीय संसदक सदस्य निहुइलक कौनो व्यक्ति सदस्यक हैसियतले संघीय संसदक कौनो सदन वा वाकर समितिक कचेह्रीम उपस्थित हुइलसे वा मतदान कर्लसे निजहन ओसिन कचेह्रीक अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिक आदेशले ओसिख उपस्थित हुइलक वा मतदान कर्लक प्रत्येक फ्यारक लाग पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुइनेबा ओ ओसिन जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर करजैने बा ।

१०३. विशेषाधिकार : (१) यी संविधानक अधीनम रहख संघीय संसदक डुनु सदनम पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेबा ओ सदनम व्यक्त कर्लक कौनो बाट वा डिहेल मतहन लेख कौनो फे सदस्यहन पक्राउ कर्ना, थुनाम ढर्ना वा निज उपर कौनो अदालतम कारबाही निचलाजाइ ।

(२) यी संविधानक अधीनम रहख संघीय संसदक प्रत्येक सदनहन आपन काम कारबाही ओ निर्णय कर्ना पूर्ण अधिकार रहनेबा ओ सदनक कौनो कारबाही नियमित बा वा निहो कैख निर्णय कर्ना अधिकार सम्बन्धित सदनहन केल हुइनेबा । यी सम्बन्धम कौनो अदालतम प्रश्न निउठाजाइ ।

(३) संघीय संसदक कौनो सदनक कौनोफे कारबाही उप्पर वाकर असल नियतक बिषयम शंका उठाक कौनो टीका-टिप्पणी निकरजाइ ओ कौनो सदस्य बोल्लक कौनो बाटक सम्बन्धम जान-जानख गलत वा भ्रामक अर्थ लगाय कौनो मेह्रीक प्रकाशन वा प्रसारण कर निपाजाइ ।

(४) उपधारा (१) ओ (३) क व्यवस्था संघीय संसदक सदस्य बाहेक सदनक कचेह्रीम भाग लिहे पैना और व्यक्तिक हकम फे लागू हुइनेबा ।

(५) संघीय संसदक कौनो सदन डेलक अधिकार अन्तर्गत कौनो लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित कर्लक विषयहन लेख कौनो मनैयाँ उपर अदालतम कारबाही निचलाजाइ ।

स्पष्टीकरण : यी उपधारा ओ उपधारा (१), (२), (३) ओ (४) क प्रयोजनक लाग "सदन" कहबेर प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले

संघीय संसदक संयुक्त कचेह्री वा समिति वा संयुक्त समितिहन समेत जनैठा ।

(६) संघीय संसदक कौनो फे सदस्यहन अधिवेशन बलैलक सूचना जारी हुइलक पाछ अधिवेशन अन्त्य निहुइटसम्मक अवधिभर पक्राउ निकरजाइ ।

लेकिन कौनो फौजदारी अभियोगम कौनो सदस्यहन संघीय कानून अन्सार पक्राउ कर यी उपधारा बाधा पुगाइल निमानजाइ । ओसिख कौनो सदस्य पक्राउ करगैलसे पक्राउ कर्ना अधिकारी बाकर सूचना सम्बन्धित सदनक अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिहन तुरुन्त डिहे पर्ने बा ।

(७) विशेषाधिकारक हनन् संघीय संसदक अवहेलना मानजैने बा कौनो विशेषाधिकारक हनन हुइल बा, वा निहो कना सम्बन्धम निर्णय कर्ना अधिकार सम्बन्धित सदनहन केल हुइने बा ।

(८) किउफे कौनो सदनक अवहेलना कर्लसे सम्बन्धित सदनक अध्यक्षता कर्ना व्यक्ति सदनक निर्णयसे उ व्यक्तिहन सचेत कराय, नसीहत डिहे वा तीन महीनाम निबहरना कैख कैद कर वा दश हजार रुपैयाँसम जरिबाना कर सेक्ने बा ओ ओसिन जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर करजैने बा ।

लेकिन सम्बन्धित सदनहन सन्तोष हुइना कैख ओसिन व्यक्ति क्षमायाचना कर्लसे सदन क्षमा प्रदान कर वा तोक्लक सजायहन माफी कर वा घटाय सेक्नेबा ।

(९) संघीय संसदक विशेषाधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१०४. कार्य सञ्चालन विधि : (१) संघीय संसदक प्रत्येक सदन आपन कार्य सञ्चालन कर, कचेह्रीक सुव्यवस्था कायम कर ओ समितिक गठन, काम, कारबाही ओ कौनो सदन वा समितिक कार्यविधि नियमित कर नियमावली बनैने बा । ओसिख नियमावली निबनटसम संघीय संसद आपन कार्यविधि अप्नह नियमित कर्ने बा ।

(२) संघीय संसदक संयुक्त कचेह्रीक कार्य सञ्चालन ओ संघीय संसदक संयुक्त समितिक गठन ओ काम कारबाही संघीय संसदक डुनु सदनक संयुक्त कचेह्री स्वीकृत कर्लक नियमावली वा कार्यविधि अन्सार हुइने बा ।

१०५. बहसम बन्देज : नेपालक कौनो अदालतम विचाराधीन मुद्दाक सम्बन्धम न्याय निरूपणम प्रतिकूल असर पर्ना विषय तथा न्यायाधीश कर्तव्य पालनक

सिलसिलाम कर्लक न्यायिक कार्यक सम्बन्धम संघीय संसदक कौनो सदनम छलफल निकरजाइ ।

लेकिन महाभियोगक प्रस्तावम छलफल करबेर न्यायाधीशक आचरणक सम्बन्धम कौनो बाट व्यक्त कर यी धारा बाधा पुगैलक निमानजाइ ।

१०६. संघीय संसदक महासचिव ओ सचिव : (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष डुनु जन्हँक संयुक्त सिफारिसम संघीय संसदक महासचिव, सभामुखक सिफारिसम प्रतिनिधि सभक सचिव ओ राष्ट्रिय सभक अध्यक्षक सिफारिसम राष्ट्रिय सभक सचिव नियुक्त कर्नें बा ।

(२) संघीय संसदक महासचिव, प्रतिनिधि सभक सचिव ओ राष्ट्रिय सभक सचिवक योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवक और शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

१०७. संघीय संसदक सचिवालय : संघीय संसदक काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कर एक सचिवालय रहने बा । ओसिन सचिवालयक स्थापना ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

१०८. पारिश्रमिक : प्रतिनिधि सभक सभामुख ओ उपसभामुख, राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष, समितिक सभापति तथा संघीय संसदक सदस्यहुँकन्हँक पारिश्रमिक ओ सुविधा संघीय कानून अन्सार हुइने बा । ओसिन कानून निबनटसम नेपाल सरकार ट्वाकल अन्सार हुइने बा ।

भाग-९

संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि

१०९. संघीय संसदक व्यवस्थापिकीय अधिकार : संघीय संसदक व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची-५, अनुसूची-७ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लेख हुईल अन्सार हुइनेबा ।

११०. विधेयक प्रस्तुत कर्ना विधि : (१) यी संविधानक अधीनम रहीख संघीय संसदक कौनो फे सदनम विधेयक प्रस्तुत कर सेकजैने बा । लेकिन अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभाम केल प्रस्तुत करजाइ ।

(२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसे सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकक रूपम केल प्रस्तुत करजैने बा ।

(३) "अर्थ विधेयक" कहबेर देहायम उल्लिखित सक्कु वा कौनो विषयसे सम्बन्ध ढर्ना विधेयकहन जनैठा :-

(क) कर लगैना, उठैना, खारेज कर्ना, छूट डेना, परिवर्तन कर्ना वाकर प्रणालीहन व्यवस्थित कर्ना विषय,

(ख) संघीय सञ्चित कोष वा और कौनो संघीय सरकारी कोषक संरक्षण कर्ना, ओसिन कोषम रकम जम्मा कर्ना वा ओसिन कोषसे कौनो रकम विनियोजन वा खर्च कर्ना वा विनियोजन वा खर्च कर खोज्लक रकम घटैना, बढैना वा खारेज कर्ना विषय,

(ग) नेपाल सरकार रिन प्राप्त कर्ना वा जमानत डेना विषय व्यवस्थित कर्ना वा नेपाल सरकार लेलक वा लेना आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन कर्ना विषय,

(घ) संघीय सरकारी कोषम प्राप्त हुइना सक्कु प्रकारक राजस्व, रिन असुलीसे प्राप्त रकम ओ अनुदानक रकम जिम्मा लेन्ना,, लगानी कर्ना वा नेपाल सरकारक लेखा वा लेखापरीक्षण कर्ना विषय, ओ

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुइलक और प्रासंगिक विषय ।

लेकिन कौनो अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जसीन दस्तुर, शुल्क वा महसुल लगैना वा कौनो जरिवाना वा कैद हुइना व्यवस्था हुइलक कारणले केल कौनो विधेयक अर्थ विधेयक निमानजाइ ।

(४) कौनो विधेयक अर्थ विधेयक हो की निहो कना प्रश्न उठलसे सभामुखक निर्णय अन्तिम हुइने बा ।

१११. विधेयक पारित कर्ना विधि : (१) संघीय संसदक एकठो सदन पारित कर्लक विधेयक स्याकलसम झट्ट और सदनम पठाजाइ ओ उ सदन पारित कर्लकपाछ प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश करजैने बा ।

(२) प्रतिनिधि सभा पारित कर्लक अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाम पठाजैने बा । राष्ट्रिय सभा उ विधेयकम छलफल कैख विधेयक प्राप्त कर्लक पन्ध्र डिनभिट्टर कौनो सुझाव हुइलसे सुझाव सहित प्रतिनिधि सभाम फिर्ता पठाइ पर्ने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार सुझाव सहित फिर्ता अइलक विधेयकम प्रतिनिधि सभा छलफल कैख उचित डेख्लक सुझाव समावेश कैख प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्ने बा ।

(४) उपधारा (२) अन्सार अर्थ विधेयक प्राप्त कर्लक पन्ध्र डिनसम्मम राष्ट्रिय सभा उ विधेयक फिर्ता निकर्लसे प्रतिनिधि सभा प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश कर सेक्ने बा ।

(५) प्रतिनिधि सभा पारित कैख राष्ट्रिय सभाम पठैलक अर्थ विधेयक बाहेक और विधेयक राष्ट्रिय सभा आपनठे प्राप्त हुइलक डुई महीनाभिट्टर पारित कैख वा सुझाव सहित फिर्ता पठाइ पर्ने बा । ओसिन समयावधि भिट्टर राष्ट्रिय सभा उ विधेयक फिर्ता निकर्लसे प्रतिनिधि सभा तत्काल कायम रहल सदस्य संख्याक बहुमत सदस्यहुँकन्हँक निर्णयसे उ विधेयक प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश कर सेक्ने बा ।

(६) अर्थ विधेयक बाहेक कौनो सदन पारित कर्लक और विधेयक और सदन अस्वीकृत कर्लसे वा संशोधन सहित पारित कर्लसे उ विधेयक उत्पत्ति हुइलक सदनम फिर्ता पठाय पर्नेबा ।

(७) उपधारा (६) अन्सार राष्ट्रिय सभासे अस्वीकृत होख वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभाम फिर्ता अइलक विधेयक उपर विचार कैख प्रतिनिधि सभक तत्काल कायम रहल सदस्य संख्याक बहुमत सदस्यहुँक प्रस्तुत रूपम वा संशोधन सहित पुनः पारित कर्लसे उ विधेयक प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश करजैने बा ।

(८) उपधारा (६) अन्सार प्रतिनिधि सभासे संशोधन सहित राष्ट्रिय सभाम फिर्ता आइल विधेयक राष्ट्रिय सभा फे तत्काल कायम रहल सदस्य संख्याक बहुमत सदस्य ओसिन संशोधन सहित पुनः पारित कर्लसे प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश करजैनेबा ।

(९) देहाय अन्सारक विधेयक डुनु सदनक संयुक्त कचेह्रीम प्रस्तुत करजैने बा ओ संयुक्त कचेह्री विधेयक प्रस्तुत रूपम वा संशोधनसहित पारित कर्लसे विधेयक उत्पत्ति हुइलक सदन प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्ने बा :-

(क) राष्ट्रिय सभा पारित कर्लक लेकिन प्रतिनिधि सभा अस्वीकार कर्लक, वा

(ख) प्रतिनिधि सभा संशोधन सहित राष्ट्रिय सभाम फिर्ता पठैलक लेकिन राष्ट्रिय सभा ओसिन संशोधनम सहमत ह्वाय निसेक्लक ।

(१०) कौनो विधेयक विचाराधीन रहल अवस्थाम सदनक अधिवेशनक अन्त्य हुइलसे फे ओसिन विधेयकउप्पर अइना अधिवेशनम कारबाही ह्वाय सेक्ने बा ।

लेकिन कौनो विधेयक प्रतिनिधि सभाम प्रस्तुत होख विचाराधीन रहल वा प्रतिनिधि सभाम पारित होख राष्ट्रिय सभाम विचाराधीन रहल अवस्थाम प्रतिनिधि सभा विघटन हुइलसे वा वाकर कार्यकाल समाप्त हुइलसे ओसिन विधेयक निष्क्रिय हुइने बा ।

११२ विधेयक फिर्ता लेना : विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदनक स्वीकृति लेख विधेयक फिर्ता लिहे सेक्ने बा ।

११३. विधेयकम प्रमाणीकरण : (१) धारा १११ अन्सार प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश करजैना विधेयक उत्पत्ति हुइलक सदनक सभामुख वा अध्यक्ष प्रमाणित कैख पेश करपर्ने बा ।

लेकिन अर्थ विधेयकक हकम अर्थ विधेयक हो कैख सभामुख प्रमाणित कर पर्ने बा ।

(२) यी धारा अन्सार प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश हुइलक विधेयक पन्ध डिनभिट्र प्रमाणीकरण कैख वाकर सूचना स्याकलसम झट्ट डुनु, सदनह डिहे पर्ने बा ।

(३) प्रमाणीकरणक लाग पेश हुइलक अर्थ विधेयक बाहेक और विधेयकम पुनर्विचार ह्वाय आवश्यक बा कना राष्ट्रपतिह लग्लसे ओसिन विधेयक पेश हुइलक पन्ध डिनभिट्र निज सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति हुइलक सदनम फिर्ता पठाय सेक्ने बा ।

(४) राष्ट्रपति कौनो विधेयक सन्देश सहित फिर्ता कर्लसे ओसिन विधेयकउप्पर डुनु सदन पुनर्विचार कैख ओसिन विधेयक प्रस्तुत रूपम वा

संशोधन सहित पारित कैख पुनः पेश कर्लसे ओसिख पेश हुइलक पन्ध्र डिनभिट्टर राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कर्ने बा ।

(५) राष्ट्रपतिसे प्रमाणीकरण हुइलकपाछ विधेयक ऐन बन्नेबा ।

११४. अध्यादेश : (१) संघीय संसदक डुनु सदनक अधिवेशन चल्टिरहल अवस्थाम बाहेक और अवस्थाम तत्काल कुछ कर आवश्यक पर्लसे मन्त्रिपरिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सेक्नेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार जारी हुइलक अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुइने बा ।

लेकिन ओसिन प्रत्येक अध्यादेश,-

(क) जारी हुइलकपाछ बैठल संघीय संसदक डुनु सदनम पेश करजैनेबा ओ डुनु सदन स्वीकार निकर्लसे स्वतः निष्क्रिय हुइने बा,

(ख) राष्ट्रपतिसे कौनोफे व्याला खारेज ह्वाय सेक्ने बा, ओ

(ग) खण्ड (क) वा (ख) अन्सार निष्क्रिय वा खारेज निहुइलसे डुनु सदनक कचेह्री बैठलक साठी डिन पाछ स्वतः निष्क्रिय हुइनेबा ।

स्पष्टीकरण : यी उपधाराक प्रयोजनक लाग "डुनु सदनक कचेह्री बैठलक डिन" कहबेर संघीय संसदक डुनु सदनक अधिवेशन प्रारम्भ हुइलक वा बैठलक डिन सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले संघीय संसदक सदनहुँकन्हँक कचेह्री आघपाछ कैख बैठलक अवस्थाम जौन सदनक कचेह्री पाछ बैठलक हो उहो डिनहन जनेठा ।

संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली

११५. कर लगैना वा रिन लिहे निपाजैना : (१) कानून अन्सार बाहेक कौनो कर लगैना ओ उठैना निकरजाइ ।

(२) संघीय कानून अन्सार बाहेक नेपाल सरकार कौनो रिन लेना ओ जमानत निडेनेहो ।

११६. संघीय सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारहन प्राप्त हुइना सक्कु मेह्रीक राजस्व, राजस्वक धितोम लेगैलक सक्कु कर्जा, ऐनक अधिकार अन्तर्गत डेगैलक जसिनफे रिन असुल हुइबेर प्राप्त हुइलक सक्कु धन ओ नेपाल सरकारहन प्राप्त हुइना और जसिनफे रकम संघीय ऐनसे और कौनो व्यवस्था निकरगैलकम एक सरकारी कोषम आम्दानी बहानजैने वा जेहिहन संघीय सञ्चित कोष कैजाई ।

११७. संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषसे व्यय : देहाय अन्सारक रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा और कौनो संघीय सरकारी कोषसे कौनो रकम झिक निसेकजाइ :-

(क) संघीय सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइलक रकम,

(ख) संघीय विनियोजन ऐन अन्सार खर्च हुइना रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहलक अवस्थाम पेश्कीक रूपम संघीय ऐन अन्सार खर्च हुइना रकम, वा

(घ) विशेष अवस्थाम व्ययक विवरण केल हुइलक संघीय उधारो खर्च ऐन अन्सार व्यय हुइना रकम ।

लेकिन संघीय आकस्मिक कोषक हकम धारा १२४ अन्सार हुइनेबा ।

११८. संघीय सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार : देहायक विषयसे सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइने बा ओ ओसिन व्ययक लाग संघीय संसदक स्वीकृति आवश्यक निपरी :-

(क) राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक पारिश्रमिक तथा सुविधाक रकम,

(ख) नेपालक प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश ओ न्यायपरिषदक सदस्यहन डेना पारिश्रमिक तथा सुविधाक रकम,

(ग) प्रतिनिधि सभक सभामुख उपसभामुख, राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षहन डेना पारिश्रमिक तथा सुविधाक रकम,

(घ) संवैधानिक निकायक प्रमुख ओ पदाधिकारीहन डेना पारिश्रमिक तथा सुविधाक रकम,

(ङ) प्रदेश प्रमुखक पारिश्रमिक तथा सुविधाक रकम,

(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय ओ प्रदेश प्रमुखक कार्यालयक प्रशासनिक व्यय,

(छ) नेपाल सरकारक दायित्वक रिन सम्बन्धी व्ययभार,

(ज) नेपाल सरकारक विरुद्ध अदालतसे हुइलक फैसला वा आदेश अनुसार टिर पर्ना रकम, ओ

(झ) संघीय कानून अन्सार संघीय सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइना रकम ।

११९. राजस्व ओ व्ययक अनुमान : (१) नेपाल सरकारक अर्थमन्त्री प्रत्येक आर्थिक वर्षक सम्बन्धम संघीय संसदक डुनु सदनक संयुक्त कचेह्रीम देहायक विषय समेत खुलाक वार्षिक अनुमान पेश कर पर्ने बा :-

(क) राजस्वक अनुमान,

(ख) संघीय सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइना आवश्यक रकम, ओ

(ग) संघीय विनियोजन ऐन अन्सार व्यय हुइना आवश्यक रकम ।

(२) उपधारा (१) अन्सार वार्षिक अनुमान पेश करबेर अघिल्का आर्थिक वर्षम प्रत्येक मन्त्रालयहन छुट्याइल खर्चक रकम ओ ओसिन खर्च अनुसारक लक्ष्य हासिल हुइल वा निहुइल वाकर विवरण फे संग पेश करपर्ने बा ।

(३) नेपाल सरकारक अर्थमन्त्री उपधारा (१) अन्सारक राजस्व ओ व्ययक अनुमान प्रत्येक बरष जेठ महीनाक पन्ध गते संघीय संसदम पेश कर्नेबा ।

१२०. विनियोजन ऐन : विनियोजन ऐन अन्सार व्यय हुइना रकम सम्बन्धित शीर्षकम उल्लेख कैक विनियोजन विधेयकम ढरजैने बा ।

१२१. पूरक अनुमान : (१) कौनो आर्थिक वर्षम देहायक अवस्था परआइलम नेपाल सरकारक अर्थमन्त्री प्रतिनिधि सभाम पूरक अनुमान पेश कर सेक्ने बा :-

(क) चालू आर्थिक वर्षक लाग विनियोजन ऐन कौनो सेवक लाग खर्च कर अख्तियारी डेलक रकम अपर्याप्त हुइलक वा उ वर्षक लाग विनियोजन ऐन अख्तियारी निडेलक लौब सेबाम खर्च कर आवश्यक हुइलकम, वा

(ख) चालू आर्थिक वर्षम विनियोजन ऐन अख्तियारी डेलक रकमसे ढिउर खर्च ह्वाय गैलकम ।

(२) पूरक अनुमानम ढरगैलक रकम सम्बन्धित शीर्षकम उल्लेख कैके पूरक विनियोजन विधेयकम ढरजैने बा ।

१२२. पेश्की खर्च : (१) यी भागम औरठाउँम ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहल अवस्थाम आर्थिक वर्षक लाग अनुमान करगैलक व्ययक कौनो अंश पेश्कीक रूपम संघीय ऐन अन्सार खर्च कर सेकजैने बा ।

(२) धारा ११९ अन्सार राजस्व ओ व्ययक अनुमान पेश निकरजाइटसम पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत निकरजाइ ओ पेश्कीक रकम आर्थिक वर्षक व्यय अनुमानक एक तिहाइसे ढिउर निरही ।

(३) संघीय पेश्की खर्च ऐन अन्सार खर्च हुइलक रकम विनियोजन विधेयकम समावेश करजाइ ।

१२३. उधारो खर्च : यी भागम अन्ट जसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणक आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा और कारणले संकटक अवस्था पर्ख धारा ११९ क उपधारा (१) अन्तर्गत चहना विवरण खुलाइकलाग अव्यावहारिक वा राज्यक सुरक्षा वा हितक दृष्टिले अवाञ्छनीय डेखपर्लसे नेपाल सरकारक अर्थमन्त्री व्ययक विवरण केल हुइलक उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभाम पेश कर सेक्ने बा ।

१२४. संघीय आकस्मिक कोष : (१) संघीय ऐन अन्सार आकस्मिक कोषक नाउँले एकठो कोष स्थापना कर सेकजैनेबा ओ ओसिन कोषम समय समयम संघीय ऐन अन्सार निर्धारण हुइलक रकम जम्मा करजैने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक कोष नेपाल सरकारक नियन्त्रणम रहनेबा ओ नेपाल सरकार ओसिन कोषसे आकस्मिक कार्यक लाग खर्च कर सेक्ने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक खर्चक रकम संघीय ऐन अन्सार यथाशीघ्र सोधभर्ना करजैनेबा ।

१२५. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : संघीय ऐन अन्सार विनियोजित रकम एक शीर्षकसे और शीर्षकम रकमान्तर कर्ना ओ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय ऐन अन्सार हुइने बा ।

भाग-११

न्यायपालिका

१२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतसे प्रयोग हुइना : (१) नेपालक न्याय सम्बन्धी अधिकार यी संविधान, और कानून ओ न्यायक मान्य सिद्धान्त अन्सार अदालत तथा न्यायिक निकायसे प्रयोग करजैने बा ।

(२) मुद्दा मामिलाक रोहमा अदालत डेलक आदेश वा निर्णयक सक्कुज पालन कर पर्ने बा ।

१२७. अदालत : (१) नेपालम देहाय अन्सारक अदालत रही :-

(क) सर्वोच्च अदालत,

(ख) उच्च अदालत, ओ

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) म लिखगैलक बाहेक कानून अन्सार मुद्दा ह्यारकलाग स्थानीय स्तरम न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानक वैकल्पिक उपाय अवलम्बन करकलाग आवश्यकता अनुसार और निकाय गठन कर सेकजैनेबा ।

१२८. सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालम एक सर्वोच्च अदालत रही ।

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अैदालत हुइ । यी संविधानम अन्यथा व्यवस्था हुइलकम बाहेक सक्कु अदालत ओ न्यायिक निकायहुँक सर्वोच्च अदालत मातहत रहहीं । संविधान ओ कानूनक व्याख्या कर्ना अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतहन रहहींस ।

(३) सर्वोच्च अदालत आपन ओ आपन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ना अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा और न्यायिक निकायहुँक न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयम निरीक्षण, सुपरिवेक्षण कैख आवश्यक निर्देशन डिहे सेक्ने बा ।

(४) मुद्दा मामिलाक रोहम सर्वोच्च अदालत कर्लक संविधान ओ कानूनक व्याख्या वा प्रतिपादन कर्लक कानूनी सिद्धान्त सक्कुजन पालन करपरी । सर्वोच्च अदालत आपन वा मातहतक अदालतक न्यायसम्पादनक कार्यम किउफे अवरोध कर्लसे वा आदेश वा फैसलाक अवज्ञा कर्लसे कानून अन्सार अवहेलनाम कारवाही चलाख सजाय कर सेक्ने बा ।

१२९. नेपालक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक नियुक्ति ओ योग्यता : (१) सर्वोच्च अदालतम नेपालक प्रधान न्यायाधीशक अतिरिक्त बढीम बीस जन न्यायाधीश रने बाट ।

(२) संवैधानिक परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीशक ओ न्याय परिषदक सिफारिसम सर्वोच्च अदालतक और न्यायाधीशक नियुक्ति राष्ट्रपतिसे हुइने बा ।

(३) सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश पदम कम्तीम तीन वर्ष काम कर्लक व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशक पदम नियुक्ति ह्वाय योग्य हुइने बा ।

(४) प्रधान न्यायाधीशक पदावधि छ वर्षक रही ।

(५) कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशक पदम कम्तीम पाँच वर्ष काम कर्लक वा कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताक हैसियतम कम्तीम पन्ध्र वर्ष लग्धार वकालत कर्लक वा कम्तीम पन्ध्र वर्षसम न्याय वा कानूनक क्षेत्रम निरन्तर काम कैख विशिष्ट कानूनविदक रूपम ख्याति प्राप्त कर्लक वा न्याय सेवक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा ओहिसे उप्परक पदम कम्तीम बाह्र वर्ष काम कर्लक नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक पदम नियुक्तिक लाग योग्य मानजाइ ।

स्पष्टीकरण : यी संविधान लागू हुइनासे पैल्ह पुनरावेदन अदालतम मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश होख काम कर्लक अवधिहन यी उपधाराक प्रयोजनक लाग उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशक हैसियतम काम कर्लक अवधि मानजाइ ।

(६) प्रधान न्यायाधीशक पद रिक्त हुइलसे वा कौनो कारणले प्रधान न्यायाधीश आपन पदक काम कर असमर्थ हुइलसे वा बिदा बैठलसे वा नेपालबाहेर गैलक कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतम उपस्थित निहुइना अवस्था हुइलसे सर्वोच्च अदालतक वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश होख काम कर्ने बा ।

१३०. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक सेवाक शर्त तथा सुविधा : (१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश कम्तीम पाँच वर्ष काम कैख राजीनामा डेलसे वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्लसे वा निजक मृत्यु हुइलसे संघीय कानून अन्सार निवृत्तिभरण पैनेबा ।

(२) यी संविधानम अन्यथा व्यवस्था करगैलकम बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक पारिश्रमिक ओ सेवाक और शर्त संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

(३) उपधारा (१) ओ (२) म जसीन बाट लिखगैलक हुइलसेफे महाभियोगसे पदमुक्त हुइलक वा नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम अदालतसे सजाय पैलक प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश उपदान वा निवृत्तिभरण निपाइ ।

(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशहन मर्का पर्ना कैख निजक पारिश्रमिक ओ सेवाक और शर्त परिवर्तन निकरजाइ । लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारणले संकटकालीन अवस्थाक घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

१३१. प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक पद रिक्त हुइना: देहायक कौनो अवस्थाम प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहीख कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख प्रधान न्यायाधीशक हकम संवैधानिक परिषद ओ सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक हकम न्याय परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निज नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम अदालतसे सजाय पैलसे,

(च) निजक मृत्यु हुइलसे ।

१३२. प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशहन और कौनो काममलगाय निहुइना : (१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशहन न्यायाधीशक पदम बाहेक और कौनो पदम काममलगाय वा काजम निखटाजाइ । लेकिन नेपाल सरकार न्याय परिषदसे परामर्श कैख सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशहन न्यायिक जाँचबुझक काममवा कुछ खास अवधिक लाग कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणक कौनो काममखटाय सेक्ने बा ।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश होसेक्लक व्यक्ति यी संविधानम अन्यथा उल्लेख हुइलकम बाहेक कौनो फे सरकारी पदम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

१३३. सर्वोच्च अदालतक अधिकार क्षेत्र : (१) यी संविधानसे प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगागैलक वा और कौनो कारणले कौनो कानून यी संविधानसे बाझगैलक ओर्से ओसिन कानून वा वाकर कौनो भाग वा प्रदेश सभा बनैलक

कौनो कानून संघीय संसद बनैलक कौनो कानूनसे बाझगैलक वा नगर सभा वा गाउँ सभा बनाइल कौनो कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभा बनाइल कौनो कानूनसे बाझल ओर्से ओसिन कानून वा बाकर कौनो भाग बदर घोषित कै पाउँ कैख कौनो फे नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतम निवेदन डिहे सेक्ने बा ओ उ अनुसार कौनो कानून बाझल डेख पर्लसे उ कानूनहन प्रारम्भसे जो वा निर्णय हुइलक मितिसे अमान्य ओ बदर घोषित कर्ना असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतहन हुइने बा ।

(२) यी संविधानसे प्रदत्त मौलिक हकक प्रचलनक लाग वा और उपचारक व्यवस्था निहुइलक वा और उपचारक व्यवस्था हुइलसेफे ओसिन उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन डेखपर्लक और कौनो कानूनी हकक प्रचलनक लाग वा सार्वजनिक हक वा सरोकारक कौनो विवादम समावेश हुइलक कौनो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नक निरूपणक लाग आवश्यक ओ उपयुक्त आदेश जारी कर्ना, उचित उपचार प्रदान कर्ना, ओसिन हकक प्रचलन करैना वा विवाद टुंगो लगैना असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतहन हुइने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत और उपयुक्त आदेश जारी कर सेक्ने बा । लेकिन अधिकार क्षेत्रक अभाव हुइलकम बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभक आन्तरिक काम कारबाही ओ संघीय संसद वा प्रदेश सभा चलैलक विशेषाधिकारक कारबाही ओ तत्सम्बन्धम तोक्लक सजायम यी उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप निकर्ने हो ।

(४) यी संविधानक अधीनम रहख सर्वोच्च अदालतहन संघीय कानूनम व्यवस्था हुइल अन्सार मुद्दाक शुरु कारबाही ओ किनारा कर्ना, पुनरावेदन सुन्ना, साधक जँच्ना, मुद्दा दोहोऱ्याइना, निवेदन सुन्ना वा आपन फैसला वा अन्तिम आदेशक पुनरावलोकन कर्ना अधिकार हुइने बा । असीख पुनरावलोकन करबेर पैल्ह फैसला कर्ना न्यायाधीश बाहेक और न्यायाधीश कर्ने बाट ।

(५) उच्च अदालत शुरू कारबाही ओ किनारा कर्लक मुद्दाक पुनरावेदन सुन्ना ओ संविधान ओ कानूनक व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश हुइलक सार्वजनिक महत्वक विषय वा सर्वोच्च अदालतसे निर्णय ह्याय उपयुक्त वा कैख उच्च अदालत आपन राय सहित सिफारिस कर्लक मुद्दाक निरूपण कर्ना अधिकार सर्वोच्च अदालतहन हुइने बा ।

(६) सर्वोच्च अदालतक और अधिकार ओ कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१३४. मुद्दा सार सेक्ना : (१) सारभूत रूपम समान प्रश्न समावेश हुइलक मुद्दा सर्वोच्च अदालत ओ उच्च अदालतम विचाराधीन रहल अवस्थाम ओसिन प्रश्न सार्वजनिक महत्वक हो कना सर्वोच्च अदालतहन लग्लसे वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दक पक्षक निवेदनसे डेखपर्लसे आसिन मुद्दा झिकाख संग ढैक फैसला कर्ना अधिकार सर्वोच्च अदालतहन हुइने वा ।

(२) कौनो उच्च अदालतम दायर हुइलक मुद्दाम सुनुवाई हुइबेर न्यायिक निष्पक्षताम प्रश्न उठ्ना विशेष परिस्थिति डेखपर्लसे कारण ओ आधार खुलाख कानून अन्सार एक उच्च अदालतसे और उच्च अदालतम ओसिन मुद्दा सारख सुनुवाई कर सर्वोच्च अदालत आदेश डिहे सेक्ने वा ।

१३५. बहस पैरवी कर निपैना : प्रधान न्यायाधीश ओ सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुइलक पाछ कौनो फे अड्डा अदालतम बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य कर निपाइ ।

१३६. प्रधान न्यायाधीशक जिम्मेवारी : सर्वोच्च अदालत ओ मातहतक अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा और न्यायिक निकायहुँकन्हँक न्याय प्रशासनहन प्रभावकारी बनैना अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशक हुइने वा ।

१३७. संवैधानिक इजलासक गठन : (१) सर्वोच्च अदालतम एक संवैधानिक इजलास रहने वा । ओसिन इजलासम प्रधान न्यायाधीश ओ न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश तोक्लक और चार जन न्यायाधीश रहने बाट ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक इजलास धारा १३३ क उपधारा (१) अन्सार परल निवेदनक अतिरिक्त देहायक मुद्दाक शुरू कारबाही ओ किनारा कर्ने वा :-

(क) संघ ओ प्रदेश, प्रदेश ओ प्रदेश, प्रदेश ओ स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहुँकन्हँक बीचक अधिकार क्षेत्रक विषयम हुइलक विवाद सम्बन्धी,

(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यक निर्वाचन सम्बन्धी विवाद ओ संघीय संसदक सदस्य वा प्रदेश सभक सदस्यक अयोग्यतासम्बन्धी ।

(३) धारा १३३ म जसिन बाट लिखल हुइलसेफे सर्वोच्च अदालतम विचाराधीन कौनो मुद्दाम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याक प्रश्न समावेश हुइलक डेखपर्लसे ओसिन मुद्दा उपधारा (१) अन्सारक इजलासे हेर्ना कैह प्रधान न्यायाधीश त्वाक सेक्ने वा ।

(४) संवैधानिक इजलासक सञ्चालन सम्बन्धी और व्यवस्था सर्वोच्च अदालत निर्धारण करल अन्सार हुइने बा ।

१३८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद ओ न्याय सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष आपन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश करें बा ओ राष्ट्रपति ओसिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश करें बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार प्रस्तुत हुइलक वार्षिक प्रतिवेदन उप्पर छलफल हुइबेर संघीय संसद कौनो सुझाव डिहे आवश्यक डेख्लसे नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायहन डिहे सेक्ने बा ।

(३) उपधारा (१) अन्सारक वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१३९. उच्च अदालत : (१) प्रत्येक प्रदेशम एक उच्च अदालत रहने बा ।

(२) उच्च अदालत आपन वा आपन मातहतक अदालत वा न्यायिक निकायसे हुइना न्याय सम्पादनक कार्यम किउ अवरोध कर्लसे वा आदेश वा फैसलाक अवज्ञा कर्लसे संघीय कानून अन्सार अवहेलनाम कारवाही चलाख सजाय कर सेक्ने बा ।

(३) प्रत्येक उच्च अदालतम मुख्य न्यायाधीशक अतिरिक्त संघीय कानूनम व्यवस्था हुइलक अन्सारक संख्याम न्यायाधीशहुँक रहनेबाट ।

१४०. उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक नियुक्ति ओ योग्यता :

(१) प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदक सिफारिसम उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक नियुक्ति करें बा ।

(२) कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख जिल्ला न्यायाधीशक पदम कम्तीम पाँच वर्ष काम कर्लक वा कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताक रूपम कम्तीम दश वर्ष निरन्तर वकालत कर्लक वा कम्तीम दश वर्ष कानूनक अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी और कौनो क्षेत्रम निरन्तर काम कर्लक वा न्याय सेवाक कम्तीम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीक पदम कम्तीम पाँच वर्ष काम कर्लक नेपाली नागरिक उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक पदम नियुक्तिक लाग योग्य मानजाइ ।

(३) उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश ओ न्यायाधीशक नियुक्ति करबेर उपधारा (२) अन्सार योग्यता पुगल व्यक्तिहुँक मध्येसे जिल्ला न्यायाधीशक हकम निज वार्षिक रूपम फैसला कर्लक मुद्दाक अनुपात ओ उप्रक अदालतम

अन्तिम निर्णय हुइबेर मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी हुइलक मूल्यांकनक आधारम, न्याय सेवाक कम्तीम राजपत्राकित प्रथम श्रेणीक पदम कम्तीम पाँच वर्ष काम कर्लक व्यक्तिक हकम ज्येष्ठता, योग्यता ओ कार्यसम्पादनक स्तरक मूल्यांकनक आधारम ओ अन्यक हकम वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण ओ न्याय ओ कानूनक क्षेत्रम कर्लक योगदानक मूल्यांकन कैख नियुक्ति करजाइ ।

(४) मुख्य न्यायाधीशक पद रिक्त हुइलकम वा और कौनो कारणले मुख्य न्यायाधीश आपन पदक काम कर असमर्थ हुइलक वा बिदा बैठल वा प्रदेश बाहेर गैलक कारण मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतम उपस्थित ह्वाय सेक्ना अवस्था निरहलम उच्च अदालतक वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश होख काम कर्नेबा ।

१४१. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक सेवाक शर्त तथा सुविधा : (१) यी संविधानम अन्यथा व्यवस्था करगैलकम बाहेक उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशक पारिश्रमिक ओ सेवाक अन्य शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

(२) उपधारा (१) म जसिन बाट लिखल हुइलसेफे न्याय परिषदसे कारबाही होख पदमुक्त हुइलक वा नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम अदालतसे सजाय पाख पदमुक्त हुइलक उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश उपदान वा निवृत्तिभरण निपाइ । लेकिन शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहीख कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख न्याय परिषद पदमुक्त कर्लक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(३) उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहन मर्का पर्ना कैख निजक पारिश्रमिक ओ सेवाक अन्य शर्त परिवर्तन निकरजाइ । लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

१४२. मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशक पद रिक्त हुइना : (१) देहायक कौनो अवस्थाम उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर त्रिसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक कार्यक्षमतक अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आपन कर्तव्यक पालन निकर्लक, बदनियतपूर्वक कामकारबाही

कर्लक वा निज पालन कर पर्ना आचारसंहिताक गम्भीर उल्लंघन कर्लक आधारम न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त कर्लसे,

(घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहीक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निज नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम अदालतसे सजाय पैलसे,

(च) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(२) उपधारा (१) क खण्ड (ग) अन्सार पदमुक्त कर्नासे आघ चोरी लागल न्यायाधीशहन आपन सफाइ पेश कर्ना मनासिब मौका डिहे पर्ने बा । असिख कारबाही प्रारम्भ हुइलक न्यायाधीश कारबाहीक टुंगो निलागटसम आपन पदक कार्य सम्पादन कर निपाइ ।

(३) पदमुक्त हुइलक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदम रहबेर कर्लक कसूरम संघीय कानून अन्सार कारबाही कर बाधा निपरी ।

१४३. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहन और कौनो काममा लगाय निहुइना ओ सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहन न्यायाधीशक पदम बाहेक और कौनो पदम काममा लगैना वा काजम निखटाजाइ । लेकिन नेपाल सरकार न्याय परिषदसे परामर्श कैख उच्च अदालतक न्यायाधीशहन न्यायिक जाँचबुझक काममा वा कुछ खास अवधिक लाग कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारक कौनो काममा खटाय सेक्ने बा ।

(२) न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश उच्च अदालतक न्यायाधीशहन एक उच्च अदालतक न्यायाधीशसे और उच्च अदालतक न्यायाधीशम सरुवा कर सेक्ने बा ।

१४४. उच्च अदालतक अधिकार क्षेत्र : (१) यी संविधानसे प्रदत्त मौलिक हकक प्रचलनक लाग वा और उपचारक व्यवस्था निहुइलक वा और उपचारक व्यवस्था हुइलसेफे उ उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन डेखगैलक और कौनो कानूनी हकक प्रचलनक लाग वा सार्वजनिक हक वा सरोकारक कौनो विवादम समावेश हुइलक कौनो कानूनी प्रश्नक निरूपणक लाग आवश्यक ओ उपयुक्त आदेश जारी कर्ना अधिकार उच्च अदालतहन हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) क प्रयोजनक लाग उच्च अदालत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत कौनोफे उपयुक्त आदेश जारी कर सेक्ने बा ।

लेकिन अधिकार क्षेत्रक अभाव हुईलकम बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभक आन्तरिक काम कारबाही ओ संघीय संसद वा प्रदेश सभा चलैलक विशेषाधिकारक कारबाही ओ तत्सम्बन्धम तोक्लक सजायम यी उपधारा अन्सार उच्च अदालत हस्तक्षेप निकरी ।

(३) उच्च अदालतहन संघीय कानून अन्सार शुरू मुद्दा हेर्ना, पुनरावेदन सुन्ना ओ साधक जँच्ना अधिकार हुइने बा ।

(४) उच्च अदालतक और अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१४५. मुद्दा सार सेक्ना : (१) उच्च अदालत आपन क्षेत्राधिकारभिट्टक मातहत अदालतम विचाराधीन रहल मुद्दाम प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश बा ओ उक्त मुद्दाक निर्णय कर उ प्रश्नक निराकरण ह्वाय अनिवार्य बा कना लग्लसे ओसिन मुद्दा मातहत अदालतसे झिकाख मुद्दाक पूर निर्णय कर वा ओसिन प्रश्नम केल निर्णय कैख मुद्दा शुरू अदालतम फिर्ता पठाय सेक्ने बा ।

(२) कौनो जिल्ला अदालतम दायर हुइलक मुद्दाम सुनुवाई हुइबेर न्यायिक निष्पक्षताम प्रश्न उठ्ना विशेष परिस्थिति डेखपर्लसे कारण ओ आधार खुलाख संघीय कानून अन्सार आपन मातहतक एक जिल्लासे और जिल्ला अदालतम ओसिन मुद्दा सारख सुनुवाई कर उच्च अद्दालत आदेश डिहे सेक्ने बा ।

१४६. बहस पैरवी कर पैना : उच्च अदालतक न्यायाधीश होख सेवानिवृत्त हुइलक व्यक्ति अप्न न्यायाधीशक हैसियतम सेवा कर्लक उच्च अदालत ओ मातहतक अदालत बाहेक और उच्च अदालत ओ सर्वोच्च अदालतम उपस्थित होख बहस पैरवी कर पाइ ।

१४७. मुख्य न्यायाधीशक जिम्मेवारी : उच्च अदालत ओ बाकर मातहतक अदालत वा और न्यायिक निकायक न्याय प्रशासनहन प्रभावकारी बनैना जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशक हुइने बा । उ प्रयोजनक लाग मुख्य न्यायाधीश यी संविधान तथा संघीय कानूनक अधीनम रहख मातहतक अदालत तथा न्यायिक निकायहन आवश्यक निर्देशन डिहे सेक्ने बा ।

१४८. जिल्ला अदालत : (१) प्रत्येक जिल्लाम एक जिल्ला अदालत रहने बा ।

(२) प्रदेश कानून अन्सार स्थापित स्थानीय स्तरक न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतक मातहतम रहनेबा । जिल्ला अदालत आपन मातहतक न्यायिक निकायहुँकन्हँक निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण कर ओ आवश्यक निर्देशन डिहे सेक्ने बा ।

१४९. जिल्ला अदालतक न्यायाधीशक नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक ओ सेवाक और शर्त : (१) जिल्ला अदालतक न्यायाधीशक नियुक्ति न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीशसे हुइने बा ।

(२) जिल्ला अदालतम रिक्त न्यायाधीशक पद देहाय अन्सार पूर्ति करजाइ :-

(क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदम कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख न्याय सेबाक राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीक पदम कम्तीम तीन वर्ष काम कर्लक अधिकृतहुँकमध्येसे ज्येष्ठता, योग्यता ओ कार्यक्षमताक मूल्यांकनक आधारम,

(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदम कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख न्याय सेबाक राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीक पदम कम्तीम तीन वर्ष काम कर्लक अधिकृतहुँकमध्येसे खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षक आधारम,

(ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदम कानूनम स्नातक उपाधि प्राप्त कैख अधिवक्ताक रूपम निरन्तर कम्तीम आठ वर्ष वकालत कर्लक, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त कैख न्याय सेबाक राजपत्राकित पदम कम्तीम आठ वर्ष काम कर्लक वा कानूनक अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी और कौनो क्षेत्रम निरन्तर कम्तीम आठ वर्ष काम कर्लक नेपाली नागरिकमध्येसे खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षक आधारम ।

(३) उपधारा (२) क खण्ड (ख) ओ (ग) अन्सारक योग्यता हुइलक व्यक्तिहुँकमध्येसे संघीय कानून अन्सार न्याय सेवा आयोग लिखित ओ मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लेख योग्यताक्रम अन्सार जिल्ला न्यायाधीशम नियुक्तिक लाग न्याय परिषदहन सिफारिस कर्ने बा ।

(४) जिल्ला अदालतक न्यायाधीशक पारिश्रमिक ओ सेवाक और शर्त संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

(५) जिल्ला अदालतक न्यायाधीशहन मर्का पर्ना कैख निजक पारिश्रमिक ओ सेवाक और शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलतक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(६) देहायक कौनो अवस्थाम जिल्ला अदालतक न्यायाधीशक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक कार्यक्षमताक अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आपन कर्तव्यक पालन निकर्लसे, बदनियतपूर्वक कामकारबाही कर्लकम वा निज पालनकर पर्ना आचारसंहिताक गम्भीर उल्लंघन कर्लक आधारम न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त कर्लसे,

(घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहख कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निज नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम अदालतसे सजाय पैलसे,

(च) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(७) उपधारा (६) क खण्ड (ग) अन्सार पदमुक्त कर्नासे आघ चोरी लागल जिल्ला न्यायाधीशहन आपन सफाइ पेश कर्ना मनासिब मौका डिहे पर्ने बा । ओसिख कारबाही प्रारम्भ हुइलक जिल्ला न्यायाधीश कारबाहीक टुंगो निलागटसम आपन पदक कार्यसम्पादन कर निपाइ ।

(८) पदमुक्त हुइलक जिल्ला न्यायाधीश पदम रहबेर करल कसूरम संघीय कानून अन्सार कारबाही कर बाधा निपरी ।

१५०. <u>जिल्ला न्यायाधीशहन और कौनो कामम लगाय निहुइना ओ सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था :</u> (१) जिल्ला न्यायाधीशहन न्यायाधीशक पदम बाहेक और कौनो पदम कामम लगाय वा काजम निखटाजाइ ।

लेकिन नेपाल सरकार न्याय परिषदसे परामर्श कैख जिल्ला न्यायाधीशहन न्यायिक जाँचबुझक कामम वा कुछ खास अवधिक लाग कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी कामम खटाय सेक्नेबा ।

(२) न्याय परिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशहन एक जिल्ला अदालतसे और जिल्ला अदालतम सरुवा कर सेक्नेबा ।

१५१. जिल्ला अदालतक अधिकार क्षेत्र : (१) जिल्ला अदालतहन संघीय कानूनम अन्यथा व्यवस्था हुइलकम बाहेक आपन अधिकारक्षेत्रभिट्टक सम्पूर्ण मुद्दाक शुरू कारबाही ओ किनारा कर्ना, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून अन्सारक निवेदन हेर्ना, अर्धन्यायिक निकाय कर्लक निर्णय उपर कानून अन्सार पुनरावेदन सुन्ना, प्रदेश कानून अन्सार गठित स्थानीयस्तरक न्यायिक निकाय कर्लक निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ना तथा अप्न ओ आपन मातहतक अदालतहुंकन्हँक न्याय सम्पादनक कार्यम किउ अवरोध कर्लसे वा आदेश वा फैसलाक अवज्ञा कर्लसे संघीय कानून अन्सार अवहेलनाम कारबाही चलाख सजाय कर सेक्ना अधिकार हुइने बा ।

(२) जिल्ला अदालतक अधिकार क्षेत्र ओ कार्यविधि सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१५२. विशिष्टीकृत अदालत : (१) धारा १२७ म लिखगैलसे बाहेक खास मेद्दीक ओ प्रकृतिक मुद्दाक कारबाही ओ किनारा कर संघीय कानून अन्सार और विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणक स्थापना ओ गठनकर सेकजाइ । लेकिन कौनो खास मुद्दाक लाग विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणक गठन निकरजाइ ।

(२) एक वर्ष से ढिउर कैद सजाय हुइना फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक और निकायक अधिकार क्षेत्रम निपरी ।

१५३. न्याय परिषद : (१) यी संविधान अन्सार न्यायाधीशक नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी ओ न्याय प्रशासन सम्बन्धी और विषयक सिफारिस कर वा परामर्श डिहे एकठो न्याय परिषद रहने वा, जेहींम देहाय अन्सारक अध्यक्ष ओ सदस्यहुंक रहने बाट :-

(क) प्रधान न्यायाधीश -अध्यक्ष

(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री -सदस्य

(ग) सर्वोच्च अदालतक वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जन - सदस्य

(घ) राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम नियुक्त कर्लक एक जन कानूनविद् -सदस्य

(ङ) नेपाल बार एसोसिएशनक सिफारिसम राष्ट्रपतिसे नियुक्त कम्तीम बीस वर्षक अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता - सदस्य

(२) उपधारा (१) क खण्ड (घ) ओ (ङ) अन्सारक सदस्यक पदावधि चार वर्षक हुइने वा ओ निजक पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक सरह हुइने वा ।

(३) उपधारा (१) क खण्ड (घ) ओ (ङ) अन्सारक सदस्य सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश सरह समान आधारम ओ समान तरीकाले पदमुक्त हुइने वा ।

(४) न्याय परिषदक अध्यक्ष तथा सदस्य कौनो न्यायाधीशक सम्बन्धम पर अइलक उजुरीसे सम्बद्ध मुद्दाक अध्ययन कैख न्याय परिषदम बाकर प्रतिवेदन डिहे सेक्ने वा ।

(५) कौनो न्यायाधीशक विषयम पर अइलक उजुरीक सम्बन्धम प्रारम्भिक छानबीन कराईबेर विशेषज्ञसे विस्तृत छानबीन करपर्ना डेखगैलसे न्याय परिषद जाँचबुझ समिति गठन कर सेक्ने वा ।

(६) यी संविधान अन्सार महाभियोगक कारवाहीसे पदमुक्त ह्वाय सेक्ना न्यायाधीश बाहेक और न्यायाधीश भ्रष्टाचार कैख अख्तियारक दुरुपयोग कर्लसे न्यायपरिषद अनुसन्धान कैख कानून अन्सार मुद्दा चलाय सेक्ने वा ।

(७) न्याय परिषद यी संविधान अन्सार सर्वोच्च अदालतक प्रधान न्यायाधीश ओ न्यायाधीश, उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश ओ न्यायाधीशक पदम नियुक्त हुइना योग्यता पुग्ना व्यक्तिहुंकन्हँक अद्यावधिक अभिलेख तयार कर पर्ने वा ।

(८) न्याय परिषदक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार संघीय कानून अन्सार हुइने वा ।

१५४. न्याय सेवा आयोग : (१) नेपाल सरकार कानून अन्सार संघीय न्याय सेवाक राजपत्राकित पदम नियुक्ति, सरुवा, बढुवा करबेर वा ओसिन पदम बहाल रहल, कौनो कर्मचारीहन विभागीय सजाय करबेर न्याय सेवा आयोगक सिफारिस अन्सार कर्ने वा । लेकिन संघीय सरकारी सेवाम बहाल निरहल व्यक्तिहन संघीय न्याय सेवाक राजपत्राकित पदम लौव भर्नासे स्थायी नियुक्ति करबेर वा संघीय न्याय सेवाक राजपत्र अनङ्कित पदसे सोही सेवाक राजपत्राकित पदम बढुवा करबेर नेपाल सरकार लोक सेवा आयोगक सिफारिस अन्सार कर पर्ने वा ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग संघीय न्याय सेवाक राजपत्राकित पदम नियुक्ति करबेर लेना खुला ओ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग लेने बा ।

(२) न्याय सेवा आयोगम देहाय अन्सारक अध्यक्ष ओ सदस्यहुँक हुइने बाट :-

(क) प्रधान न्यायाधीश -अध्यक्ष

(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री -सदस्य

(ग) सर्वोच्च अदालतक वरिष्ठतम न्यायाधीश -सदस्य

(घ) लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष -सदस्य

(ङ) महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(३) न्याय सेवा आयोगक और काम, कर्तव्य, अधिकार ओ कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१५५. सेवाक शर्त ओ सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : संघीय न्याय सेवाक कर्मचारीहुँकन्हँक पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाक शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन अन्सार हुइने बा ।

१५६. प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश न्याय सेवा आयोगक गठन ओ प्रदेश न्याय सेवाक कर्मचारीहुँकन्हँक पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाक शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

भाग-१२

महान्यायाधिवक्ता

१५७. महान्यायाधिवक्ता : (१) नेपालम एक महान्यायाधिवक्ता रहने बा ।

(२) राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम महान्यायाधिवक्ताक नियुक्ति कर्ने बा । प्रधानमन्त्री चाहल अवधिसम महान्यायाधिवक्ता आपन पदम बहाल रहने बा ।

(३) सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश हुइना योग्यता हुईलक व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइ ।

(४) देहायक कौनो अवस्थाम महान्यायाधिवक्ताक पद रिक्त हुइ :-

(क) निज प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजहन प्रधानमन्त्रीक सिफारिसम राष्ट्रपतिसे पदमुक्त कर्लसे,

(ग) निजक मृत्यु हुईलसे ।

(५) महान्यायाधिवक्ताक पारिश्रमिक तथा और सुविधा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश सरह हुइने बा । महान्यायाधिवक्ताक सेवाक और शर्त कानून अन्सार हुइने बा ।

१५८. महान्यायाधिवक्ताक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारक मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुइ । सैवैधानिक एवं कानूनी विषयम नेपाल सरकार ओ नेपाल सरकार तोकडेलक और अधिकारीहन राय सल्लाह डेना महान्यायाधिवक्ताक कर्तव्य हुइ ।

(२) नेपाल सरकारक हक, हित वा सरोकार निहित रहल मुद्दाम महान्यायाधिवक्ता वा निजक मातहतक सरकारी वकीलसे नेपाल सरकारक प्रतिनिधित्व करजाइ । यी संविधानम अन्यथा व्यवस्था हुइलकम बाहेक कौनो अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारक तरफसे मुद्दा चलैना वा निचलैना बाटक अन्तिम निर्णय कर्ना अधिकार महान्यायाधिवक्ताहन् हुइने बा ।

(३) नेपाल सरकारक तरफसे दायर हुइलक मुद्दा फिर्ता लिहे महान्यायाधिवक्ताक राय लिहे पर्ने बा ।

(४) महान्यायाधिवक्ता संघीय संसद वा वाकर कौनो समिति करल निउँटा अन्सार ओसिन कचेड्डीम उपस्थित होख कानूनी प्रश्नक सम्बन्धम राय व्यक्त कर सेक्ने बा ।

(५) आपन पदीय कर्तव्यक पालना करबेर महान्यायाधिवक्ताहन नेपालक कौनोफे अदालत, कार्यालय ओ पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुइना अधिकार हुइने बा ।

(६) उपधारा (२) क अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताहन आपन कर्तव्य पालन करबेर देहायक काम कर्ना अधिकार हुइने बा :-

(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी होख दायर हुइलक मुद्दा मामिलाम नेपाल सरकारक तरफसे प्रतिरक्षा कर्ना,

(ख) मुद्दा मामिलाक रोहम सर्वोच्च अदालत कर्लक कानूनक व्याख्या वा प्रतिपादन कर्लक कानूनी सिद्धान्तक कार्यान्वयन हुइल वा निहुइलक अनुगमन कर्ना वा करैना,

(ग) हिरासतम रहल व्यक्तिहन यी संविधानक अधीनम रहख मानवोचित व्यवहार कर्लक वा निकर्लक वा ओसिन व्यक्तिहन आफन्तसे वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट कर निडेलक कना उजुरी पर्लसे वा जानकारी ह्वाय अइलसे छानबीन कैख ओसिन हुइनासे रवाकक्लाग सम्बन्धित अधिकारीहन आवश्यक निर्देशन डेना ।

(७) महान्यायाधिवक्ता यी धारा अन्सार आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार तोक्लक शर्तक अधीनम रहख प्रयोग ओ पालन कर्ना कैख मातहतक सरकारी वकीलहन प्रत्यायोजन कर सेक्ने बा ।

(८) यी धाराम लिखगैलक काम, कर्तव्य ओ अधिकारक अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१५९. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) महान्यायाधिवक्ता प्रत्येक वर्ष यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार आपन सम्पादन कर्लक कामक वार्षिक प्रतिवेदन तयार कैख राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्ने बा ओ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मार्फत ओसिन प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश कर लगैने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार पेश कर्लक प्रतिवेदनम और बाटक अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता बरषभरीम संवैधानिक एवं कानूनी विषयम डेलक राय सल्लाहक संक्षिप्त विवरण सहितक संख्या, सरकारवादी होख चलल मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी होख दायर हुइल मुद्दा मामिलाम प्रतिरक्षा कर्लक विवरण, नेपाल सरकार वादी होख चल्ना मुद्दाम भविष्यम करपर्ना सुधार तथा अपराधक प्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण उल्लेख कर पर्ने बा ।

१६०. मुख्य न्यायाधिवक्ता : (१) महान्यायाधिवक्ताक मातहतम रहना कैख प्रत्येक प्रदेशम एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने बा ।

(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताक नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीक सिफारिसम प्रदेश प्रमुखसे हुइने बा । मुख्यमन्त्री चाहल अवधिसम मुख्य न्यायाधिवक्ता आपन पदम बहाल रहने बा ।

(३) उच्च अदालतक न्यायाधीश हुइना योग्यता हुइलक व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइने बा ।

(४) देहायक कौनो अवस्थाम मुख्य न्यायाधिवक्ताक पद रिक्त हुइ :-

(क) निज मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजहन मुख्यमन्त्रीक सिफारिस प्रदेश प्रमुख पदमुक्त कर्लसे,

(ग) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारक मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुइने बा ओ संवैधानिक एवं कानूनी विषयम प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकार तोकडेलक और अधिकारीहन राय सल्लाह डेना मुख्य न्यायाधिवक्ताक कर्तव्य हुइने बा ।

(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताक कार्यालय अन्तर्गतक कर्मचारीहुंकन्हँक व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताक कार्यालय कर्नें बा ।

(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताक पारिश्रमिक तथा और सुविधा उच्च अदालतक न्यायाधीश सरह हुइने बा । मुख्य न्यायाधिवक्ताक काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा सेवाक और शर्त प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

१६१. सेवाक शर्त ओ सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताक मातहतम रहना और कर्मचारीहुंकन्हँक पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाक शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन अन्सार हुइने बा ।

प्रदेश कार्यपालिका

१६२. प्रदेशक कार्यकारिणी अधिकार : (१) प्रदेशक कार्यकारिणी अधिकार यी संविधान ओ प्रदेश कानून अन्सार प्रदेश मन्त्रिपरिषदम निहित हुइने बा । लेकिन संघीय शासन लागू हुइलक कारणसे प्रदेश कार्यकारिणी कायम निरहलम नेपाल सरकारक निर्देशन अन्सार प्रदेश प्रमुख प्रदेशक कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग कर्ने बा ।

(२) यी संविधान ओ और कानूनक अधीनम रहख प्रदेशक शासन व्यवस्थाक सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण ओ सञ्चालन कर्ना अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदम रहने बा ।

(३) प्रदेशक कार्यकारिणी कार्य प्रदेश सरकारक नाउँम हुइने बा ।

(४) यी संविधानक अधीनम रहक प्रदेशक कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची-६, अनुसूची-७ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लेख हुइल अन्सार हुइने बा ।

लेकिन संघ ओ प्रदेशक साझा अधिकारक विषयक सम्बन्धम यी संविधान ओ संघीय कानूनम स्पष्ट उल्लेख हुइलकम बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद कार्यकारिणी अधिकारक प्रयोग करबेर नेपाल सरकारसे समन्वय कैख करपर्ने बा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार प्रदेश सरकारक नाउँम हुइना निर्णय वा आदेश ओ तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रक प्रमाणीकरण प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

१६३. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशम नेपाल सरकारक प्रतिनिधिक रूपम प्रदेश प्रमुख रहने बा ।

(२) राष्ट्रपति प्रत्येक प्रदेशक लाग एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति कर्ने बा ।

(३) राष्ट्रपति पदावधि समाप्त हुइनासे आघ निज हन पदमुक्त कर्लकम बाहेक प्रदेश प्रमुखक पदावधि पाँच वर्षक हुइने बा ।

(४) एक्क मनैया एक फ्यारासे ढिउर एक्क प्रदेशम प्रदेश प्रमुख ह्वाय निसेकी ।

१६४. प्रदेश प्रमुखक योग्यता : देहायक योग्यता हुइलक मनैय प्रदेश प्रमुख हुइकलाग योग्य हुइने बा :-

(क) संघीय संसदक सदस्य ह्वाय योग्य हुइलक,

(ख) पैतीस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(ग) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइलक ।

१६५. प्रदेश प्रमुखक पद रिक्त हुइना अवस्था : (१) देहायक कौनो अवस्थाम प्रदेश प्रमुखक पद रिक्त हुइ :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे वा ओहीसे आघ राष्ट्रपति निजहन पदमुक्त कर्लसे,

(ग) निजक मृत्यु हुईलसे ।

(२) कौनो प्रदेशक प्रदेश प्रमुखक पद रिक्त हुइलक अवस्थाम प्रदेश प्रमुखक निर्युक्ति निहुइट सम्मकलाग राष्ट्रपति और कौनो प्रदेशक प्रदेश प्रमुखहन ओसिन प्रदेशक समेत कामकाज कर्ना कैख त्वाक सेक्ने बा ।

१६६. प्रदेश प्रमुखक, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) प्रदेश प्रमुख यी संविधान वा कानून अन्सार निजहन प्राप्त अधिकारक प्रयोग ओ कर्तव्यक पालन कर्ने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार अधिकारक प्रयोग करबेर कर्तव्यक पालन करबेर यी संविधान वा कानून अन्सार कौनो निकाय वा पदाधिकारीक सिफारिसम कर्ना कैख किटानीसाथ व्यवस्था हुइलक कार्य बाहेकं प्रदेश प्रमुखसे सम्पादन करजैना और जौनफे कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदक सिफारिस ओ सम्मतिसे हुइनेबा । असिन सिफारिस ओ सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुइने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार प्रदेश प्रमुखक नाउँम हुइना निर्णय वा आदेश ओ तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रक प्रमाणीकरण प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

१६७. प्रदेश प्रमुखक शपथ : प्रदेश प्रमुख आपन कार्यभार सम्हाल्ना आघ संघीय कानून अन्सार राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताक शपथ लिहे पर्ने बा ।

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदक गठन : (१) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभाम बहुमत प्राप्त संसदीय दलक नेताहन मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्नेबा ओ निजक अध्यक्षताम प्रदेश मन्त्रिपरिषदक गठन हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार प्रदेश सभाम कौना फे दलक स्पष्ट बहुमत निरलक अवस्थाम प्रदेश सभाम प्रतिनिधित्व कर्ना डुई वा डुई से ढीउर दलहुँकन्हँक समर्थनम बहुमत प्राप्त कर सेक्ना प्रदेश सभक सदस्यहन प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

(३) प्रदेश सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइलक मितिले तीस डिनभिट्टर उपधारा (२) अन्सार मुख्यमन्त्री नियुक्ति ह्वाय सेक्ना अवस्था निहुइलसे वा ओसिख नियुक्त मुख्यमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मत प्राप्त कर निसेक्लसे प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभाम सबसे ढीउर सदस्य हुइलक संसदीय दलक नेताहन मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

(४) उपधारा (२) वा (३) अन्सार नियुक्त मुख्यमन्त्री ओसिख नियुक्त हुइलक तीस दिनभिट्टर प्रदेश सभासे विश्वासक मत प्राप्त कर पर्ने बा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार नियुक्त मुख्यमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मत प्राप्त कर निसेक्लसे उपधारा (२) अन्सारक कौनो सदस्य प्रदेश सभाम विश्वासक मत प्राप्त कर सेक्ना अवस्था हुइलसे प्रदेश प्रमुख ओसिन सदस्यहन मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्ने बा ।

(६) उपधारा (५) अन्सार नियुक्त मुख्यमन्त्री उपधारा (४) अन्सार विश्वासक मत प्राप्त कर पर्ने बा ।

(७) उपधारा (५) अन्सार नियुक्त मुख्यमन्त्री विश्वासक मत प्राप्त कर निसेक्लसे वा मुख्यमन्त्री नियुक्त ह्वाय निसेक्लसे मुख्यमन्त्रीक सिफारिसम प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभाहन विघटन कैख छ मैन्हाँ भिट्टर और प्रदेश सभक निर्वाचन सम्पन्न हुइना कैख निर्वाचन मिति तोक्ने बा ।

(८) यी संविधान अन्सार हुइलक प्रदेश सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइल वा मुख्यमन्त्रीक पद रिक्त हुइलक मितिले पैंतीस डिनभिट्टर यी धारा अन्सार मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न कर पर्ने बा ।

(९) प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीक सिफारिसम प्रदेश सभक सदस्यमध्येसे समावेशी सिद्धान्त अन्सार मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभक कुल सदस्य संख्याक बीस प्रतिशत से ढीउर निहुइना कैख प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन कर्ने बा ।

स्पष्टीकरण : यी भागक प्रयोजनक लाग "मन्त्री" कहबेर मन्त्री, राज्य मन्त्री ओ सहायक मन्त्री सम्झ पर्ठा ।

(१०) मुख्यमन्त्री ओ मन्त्री सामूहिक रूपम प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुइनेबाट ओ मन्त्रीहुंक आपन मन्त्रालयक कामक लाग व्यक्तिगत रूपम मुख्यमन्त्री ओ प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुइनेबाट ।

१६९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीक पद रिक्त हुइना अवस्था : (१) देहायक कौनो अवस्थाम मुख्यमन्त्रीक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) धारा १८८ अन्सार विश्वासक प्रस्ताव पारित ह्वाय निसेक्लसे वा निजक विरूद्ध अविश्वासक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) निज प्रदेश सभक सदस्य निरलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(२) देहायक कौनो अवस्थाम मन्त्रीक पद रिक्त हुइने वा :-

(क) निज मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) मुख्यमन्त्री निजहन पदमुक्त कर्लसे,

(ग) उपधारा (१) क खण्ड (क), (ख) वा (ग) अन्सार मुख्यमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(३) उपधारा (१) अन्सार मुख्यमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसेफे और प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन निहुइटसम उहो मन्त्रिपरिषद कार्य सञ्चालन कर्ने वा । लेकिन मुख्यमन्त्रीक मृत्यु हुइलसे और मुख्यमन्त्री नियुक्ति निहुइटसम्मक लाग वरिष्ठतम मन्त्री मुख्यमन्त्रीक रूपम कार्य सञ्चालन कर्ने वा ।

१७०. प्रदेश सभक सदस्य निहुइलक व्यक्ति मन्त्री ह्वाय सेक्ना : (१) धारा १६८ क उपधारा (९) म कौनोफे वाट लिखगैलक हुइलसेफे प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीक सिफारिसम प्रदेश सभक सदस्य निहुइलक कौनो व्यक्तिहन मन्त्री पदम नियुक्त कर सेक्ने वा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार नियुक्त मन्त्री शपथ ग्रहण कर्लक मितिले छ महीनाभिट्टर प्रदेश सभक सदस्यता प्राप्त कर पर्ने वा ।

३) उपधारा (२) अन्सारक अवधिभिट्टर प्रदेश सभक सदस्यता प्राप्त कर निसेक्लसे तत्काल कायम रहल प्रदेश सभक कार्यकालम निज मन्त्री पदम पुनः नियुक्तिक लाग योग्य निहुइने हो ।

(४) उपधारा (१) म कौनोफे वाटलिखगैलक हुइलसेफे तत्काल कायम रहल प्रदेश सभक निर्वाचनम पराजित हुइलक व्यक्ति उ प्रदेश सभक कार्यकालम उपधारा (१) अन्सार मन्त्री पदम नियुक्तिक लाग योग्य निहुइ ।

१७१. मुख्यमन्त्री ओ मन्त्रीक पारिश्रमिक तथा और सुविधा : मुख्यमन्त्री ओ मन्त्रीक पारिश्रमिक ओ और सुविधा प्रदेश ऐन अन्सार हुइने बा। ओसिन ऐन निबनटसम प्रदेश सरकार तोक्लक अन्सार हुइने बा।

१७२. शपथ : मुख्यमन्त्री ओ मन्त्री प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री ओ सहायक मन्त्री मुख्यमन्त्री समक्ष आपन कार्यभार सम्हाल्नासे आघ प्रदेश कानून अन्सार पद तथा गोपनीयताक शपथ लिहे पर्ने बा।

१७३. प्रदेश प्रमुखहन जानकारी डेना : मुख्यमन्त्री देहायक विषयम प्रदेश प्रमुखहन जानकारी डेने बा :-

(क) प्रदेश मन्त्रिपरिषदक निर्णय,

(ख) प्रदेश सभाम पेश करजैना विधेयक,

(ग) खण्ड (क) ओ (ख) म उल्लिखित विषयम प्रदेश प्रमुख जानकारी मङ्लक और आवश्यक विवरण, ओ

(घ) प्रदेशक समसामयिक परिस्थिति।

१७४. प्रदेश सरकारक कार्य सञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारसे स्वीकृत नियमावली अन्सार प्रदेश सरकारक कार्य विभाजन ओ कार्य सम्पादन हुइने बा।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गतक नियमावलीक पालन हुइल वा नहुइल कना प्रश्न कौनो अदालतम उठाय निसेकजाइ।

प्रदेश व्यवस्थापिका

१७५. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशक व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुइने बा जेहीहन प्रदेश सभा कैजाइ ।

१७६. प्रदेश सभक गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभाम देहाय अन्सारक संख्याम सदस्य रहनेबाट :-

(क) सम्बन्धित प्रदेशसे प्रतिनिधि सभाम पैल्हा हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार निर्वाचित हुइना सदस्य संख्याक डोब्बर संख्याम ह्वाय अइना सदस्य,

(ख) खण्ड (क) अन्सार कायम हुइना सदस्य संख्याहन साठी प्रतिशत मानख बाँकी चालीस प्रतिशतम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसे निर्वाचित हुइना सदस्य ।

(२) उपधारा (१) क खण्ड (क) अन्सारक सदस्य निर्वाचनक लाग भूगोल ओ जनसंख्याक आधारम संघीय कानून अन्सार निर्वाचन क्षेत्र कायम करजाइ ।

(३) प्रदेश सभक साठी प्रतिशत सदस्यहुँक पैल्हा हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार ओ चालीस प्रतिशत सदस्यहुँक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्सार निर्वाचित हुइने बाट ।

(४) उपधारा (३) अन्सार हुइना प्रदेश सभा सदस्यक निर्वाचन कानून अन्सार बालिग मताधिकारक आधारम गोप्य मतदानसे हुइने बा ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा हुइलक प्रदेशक क्षेत्रभिट्टर बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली नागरिकहन कानून अन्सार कौनो एक निर्वाचन क्षेत्रम मतदान कर्ना अधिकार हुइने बा ।

(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्सार हुइना प्रदेश सभक निर्वाचनका लाग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डिहेबेर जनसंख्याक आधारम महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पाछपरल क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतसे बन्द सूचीक आधारम प्रतिनिधित्व हुइना व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा । ओसिख उम्मेदवारी डिहेबेर सम्बन्धित प्रदेशक भौगोलिक सन्तुलनहन समेत ध्यान डिहेपर्ने बा ।

स्पष्टीकरण : यी भागक प्रयोजनक लाग "खस आर्य" कहबेर क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झ पर्ठा ।

(७) उपधारा (६) अन्सार राजनीतिक दल उम्मेदवारी डिहेवेर अपांगता हुइलक व्यक्तिक समेत प्रतिनिधित्व हुइना व्यवस्था कर पर्ने बा ।

(८) प्रदेश सभक कार्यकाल छ महीना से ढिउर अवधि बाँकी पलरहलम कौनो सदस्यक स्थान रिक्त हुईलसे ओसिन स्थान जौन निर्वाचन प्रणालीसे पूर्ति हुइलरह उहो प्रक्रियासे पूर्ति करजैने बा ।

(९) यी धाराम औरठाउँ ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुईलसेफे प्रदेश सभाम प्रतिनिधित्व कर्ना प्रत्येक राजनीतिक दलसे निर्वाचित कुल सदस्य संख्याक कम्तीम एक तिहाइ सदस्य महिला हुई पर्ने बा । ओसिख निर्वाचित करबेर उपधारा (१) क खण्ड (क) अन्सार निर्वाचित सदस्यहुंक मध्ये कौनो राजनीतिक दलक एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित निहुईलसे ओसिन राजनीतिक दल सोही उपधाराक खण्ड (ख) अन्सार सदस्य निर्वाचित करबेर आपन दलसे प्रदेश सभाम निर्वाचित हुइना कुल सदस्यक कम्तीम एक तिहाइ महिला सदस्य हुइना कैख निर्वाचित कर पर्ने बा ।

(१०) प्रदेश सभक सदस्यक लाग हुइना निर्वाचनम मतदान कर्ना अधिकार पाइल धारा १७८ अन्सार योग्यता पुगल कौनोफे व्यक्ति कानूनक अधीनम रहक प्रदेशक कौनो फे निर्वाचन क्षेत्रसे उम्मेदवार ह्वाय पैने बा । लेकिन एक्क व्यक्ति एक से ढिउर निर्वाचन क्षेत्रम एक्क फ्यारा उम्मेदवार ह्वाय निपैनेहो ।

(११) प्रदेश सभक निर्वाचन सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

१७७. प्रदेश सभक कार्यकाल : (१) यी संविधान अन्सार आगहें विघटन हुइलकम बाहेक प्रदेश सभक कार्यकाल पाँच वर्षक हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) म जसिन बाट लिखल हुईलसेफे सम्बन्धित प्रदेशम संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश लागू रहल अवस्थाम प्रदेश ऐन अन्सार प्रदेश सभक कार्यकाल एक वर्षम निबहरना कैख थप कर सेकजाइ ।

(३) उपधारा (२) अन्सार थप करगैलक प्रदेश सभक कार्यकाल सम्बन्धित प्रदेशम संकटकालीन अवस्थक घोषणा वा आदेश खारेज हुइलक मितिले छ मैन्हाँ पुग्लक पाछ स्वतः समाप्त हुइने बा ।

१७८. प्रदेश सभक सदस्यक लाग योग्यता : (१) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति प्रदेश सभक सदस्य ह्वाय योग्य हुइने बा :-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) सम्बन्धित प्रदेशक मतदाता रहल,

(ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा हुइल,

(घ) नैतिक पतन डेखपर्ना फौजदारी कसूरम सजाय निपाइल,

(ङ) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइल, ओ

(च) कौनो लाभक पदम वहाल निरहल ।

स्पष्टीकरण : यी खण्डक प्रयोजनक लाग "लाभक पद" कहबेर निर्वाचन वा मनोनयनसे पूर्ति करजैना राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषसे पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पैना और पद सम्झ पर्ठा ।

(२) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुइना राजनीतिक पदम बहाल रहल व्यक्ति यी भाग अन्सार प्रदेश सभक सदस्य पदम निर्वाचित हुइलसे ओसिन पदक शपथ ग्रहण कर्लक डिनसे निजक ओसिन पद स्वतः रिक्त हुइने बा ।

१७९. प्रदेश सभक सदस्यक शपथ : प्रदेश सभक सदस्यहुँक प्रदेश सभा वा बाकर कौनो समितिक कचेह्रीम पैल्हा फ्यारा भाग लेनासे आघ प्रदेश कानून अन्सार शपथ लिहे पर्ने बा ।

१८०. प्रदेश सभा सदस्यक स्थान रिक्त हुइना : देह्रायक कौनो अवस्थाम प्रदेश सभाके सदस्यक स्थान खाली हुइने बा :-

(क) निज प्रदेश सभक सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक धारा १७८ अन्सारक योग्यता निहुइलसे वा निरलसे,

(ग) प्रदेश सभक कार्यकाल समाप्त हुइलसे वा विघटन हुइलसे,

(घ) निज प्रदेश सभाहन सूचना निडेख लगातार दश ठो कचेह्रीम अनुपस्थित रलसे,

(ङ) जौन दलक उम्मेदवार होख सदस्य निर्वाचित हुइलक हो ओसिन दल संघीय कानून अन्सार निज दल त्याग कर्लक बाट सूचित कर्लसे,

(च) निजक मृत्यु हुइलसे

१८१. प्रदेश सभा सदस्यक अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभक कौनो सदस्य धारा १७८ अन्सार अयोग्य बा वा ह्वाय गैलक बा कना प्रश्न उठलसे वाकर निर्णय सर्वोच्च अदालतक संवैधानिक इजलास कर्ने बा ।

१८२. प्रदेश सभक सभामुख ओ उपसभामुख : (१) प्रदेश सभक पैल्हा कचेह्री प्रारम्भ हुइलक मितिले पन्ध्र डिनभित्र प्रदेश सभक सदस्यहुँक अप्न मध्येसे प्रदेश सभामुख ओ प्रदेश उपसभामुखक निर्वाचन कर्ने बाट ।

(२) उपधारा (१) अन्सार निर्वाचन करबेर प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जन महिला हुइना कैख कर पर्ने बा ओ प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलक प्रतिनिधि ह्वाय पर्ने बा । लेकिन प्रदेश सभाम एक से ढिउर दलक प्रतिनिधित्व निहुइलक वा प्रतिनिधित्व होख फे उम्मेदवारी निडेलक अवस्थाम एक्क दलक सदस्य प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख ह्वाय बाधा निपरी ।

(३) प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखक पद रिक्त हुइलसे प्रदेश सभक सदस्यहुँक अप्न मध्येसे निर्वाचन कैख प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखक पद पूर्ति कर्ने बाट ।

(४) प्रदेश सभामुखक अनुपस्थितिम प्रदेश उपसभामुख प्रदेश सभक अध्यक्षता कर्ने बा ।

(५) प्रदेश सभामुख ओ प्रदेश उपसभामुखक निर्वाचन निहुइलक वा डुनु पद रिक्त हुइलक अवस्थाम प्रदेश सभक कचेह्रीक अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरक हिसाबले ज्याठ सदस्य कर्ने बा ।

(६) देहायक कौनो अवस्थाम प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) निज प्रदेश सभक सदस्य निरलसे, लेकिन प्रदेश सभा विघटन हुइलक अवस्थाम आपन पदमा बहाल रहल प्रदेश सभामुख ओ प्रदेश उपसभामुख प्रदेश सभक लाग हुइना और निर्वाचनक उम्मेदवारी दाखिल कर्ना आघक डिनसम आपन पदम बहाल रहने बा ।

(ख) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ग) निज पद अनुकूल आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव प्रदेश सभक तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक डुईतिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे ।

(७) प्रदेश सभामुख पद अनुकूलक आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव उपर छलफल हुइना कचेह्रीक अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुख कर्ने बा । असिन प्रस्तावक छलफलम प्रदेश सभामुख भाग लिहे ओ मत डिहे पाइ ।

१८३. प्रदेश सभक अधिवेशनक आव्हान ओ अन्त्य : (१) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभक लाग हुइलक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम घोषणा हुइलक मितिले बीस डिन भित्र प्रदेश सभक अधिवेशन आव्हान कर्ने बा । बाकरपाछ यी संविधान अन्सार प्रदेश प्रमुख समय समयम और अधिवेशन आव्हान कर्ने बा ।

लेकिन एकठो अधिवेशनक समाप्ति ओ और अधिवेशनक शुरुक बीचक अवधि छ मैन्हासे ढिउर निरही ।

(२) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभक अधिवेशनक अन्त्य कर सेक्ने बा ।

(३) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभक अधिवेशन चालू निरहल वा कचेह्री स्थगित हुइलक अवस्थाम अधिवेशन वा कचेह्री बलाए वाञ्छनीय वा कैश प्रदेश सभक सक्कु सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्यहुँक लिखित अरजी कर्लसे ओसिन अधिवेशन वा कचेह्री बैठना मिति ओ समय तोक्ने बा । ओसिख तोकगैलक मिति ओ समयम प्रदेश सभक अधिवेशन प्रारम्भ हुइना वा कचेह्री बैठने बा ।

१८४. प्रदेश प्रमुखसे सम्बोधन : (१) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभक कचेह्रीहन सम्बोधन कर ओ बाकरलाग सदस्यहुंकन उपस्थितिक आह्वान कर सेक्ने बा ।

(२) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभक लाग हुइलक निर्वाचन पाछक पैल्हा अधिवेशन ओ प्रत्येक वर्षक पैल्हा अधिवेशनक प्रारम्भ हुइलक पाछ प्रदेश सभक कचेह्रीहन सम्बोधन कर्ने बा ।

१८५. प्रदेश सभक गणपूरक संख्या : यी संविधानम अन्यथा लिखगैलकम बाहेक प्रदेश सभक कचेह्रीम सक्कु सदस्य संख्याक एक चौथाइ सदस्य उपस्थित निहुइटसम कौनो प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयक लाग प्रस्तुत निकरजाइ ।

१८६. प्रदेश सभाम मतदान : प्रदेश सभाम निर्णयक लाग प्रस्तुत करगैलक कौनोफे प्रस्तावक निर्णय उपस्थित होख मतदान कर्ना सदस्यहुंकन्हँक बहुमतसे हुइने बा । अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिहन मत डेना अधिकार निरही ।

लेकिन मत बराबर हुइलसे अध्यक्षता कर्ना व्यक्ति आपन निर्णायक मत डेने बा ।

१८७. प्रदेश सभक विशेषाधिकार : (१) यी संविधानक अधीनम रहख प्रदेश सभाम पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने बा ओ प्रदेश सभाम व्यक्त करगैल कौनो बाट वा डिहेल

कौनो मतहन लेख कौनोफे सदस्यहन पक्राउ कर्ना, थुनाम ढर्ना वा निज उपर कौनो अदालतम कारवाही निचलाजाइ ।

(२) यी संविधानक अधिनम रहख प्रदेश सभाहन आपन काम कारवाही ओ निर्णय कर्ना पूर्ण अधिकार रहने बा ओ प्रदेश सभक कौनो काम कारवाही नियमित वा वा निहो कैंख निर्णय कर्ना अधिकार प्रदेश सभाहन केल हुइने बा । यी सम्बन्धम कौनो अदालतम प्रश्न निउठाजाइ ।

(३) प्रदेश सभक कौनो कारबाही उपर वाकर असल नियतक विषयम शंखा उठाए कौनो टीका-टिप्पणी निकरजाइ ओ कौनो सदस्य बोल्लक कौनो बाटक सम्बन्धम जान-जान गलत वा भ्रामक अर्थ लगाय कौनो प्रकारक प्रकाशन वा प्रसारण कर निपाजाइ ।

(४) उपधारा (१) ओ (३) क व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेश सभक कचेह्रीम भाग लिहे पैना और व्यक्तिक हकम फे लागू हुइने बा ।

(५) प्रदेश सभक अधिकार अन्तर्गत कौनो लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित कर्लक विषयहन लेख कौनो व्यक्ति उपर अदालतम कारवाही निचली ।

स्पष्टीकरण : यी उपधारा ओ उपधारा (१), (२), (३) व (४) क प्रयोजनक लाग "प्रदेश सभा" कहबेर प्रदेश सभक समितिक कब्बेही समेतहन जनैठा ।

(६) प्रदेश सभक सदस्यहन अधिवेशन बलैलक सूचना जारी हुइलक पाछ अधिवेशन अन्त्य निहुइट सम्मक अवधिभर पक्राउ निकरजाइ । लेकिन कौनो फौजदारी अभियोगम कौनो सदस्यहन कानून अन्सार पक्राउ कर यी उपधारा बाधा पुगैलक निमानजाइ । असिख कौनो सदस्य पक्राउ कर्लसे पक्राउ कर्ना अधिकारी वाकर सूचना प्रदेश सभक अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिहन तुरुन्त डिहे पर्ने वा ।

(७) विशेषाधिकारक हननहन प्रदेश सभक अवहेलना मानजाइ ओ कौनो विशेषाधिकारक हनन हुइल वा वा निहो कना सम्बन्धम निर्णय कर्ना अधिकार प्रदेश सभाहन केल हुइने बा ।

(८) कीउफे प्रदेश सभक अवहेलना कर्लसे ओसिन सभक अध्यक्षता कर्ना व्यक्ति प्रदेश सभक निर्णयसे ओसिन व्यक्तिहन सचेत कराय, नसीहत डिहे वा तीन मैन्हाँम निवहरना कैख कैद कर वा दश हजार रुपैयाँसम जरिबाना कर सेक्नेबा ओ ओसिन जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर करजैने बा

लेकिन प्रदेश सभाहन सन्तोष हुइना कैह ओसिन व्यक्तिक्षमायाचना कर्लसे ओसिन सभा क्षमा प्रदान कर वा त्वाकल सजायहन माफी वा कम कर सेक्ने वा ।

(९) प्रदेश सभक विशेषाधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश कानून अन्सार हुइने वा ।

१८८. विश्वासक मत ओ अविश्वासक प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुख्यमन्त्री कौनोफे व्याला आपन उप्पर प्रदेश सभक विश्वास वा कना बाट स्पष्ट कर आवश्यक वा उपयुक्त मन्लसे विश्वासक मतक लाग प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव ढर सेक्ने वा ।

(२) मुख्यमन्त्री प्रतिनिधित्व कर्ना दल विभाजित हुइलसे वा प्रदेश सरकारम सहभागी दल आपन समर्थन फिर्ता लेलसे तीस डिनभिट्टर मुख्यमन्त्री विश्वासक मतक लाग प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव ढर पर्ने वा ।

(३) उपधारा (१) ओ (२) अन्सार पेश हुइलक प्रस्ताव प्रदेश सभाम तत्काल कायम रहल सक्कु सदस्य संख्याक बहुमतले पारित ह्वाय निसेक्लसे मुख्यमन्त्री आपन पदसे मुक्त हुइने वा ।

(४) प्रदेश सभाम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्यहुँक मध्ये एक चौथाइ सदस्य मुख्यमन्त्री उप्पर प्रदेश सभक विश्वास निहो कैह लिखितरूपम अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर सेक्नेबाट । लेकिन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुइलक पैल्हा डुई वर्षसम ओ एकफ्यारा ढर्लक अविश्वासक प्रस्ताव असफल हुइलक एक वर्ष भिट्टर ओसिन अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर निसेकजाइ ।

(५) उपधारा (४) अन्सार अविश्वासक प्रस्ताव पेश करबेर मुख्यमन्त्रीक लाग प्रस्तावित सदस्यक नाउँ समेत उल्लेख करल हुइ पर्ने वा ।

(६) उपधारा (४) अन्सार पेश हुइलक अविश्वासक प्रस्ताव प्रदेश सभाम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतसे पारित हुइलसे मुख्यमन्त्री , पदमुक्त हुइने वा ।

(७) उपधारा (६) अन्सार अविश्वासक प्रस्ताव पारित होख मुख्यमन्त्रीक पद रिक्त हुइलसे उपधारा (५) अन्सार प्रस्ताव करल प्रदेश सभा सदस्यहन प्रदेश प्रमुख धारा १६८ अन्सार मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्ने वा ।

१८९. मन्त्री, राज्यमन्त्री ओ सहायक मन्त्री प्रदेश सभक कचेह्रीम भाग लिहे पैना : मन्त्री, राज्यमन्त्री ओ सहायक मन्त्री प्रदेश सभा ओ वाकर समितिक कचेह्रीम

उपस्थित ह्वाय ओ कारबाही तथा छलफलम भाग लिहे पैने बा ।

लेकिन प्रदेश सभक सदस्य निहुइल मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री प्रदेश सभक कचेह्रीम वा बाकर समितिम मतदान कर ओ प्रदेश सभक सदस्य रहल मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री अप्न सदस्य रहल समिति बाहेकक समितिक कचेह्रीम मतदान कर निपाइ ।

१९०. प्रदेश सभाम अनधिकार उपस्थित हुइलम वा मतदान कर्लसे सजाय : धारा १७९ अन्सार शपथ निलेलक वा प्रदेश सभक सदस्य निहुइलक कौनो व्यक्ति सदस्यक हैसियतले प्रदेश सभा वा बाकर समितिक कचेह्रीम उपस्थित होख वा मतदान कर्लसे निजहन ओसिन कचेह्रीक अध्यक्षता कर्ना व्यक्तिक आदेशले ओसिख उपस्थित होख वा मतदान कर्लक प्रत्येक फ्यारक लाग पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुइने बा ओ ओसिन जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर करजैने बा ।

१९१. बहसम बन्देज : नेपालक कौनो अदालतम विचाराधीन मुद्दक सम्बन्धम न्याय निरूपणम प्रतिकूल असर पर्ना विषय तथा न्यायाधीश कर्तव्य पालनक सिलसिलाम कर्लक न्यायिक कार्यक सम्बन्धम प्रदेश सभाम कौनो छलफल निकरजाइ ।

१९२. सदस्यक स्थान रिक्त रहल अवस्थाम प्रदेश सभक कार्य सञ्चालन : प्रदेश सभक कौनो सदस्यक स्थान रिक्त रहल अवस्थाम समेत प्रदेश सभा आपन कार्य सञ्चालन कर सेक्ने बा ओ प्रदेश सभक कारबाहीम भाग लिहे निपैना कौनो व्यक्ति भाग लेलक बाट पाछ पत्ता लागल कलसे फे होस्याकल काम अमान्य निहुइ ।

१९३. प्रदेश सभा समिति गठन कर सेक्ना : प्रदेश सभक कार्य प्रणालीहन व्यवस्थित कर प्रदेश सभा नियमावली अन्सार आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन कर सेक्ने बा ।

१९४. प्रदेश सभक कार्य सञ्चालन विधि : प्रदेश सभा आपन कार्य सञ्चालन कर, कचेह्रीक सुव्यवस्था कायम ढर ओ समितिहुँकन्हँक गठन, काम, कारबाही ओ समिति सम्बन्धी और विषय नियमित करकलाग नियमावली बनाइ । ओसिख नियमावली निबनटसम प्रदेश सभा आपन कार्यविधि अप्नहें नियमित कर्ने बा ।

१९५. प्रदेश सभक सचिव ओ सचिवालय : (१) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभामुखक सिफारिसम प्रदेश सभक सचिव नियुक्त कर्ने बा ।

(२) प्रदेश सभक काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करक लाग एक सचिवालय रहनेबा । ओसिन सचिवालयक स्थापना ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

(३) प्रदेश सभक सचिवक योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाक और शर्त प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा ।

१९६. पारिश्रमिक : प्रदेश सभक सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यक पारिश्रमिक ओ सुविधा प्रदेश कानून अन्सार हुइने बा । ओसिन कानून निबनटसम प्रदेश सरकार टोक्लक अन्सार हुइने बा ।

प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि

१९७. प्रदेश सभक व्यवस्थापिकीय अधिकार : प्रदेश सभक व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची-६, अनुसूची-७ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लेख हुइल अन्सार हुइने वा ।

१९८. प्रदेश सभाम विधेयक प्रस्तुत कर्ना विधि : (१) यी संविधानक अधीनम रहख प्रदेश सभाम विधेयक प्रस्तुत कर सेकजैने वा ।

(२) अर्थ विधेयक ओ शान्ति सुरक्षासे सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकक रूपम केल प्रस्तुत करजैने वा ।

(३) "अर्थ विधेयक" कहबेर देहायम उल्लेखित सक्कु वा कौनो विषयसे सम्बन्ध रख्ना विधेयकहन जनैठा :-

(क) प्रदेशम कर लगैना, उठैना, खारेज कर्ना, छूट डेना, परिवर्तन कर्ना वा कर प्रणालीहन व्यवस्थित कर्ना विषय,

(ख) प्रदेश सञ्चित कोष वा और कौनो प्रदेश सरकारी कोषक संरक्षण कर्ना, ओसिन कोषम रकम जम्मा कर्ना वा ओसिन कोषसे कौनो रकम विनियोजन वा खर्च कर्ना, वा विनियोजन वा खर्च कर खोज्लक रकम घटैना, बढ़ैना वा खारेज कर्ना विषय,

(ग) प्रदेश सरकार रिन प्राप्त कर्ना वा जमानत डेना विषय व्यवस्थित कर्ना वा प्रदेशक सरकार लिहेल वा लेना आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन कर्ना विषय,

(घ) प्रदेश सरकारी कोषम प्राप्त हुइना सक्कु मेह्नीक राजस्व, रिन असुलीसे प्राप्त रकम ओ अनुदानक रकम जिम्मा ढर्ना, लगानी कर्ना वा प्रदेश सरकारक लेखा वा लेखा परीक्षण कर्ना विषय, वा

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुइलक प्रासंगिक विषय ।

लेकिन कौनो अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जसीन दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगैना वा कौनो जरिवाना वा कैद हुइना व्यवस्था हुइलक कारणले केल कौनो विधेयक अर्थ विधेयक निमानजाइ ।

(४) कौनो विधेयक अर्थ विधेयक हो की निहो कना प्रश्न उठलसे प्रदेश सभक सभामुखक निर्णय अन्तिम हुइने वा ।

१९९. विधेयक पारित कर्ना विधि : (१) प्रदेश सभा पारित कर्लक विधेयक प्रमाणीकरणक लाग प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश करजैने बा ।

(२) कौनो विधेयक विचाराधीन रहल अवस्थाम प्रदेश सभक अधिवेशनक अन्त्य हुइलसेफे उ विधेयकउप्पर और अधिवेशनम कारबाही ह्वाय सेक्ने बा ।

लेकिन कौनो विधेयक प्रदेश सभाम विचाराधीन रहल अवस्थाम प्रदेश सभा विघटन हुइलसे वा उ सभक कार्यकाल समाप्त हुइलसे ओसिन विधेयक निष्क्रिय हुइने बा ।

२००. विधेयक फिर्ता लिहे सेक्ना : विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रदेश सभक स्वीकृति लेख विधेयक फिर्ता लिह सेक्ने बा ।

२०१. विधेयकम प्रमाणीकरण : (१) धारा १९९ अन्सार प्रमाणीकरणक लाग प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश करजैना विधेयक प्रदेश सभक सभामुख प्रमाणित कैख पेश कर पर्ने बा ।

लेकिन अर्थ विधेयकक हकम अर्थ विधेयक हो कैख प्रदेश सभामुख प्रमाणित कर पर्ने बा ।

(२) यी धारा अन्सार प्रमाणीकरणक लाग प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश हुइलक विधेयक प्रदेश प्रमुख पन्ध्र डिनभिट्र प्रमाणीकरण कैख वाकर सूचना स्याकलसम झट्ट प्रदेश सभाहन डेने बा ।

(३) प्रमाणीकरणक लाग पेश हुइलक अर्थ विधेयक बाहेक और विधेयकक सम्बन्धम पुनर्विचार ह्वाय आवश्यक बा कना प्रदेश प्रमुखहन लग्लसे निज विधेयक पेश हुइलक पन्ध्र डिनभिट्र सन्देश सहित प्रदेश सभाम फिर्ता पठाय सेक्ने बा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार प्रदेश प्रमुख कौनो विधेयक सन्देश सहित फिर्ता कर्लसे उ विधेयक उप्पर प्रदेश सभा पुनर्विचार कैख ओसिन विधेयक प्रस्तुत रूपम वा संशोधन सहित पारित कैख पुनः पेश कर्लसे ओसिख पेश हुईलक पन्ध्र डिन भिट्र प्रदेश प्रमुख प्रमाणीकरण कर्ने बा ।

(५) प्रदेश प्रमुखसे प्रमाणीकरण हुइलक पाछ विधेयक ऐन बन्ने बा ।

२०२. अध्यादेश : (१) प्रदेश सभक अधिवेशन चल्टिरहल अवस्थाम बाहेक और अवस्थाम तत्काल कुछुकर आवश्यक पर्लसे प्रदेश मन्त्रिपरिषदक सिफारिसम प्रदेश प्रमुख अध्यादेश जारी कर सेक्ने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार जारी हुइलक अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुइने बा ।

लेकिन ओसिन प्रत्येक अध्यादेश,-

(क) जारी हुइलक पाछ बैठल प्रदेश सभक कचेह्रीम पेश करजैने बा ओ प्रदेश सभा स्वीकार निकर्लसे स्वतः निष्क्रिय हुइने बा,

(ख) प्रदेश प्रमुखसे कौनोफे व्याला खारेज ह्वाय सेक्ने बा, ओ

(ग) खण्ड (क) वा (ख) अन्सार निष्क्रिय वा खारेज निहुइलसे प्रदेश सभक कचेह्री बैठलक साठी डिन पाछ स्वतः निष्क्रिय हुइने बा।

भाग-१६

प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

२०३. कर लगाय वा रिन लिहे निपैना : (१) कानून अन्सार बाहेक प्रदेशम कर लगैना ओ निउठाजाइ ।

(२) संघीय कानून अन्सार बाहेक प्रदेश सरकार कौनो रिन लिहे ओ जमानत निडेही ।

२०४. प्रदेश सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारहन प्राप्त हुइना सक्कु मेहैंक राजस्व, राजस्वक धितोम लेगैलक सक्कु कर्जा, प्रदेश ऐनक अधिकार अन्तर्गत डेगैलक कौनोफे रिन असुल हुइबेर प्राप्त हुइलक धन ओ नेपाल सकारसे प्राप्त हुइना अनुदान एवं रिन रकम प्रदेश ऐनसे और कौनो व्यवस्था न्किर्लसे एक प्रदेश सरकारी कोषम आम्दानी बाहानजाइ जेहीहन प्रदेश सञ्चित वष कैजाइ ।

२०५. प्रेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषसे व्यय : देहायक रकम बाहेक देश सञ्चित कोष वा और कौनो प्रदेश सरकारी कोषसे कौनो रकम झिंक सिकी :-

(क) प्रदेश सञ्चित कोष उप्पर व्ययभार हुइलक रकम,

(ख) विनियोजन ऐन अन्सार खर्च हुइना रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहल अवस्थाम पेश्कीक रूपम ऐन अन्सार खर्च हुइना रकम, वा

(घ) विशेष अवस्थाम व्ययक विवरण केल हुइलक उधारो खर्च ऐनसे व्यय हुइना रकम ।

लेकिन प्रदेश आकस्मिक कोषक हकम धारा २१२ अन्सार हुइने बा ।

२०६. देश सञ्चित कोष उप्पर व्ययभार : देहायक विषयसे सम्बन्धित खर्च प्रदेश ञ्चित कोष उप्पर व्ययभार हुइने बा ओ ओसिन व्ययक लाग प्रदेश सभक ीकृति आवश्यक निपरी :-

(क) प्रदेश सभामुख ओ प्रदेश उपसभामुखहन डेना पारिश्रमिक ओ सुविधक रकम,

(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यहन डेना पारिश्रमिक ओ सुविधक रकम,

(ग) प्रदेश सरकारक दायित्वक रिन सम्बन्धी व्ययभार,

(घ) प्रदेश सरकारक विरुद्ध अदालतसे हुइलक फैसला वा आदेश अनुसार टिर पर्ना रकम, ओ

(ङ) प्रदेश कानून प्रदेश सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइना कैख निर्धारण कर्लक रकम ।

२०७. राजस्व ओ व्ययक अनुमान : (१) प्रदेशक अर्थमन्त्री प्रत्येक आर्थिक वर्षक सम्बन्धम प्रदेश सभा समक्ष देहायकबाट समेत खुलाख वार्षिक अनुमान पेश कर सेक्ने वा :-

(क) राजस्वक अनुमान,

(ख) प्रदेश सञ्चित कोषउप्पर व्ययभार हुइना आवश्यक रकम,ओ

(ग) प्रदेश विनियोजन ऐन अन्सार व्यय हुइना आवश्यक रकम ।

(२) उपधारा (१) अन्सार वार्षिक अनुमान पेश करबेर अघिल्ल आर्थिक वर्षम प्रत्येक मन्त्रालयहन छुट्याइल खर्चक रकम ओ खर्च अनुसाक लक्ष्य हासिल हुइल वा निहुइल वाकर विवरणफे संघ पेश कर पर्ने वा ।

२०८. प्रदेश विनियोजन ऐन : प्रदेश विनियोजन ऐन अन्सार व्यय हुइा रकम शीर्षकम उल्लेख कैख विनियोजन विधेयकम ढरजैने वा ।

२०९. पूरक अनुमान : (१) कौनो आर्थिक वर्षम देहायक अवस्था पर अइलर प्रदेशक अर्थमन्त्री प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश कर सेक्ने वा :-

(क) चालू आर्थिक वर्षक लाग प्रदेश विनियोजन ऐन अन्सर कौनो सेवाक लाग खर्च कर अख्तियारी डेगैलक रकम अपर्याप्त हुइलसे वा उ वर्षक लाग प्रदेश विनियोजन ऐन अधिकार निडेक लौव सेवाम खर्च कर आवश्यक हुइलसे, वा

(ख) चालू आर्थिक वर्षम प्रदेश विनियोजन ऐन अन्सार ख्तयारी डेलक रकमसे ढिउर खर्च ह्वाय गैलसे ।

(२) पूरक अनुमानम ढरगैलक रकम सम्बन्धित शीर्षकम उल्ख कैख पूरक विनियोजन विधेयकम ढरजैने वा ।

२१०. पेश्की खर्च : (१) यी भागम अन्ट ज्याजसिन लिखगैलक हुइलसे प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहल अवस्थाम आर्थिक वर्षक लाग नुमान करगैलक व्ययक कौनो अंश पेश्कीक रूपम प्रदेश ऐन अन्सार खर्च करकजैने वा ।

(२) धारा २०७ अन्सार राजस्व ओ व्ययक अनुमान पेश निकरजाइटसम पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत निकरजाइ ओ पेश्कीक रकम आर्थिक वर्षक व्यय अनुमानक एक तिहाइसे ढिउर निहुइ ।

(३) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन अन्सार खर्च हुइलक रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकम समावेश करजाइ ।

२११. उधारो खर्च : यी भागम औरठाउँम ज्याजसिन बाट लिख्लक हुइलसेफे प्राकृतिक कारण वा और कारणले करबेर प्रदेशम संकटक अवस्था पर्ख धारा २०७ क उपधारा (१) अन्सार चहना विवरण खुलाक अव्यावहारिक वा प्रदेशक सुरक्षा वा हितक दृष्टिले अवाञ्छनीय डेखगैलसे प्रदेशक अर्थमन्त्री व्ययक विवरण केल हुइलक उधारा खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश कर सेक्ने बा ।

२१२. प्रदेश आकस्मिक कोष : (१) प्रदेश ऐन अन्सार प्रदेश आकस्मिक कोषक नाउँले एकठो कोष स्थापना कर सेक्ने बा ओ ओसिन कोषम समय समयम प्रदेश ऐन अन्सार निर्धारण हुइलक रकम जम्मा करजैने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक कोष प्रदेश सरकारक नियन्त्रणम रहने बा । प्रदेश सरकार ओसिन कोषसे आकस्मिक कार्यक लाग खर्च कर सेक्ने बा ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक खर्चक रकम प्रदेश ऐन अन्सार हालिसेहाली सोधभर्ना करजैने बा ।

२१३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : प्रदेश ऐन अन्सार विनियोजित रकम एक शीर्षकसे और शीर्षकम रकमान्तर कर ओ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश ऐन अन्सार हुइने बा ।

भाग-१७

स्थानीय कार्यपालिका

२१४. स्थानीय तहक कार्यकारिणी अधिकार : (१) स्थानीय तहक कार्यकारिणी अधिकार यी संविधान ओ संघीय कानूनक अधीनम रहक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाम निहित रहने बा ।

(२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची-८ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लेख हुइल अन्सार हुइने बा ।

(३) यी संविधान ओ और कानूनक अधीनम रहक गाउँपालिका ओ नगरपालिकाक शासन व्यवस्थक सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण ओ सञ्चालन कर्ना अभिभारा गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकक हुइने बा ।

(४) गाउँपालिका ओ नगरपालिकाक कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकक नाउँम हुइने बा ।

(५) उपधारा (४) अन्सार गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकक नाउँम हुइना निर्णय वा आदेश ओ तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रक प्रमाणीकरण स्थानीय कानून अन्सार हुइने बा ।

२१५. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक गाउँपालिकाम एक जन गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहने बा । निजक अध्यक्षताम गाउँ कार्यपालिका गठन हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक गाउँ कार्यपालिकाम एक जन उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडासे निर्वाचित वडा अध्यक्ष ओ उपधारा (४) अन्सार निर्वाचित सदस्य रहनेबाट ।

(३) अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षक निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभिट्टरक मतदाताहुँक एक व्यक्ति एक मतक आधारम गोप्य मतदानसे पैल्हा हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार कर्नेबाट ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष" कहबेर गाउँ कार्यपालिकक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष सम्झ पर्ठा ।

(४) धारा २२२ अन्सारक गाउँ सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम प्राप्त हुइलक मितिले पन्ध्र डिनभिट्टर गाउँ सभक सदस्यहुँक अप्नमध्येसे निर्वाचित कर्लक चार जन महिला सदस्य ओ उपधारा (५) अन्सारक योग्यता हुइलक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभा निर्वाचित कर्लक डुइजन सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाक सदस्य हुइनेबाट ।

(५) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पदम निर्वाचित ह्वाय योग्य हुइने बा :-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा हुइलक,

(ग) गाउँपालिकक मतदाता नामावलीम नाउँ समावेश हुइलक, ओ

(घ) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइलक ।

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि निर्वाचित हुइलक मितिले पाँच वर्षक हुइने बा ।

(७) अध्यक्षक पदम डुई कार्यकाल निर्वाचित हुइलक व्यक्ति गाउँपालिकक निर्वाचनम उम्मेदवार ह्वाय निपैने हो ।

(८) देहायक कौनो अवस्थाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) अध्यक्ष उपाध्यक्ष समक्ष ओ उपाध्यक्ष अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(ग) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षक एक वरषसे ढीउर पदावधि बाँकी रहल अवस्थाम उपधारा (७) अन्सार पद रिक्त ह्वाय गैलक बाँकी अवधिक लाग रिक्त पदक पूर्ति उपनिर्वाचनसे हुइने बा ।

२१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख ओ उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक नगरपालिकाम एक जन नगर कार्यपालिक प्रमुख रहनेबाट । निजक अध्यक्षताम नगर कार्यपालिकक गठन हुइने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक नगर कार्यपालिकाम एक जन उपप्रमुख, प्रत्येक वडासे निर्वाचित वडा अध्यक्ष ओ उपधारा (४) अन्सार निर्वाचित सदस्य रहने बाट ।

(३) प्रमुख ओ उपप्रमुखक निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभिट्रक मतदाता एक व्यक्ति एक मतक आधारम गोप्य मतदानसे पहिला हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार कर्ने बाट ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "प्रमुख ओ उपप्रमुख" कहबेर नगर कार्यपालिकक प्रमुख ओ उपप्रमुख सम्झ पर्ठा ।

(४) धारा २२३ अन्सारक नगर सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम प्राप्त हुइलक मितिले पन्ध्र डिनभिट्टर नगर सभक सदस्यहुँक अप्नमध्यसे निर्वाचित कर्लक पाँच जन महिला सदस्य ओ उपधारा (५) अन्सारक योग्यता हुइलक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभा निर्वाचित कर्लक टीन जन सदस्य समेत नगर कार्यपालिकक सदस्य हुइने बाट ।

(५) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पदम निर्वाचित ह्वाय योग्य हुइनेबाट :-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा हुइलक,

(ग) नगरपालिकक मतदाता नामावलीम नाउँ समावेश हुइलक, ओ

(घ) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइलक ।

(६) प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि निर्वाचित हुइलक मितिले पाँच वर्षक हुइने बा ।

(७) प्रमुखक पदम दुई कार्यकाल निर्वाचित हुइलक व्यक्ति नगरपालिकक निर्वाचनम उम्मेदवार ह्वाय निपैने हो ।

(८) देहायक कौनो अवस्थाम प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष ओ सदस्यक पद रिक्त हुइने बा :-

(क) प्रमुख उपप्रमुख समक्ष ओ उपप्रमुख प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(ग) निजक मृत्यु हुईलसे ।

(९) प्रमुख वा उपप्रमुखक एक वर्षसे ढीउर पदावधि बाँकी रलक अवस्थाम उपधारा (८) अन्सार पद रिक्त ह्वाय गैलसे बाँकी अवधिक लाग रिक्त पदक पूर्ति उपनिर्वाचनसे हुइने बा ।

२१७. न्यायिक समिति : (१) कानून अन्सार आपन अधिकारक्षेत्र भिट्टक विवाद निरूपण कर गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रत्येक गाउँपालिकाम उपाध्यक्षक

संयोजकत्वम ओ प्रत्येक नगरपालिकाम उपप्रमुखक संयोजकत्वम टिन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक न्यायिक समितिम गाउँ सभा वा नगर सभासे अप्नमध्येसे निर्वाचित कर्लक डुइ जन सदस्यहुँक रहने बाट ।

२१८. गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकक कार्य सञ्चालन : गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकासे स्वीकृत नियमावली अन्सार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाक कार्य विभाजन ओ कार्य सम्पादन हुइने बा ।

२१९. स्थानीय तहक कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : यी भागम लिखगैल से बाहेक स्थानीय तहक कार्यकारिणी सम्बन्धी और व्यवस्था यी संविधानक अधीनम रहख संघीय कानून अन्सार हुइने बा ।

२२०. जिल्ला सभा ओ जिल्ला समन्वय समिति : (१) जिल्ला भिट्टक गाउँपालिका ओ नगरपालिकाहुँकन्हँकबीच समन्वय कर एक जिल्ला सभा रहने बा ।

(२) जिल्ला सभाम जिल्ला भिट्टक गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख ओ उपप्रमुख सदस्य रहनेबाट । गाउँ सभा ओ नगर सभक निर्वाचनक अन्तिम परिणाम प्राप्त हुइलक मितिले टीस डिन भिट्टर जिल्ला सभक पैल्हा कचेह्री बैठनेबा ।

(३) जिल्ला सभा एक जन प्रमुख, एक जन उपप्रमुख, कम्तीम तीन जना महिला ओ कम्तीम एक जन दलित वा अल्पसंख्यक सहित बह्रीम नौ जन सदस्य रहल जिल्ला समन्वय समितिक निर्वाचन कर्नेबा । जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला सभक तरफसे कर पर्ना सम्पूर्ण कार्य सम्पादन कर्नेबा ।

(४) सम्बन्धित जिल्लाभिट्टक गाउँ सभा वा नगर सभक सदस्य जिल्ला समन्वय समितिक प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदक उम्मेदवार ह्वाय योग्य हुइनेबा । जिल्ला समन्वय समितिक प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यक पदम निर्वाचित हुइलक ओसिन व्यक्तिक गाउँ सभा वा नगर सभक सदस्य पद स्वतः रिक्त हुइनेबा ।

(५) जिल्ला समन्वय समितिक प्रमुख, उपप्रमुख ओ सदस्यक पदावधि निर्वाचित हुइलक मितिले पाँच वर्षक हुइनेबा ।

(६) देहायक कौनो अवस्थाम जिल्ला समन्वय समितिक प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) प्रमुख उपप्रमुख समक्ष ओ उपप्रमुख वा सदस्य प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक पदावधि समाप्त हुइलसे,

(ग) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(७) जिल्ला सभक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा :-

(क) जिल्लाभिट्टक गाउँपालिका ओ नगरपालिका बीच समन्वय कर्ना,

(ख) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यम सन्तुलन कायम करकलाग वाकर अनुगमन कर्ना,

(ग) जिल्लाम रहल संघीय ओ प्रदेश सरकारी कार्यालय ओ गाउँपालिका ओ नगरपालिका बीच समन्वय कर्ना,

(घ) प्रदेश कानून अन्सारक और कार्य कर्ना ।

(८) जिल्ला सभक सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिक सदस्य पैना सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-१८

स्थानीय व्यवस्थापिका

२२१. स्थानीय तहक व्यवस्थापिकीय अधिकार : (१) यी संविधानक अधीनम रहख स्थानीय तहक व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा ओ नगर सभाम निहित रहनेबा ।

(२) गाउँ सभा ओ नगर सभक व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची-८ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लेख हुइल अन्सार हुइनेबा ।

२२२. गाउँ सभक गठन : (१) प्रत्येक गाउँपालिकाम एक गाउँ सभा रहनेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक गाउँ सभाम गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष ओ प्रत्येक वडासे निर्वाचित चारजन सदस्य ओ धारा २१५ क उपधारा (४) अन्सार दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाक सदस्य रहनेबाट ।

(३) उपधारा (१) अन्सार गठन हुइना गाउँ सभाम प्रत्येक वडासे कम्तीम दुईजन महिलाक प्रतिनिधित्व हुइनेबा ।

(४) संघीय कानून अन्सार गाउँपालिकाम रहना प्रत्येक वडाम वडा अध्यक्ष ओ चारजन सदस्यहुँक रहल वडा समिति गठन हुइनेबा । असिन वडा अध्यक्ष ओ वडा सदस्यक निर्वाचन पहिलो हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार हुइनेबा ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा हुइलक गाउँपालिकाक मतदाता नामावलीम नाउँ समावेश हुइलक व्यक्तिहन संघीय कानूनम व्यवस्था हुइल अन्सार मतदान कर्ना अधिकार हुइनेबा ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति गाउँ सभाके सदस्यक पदम उम्मेदबार ह्वाय योग्य हुइनेबाट :-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा हुइलक,

(ग) गाउँपालिकाक मतदाता नामावलीम नाउँ समावेश हुइलक, ओ

(घ) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइलक ।

(७) गाउँ सभक निर्वाचन ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२२३. नगर सभक गठन : (१) प्रत्येक नगरपालिकाम एक नगर सभा रहनेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक नगर सभाम नगरकार्यपालिकाक प्रमुख ओ उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष ओ प्रत्येक वडासे निर्वाचित चारजन सदस्य ओ धारा २१६ क उपधारा (४) अन्सार दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे निर्वाचित नगर कार्यपालिकाक सदस्य रहनेबाट ।

(३) उपधारा (१) अन्सार गठन हुइना नगर सभाम प्रत्येक वडासे कम्तीम दुईजन महिलाक प्रतिनिधित्व हुइनेबा ।

(४) संघीय कानून अन्सार नगरपालिकाम रहना प्रत्येक वडाम वडा अध्यक्ष ओ चारजन सदस्यहुँक रहल वडा समिति गठन हुइनेबा । असिन वडा अध्यक्ष ओ वडा सदस्यक निर्वाचन पहिलो हुइना निर्वाचित हुइना निर्वाचन प्रणाली अन्सार हुइनेबा ।

(५) अठार वर्ष उमेर पूरा हुइलक नगरपालिकाक मतदाता नामावलीमा नाउँ समावेश हुइलक व्यक्तिहन संघीय कानून अन्सार मतदान कर्ना अधिकार हुइनेबा ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति नगर सभक सदस्यक पदम उम्मेदवार ह्वाय योग्य हुइनेबा :-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा हुइल,

(ग) नगरपालिकाक मतदाता नामावलीम नाउँ समावेश हुइल, ओ

(घ) कौनो कानूनले अयोग्य निहुइल ।

(७) नगर सभक निर्वाचन ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२२४. गाउँ सभा ओ नगर सभक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष : गाउँ कार्यपालिकाक अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाक प्रमुख ओ उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा ओ नगर सभक पदेन अध्यक्ष ओ उपाध्यक्ष होख कार्य सम्पादन कर्नेबा ।

२२५. गाउँ सभा ओ नगर सभक कार्यकाल : गाउँ सभा ओ नगर सभक कार्यकाल निर्वाचन हुइलक मितिले पाँच वर्षक हुइनेबा । ओसिन कार्यकाल समाप्त हुइलक छ मैन्हाँ भित्र और गाउँ सभा ओ नगर सभक निर्वाचन सम्पन्न कर पर्नेबा ।

२२६. कानून बनाय सेक्ना : (१) गाउँ सभा ओ नगर सभा अनुसूची-८ ओ अनुसूची-९ अन्सारक सूचीम उल्लिखित विषयम आवश्यक कानून बनाय सेक्नेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार कानून बनैना प्रक्रिया प्रदेश कानून अन्सार हुइनेबा ।

२२७. गाउँ सभा ओ नगर सभासम्बन्धी और व्यवस्था : गाउँ सभा ओ नगर सभक सञ्चालन, बैठकक कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यक पद रिक्त हुइना अवस्था, गाउँ सभा ओ नगर सभक सदस्य पैना सुविधा, गाउँपालिका ओ नगरपालिकाक कर्मचारी ओ कार्यालय सम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश कानून अन्सार हुइनेबा ।

स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

२२८. कर लगाय वा रिन लिहे निपैना : (१) कानून अन्सार बाहेक स्थानीय तहम कौनो कर लगाय, उठाय वा रिन लिहे निपाजाइ ।

(२) स्थानीय तह आपन अधिकार क्षेत्रभिट्रक विषयम राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाक ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, परोसी प्रदेश वा स्थानीय तहहन प्रतिकूल निहुइना कैख कानून बनाख कर लगाय सेक्नेबा ।

२२९. स्थानीय सञ्चित कोष : (१) स्थानीय तह अन्तर्गतक प्रत्येक गाउँपालिका ओ नगरपालिकाम एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेबा । असिन कोषम गाउँपालिका वा नगरपालिकाहन प्राप्त हुइना सक्कु प्रकारक राजस्व, नेपाल सरकार ओ प्रदेश सरकारसे प्राप्त हुइना अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिका लिहेल रिन रकम ओ और स्रोतसे प्राप्त हुइना रकम जम्मा हुइनेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक स्थानीय सञ्चित कोषसे कर सेकजैना खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२३०. गाउँपालिका ओ नगरपालिकाक राजस्व ओ व्ययक अनुमान : (१) यी संविधानक अधीनम रहख गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिका प्रत्येक आर्थिक वर्षक राजस्व ओ व्ययक अनुमान स्थानीय कानून अन्सार गाउँ सभा वा नगर सभाम पेश कैख पारित कराय पर्नेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका राजस्व ओ व्ययक अनुमान पेश करबेर घाटा बजेट निर्माण करपर्ना हुइलसे संघीय कानून ओ प्रदेश कानून अन्सार घाटा पूर्ति कर्ना स्रोत समेतक प्रस्ताव कर पर्नेबा ।

भाग-२०

संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध

२३१. संघ ओ प्रदेश बीचक व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : (१) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालक कौनो क्षेत्रम केल लागू हुइना कैह बनाय सेकजैनेबा ।

(२) प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशक कौनो क्षेत्रम केल लागू हुइना कैह बनाय सेकजैनेबा ।

(३) दुई वा दुईसे ढिउर प्रदेश अनुसूची-६ म उल्लिखित कौनो विषयम कानून बनाय नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध कर्लसे संघीय संसद आवश्यक कानून बनाय सेक्नेबा । असिन कानून सम्बन्धित प्रदेशक हकम केल लागु हुइनेबा ।

२३२. संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीचक सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीचक सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व ओ समन्वयक सिद्धान्तम आधारित हुइनेबा ।

(२) नेपाल सरकार राष्ट्रिय महत्वक विषयम ओ प्रदेशहुँकन्हँक बीच समन्वय करपर्ना विषयम प्रदेश मन्त्रिपरिषदहन यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार आवश्यक निर्देशन डिहे सेक्नेबा ओ ओसिन निर्देशनक पालना कर्ना सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदक कर्तव्य हुइनेबा ।

(३) कौनो प्रदेशम नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनताम गम्भीर असर पर्ना मेह्रीक कार्य हुइलसे राष्ट्रपति ओसिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदहन आवश्यकता अनुसार सचेत कराय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद ओ प्रदेश सभाहन बह्रीम छ महीनासम निलम्बन कर वा विघटन कर सेक्नेबा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार कौनो प्रदेश मन्त्रिपरिषद ओ प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन करगैलकम ओसिन कार्य पैंतीस डिन भित्र संघीय संसदक तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतसे अनुमोदन कराय पर्नेबा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार करगैल विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदसे अनुमोदन हुइलसे ओसिन प्रदेशम छ मैन्हाँ भित्र प्रदेश सभक निर्वाचन हुइनेबा ।

लेकिन संघीय संसदसे अनुमोदन निहुइलसे ओसिन निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुइनेबा ।

(६) उपधारा (३) अन्सार करगैल निलम्बन उपधारा (४) अन्सार अनुमोदन हुइलसे ओसिन निलम्बनक अवधिभर वा उपधारा (५) अन्सार प्रदेश सभक निर्वाचन निहुइट सम्मकलाग ओसिन प्रदेशम संघीय शासन कायम रहनेबा ।

(७) संघीय शासन कायम रहल अवस्थाम संघीय संसद अनुसूची-६ अन्सारक सूचीम परल विषयम कानून बनाय सेक्नेबा । ओसिन कानून सम्बन्धित प्रदेश सभा और कानून बनाख खारेज निकरटसम बहाल रहनेबा ।

(८) नेपाल सरकार अप्पनहें वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाहन यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार आवश्यक सहयोग कर ओ निर्देशन डिहे सेक्नेबा । ओसिन निर्देशनक पालन कर्ना गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाक कर्तव्य हुइनेबा ।

२३३. प्रदेश-प्रदेश बीचक सम्बन्ध : (१) एक प्रदेश और प्रदेशक कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशक कार्यान्वयनम सहयोग कर पर्नेबा ।

(२) एक प्रदेश और प्रदेशसे साझा चासो, सरोकार ओ हितक विषयम सूचना आदान प्रदान कर्ना, परामर्श कर्ना, आपन कार्य ओ विधायनक विषयम आपसम समन्वय कर्ना ओ आपसी सहयोग विस्तार कर सेक्नेबा ।

(३) एक प्रदेश और प्रदेशक बासिन्दाहन आपन प्रदेशक कानून अन्सार समान सुरक्षा, व्यवहार ओ सुविधा उपलब्ध कराइ पर्नेबा ।

२३४. अन्तर प्रदेश परिषद : (१) संघ ओ प्रदेश बीच तथा प्रदेश-प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान कर देहाय अन्सारक एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेबा :-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारक गृहमन्त्री - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारक अर्थमन्त्री - सदस्य

(घ) सम्बन्धित प्रदेशक मुख्यमन्त्री - सदस्य

(२) अन्तर प्रदेश परिषदक कचेह्री आवश्यकता अनुसार बैठनेबा ।

(३) अन्तर प्रदेश परिषद आपन कचेह्रीम विवादक विषयसे सम्बन्धित नेपाल सरकारक मन्त्री ओ सम्बन्धित प्रदेशक मन्त्री तथा विशेषज्ञहन आमन्त्रण कर सेक्नेबा ।

(४) अन्तर प्रदेश परिषदक कचेही सम्बन्धी कार्यविधि उ परिषद अप्पनहें निर्धारण कर्लक अन्सार हुइनेबा ।

२३५. संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीचक समन्वय : (१) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह बीच समन्वय कायम करकलाग संघीय संसद आवश्यक कानून बनायसेक्नेबा ।

(२) प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम कर ओ कौनो राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुइलसे प्रदेश सभा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका ओ जिल्ला समन्वय समितिसे समन्वय कैख ओसिन विवादक समाधान कर सेक्नेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार विवाद समाधान कर्ना प्रक्रिया ओ कार्यविधि प्रदेश कानून अन्सार हुइनेबा ।

२३६. अन्तर प्रदेश व्यापार : यी संविधानम औरठाउँम ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे एक प्रदेश वा स्थानीय तहसे और प्रदेश वा स्थानीय तहक क्षेत्रम हुइना वस्तुक ढुवानी वा सेवाक विस्तार वा कौनो प्रदेश वा स्थानीय तहक क्षेत्रम हुइना वस्तुक ढुवानी वा सेवाक विस्तारम कौनो मेह्रीक बाधा अवरोध कर वा कौनो कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाय वा ओसिन सेवा वा वस्तुक ढुवानी वा विस्तारम कौनो मेह्रीक भेदभाव कर निपाजाइ ।

२३७. सर्वोच्च अदालतक संवैधानिक इजलासक अधिकार क्षेत्रम असर निपर्ना : यी भागम लिखगैलक कौनो बाटले धारा १३७ अन्सारक सर्वोच्च अदालतक संवैधानिक इजलासक अधिकार क्षेत्रम कौनो असर निपर्ने हो ।

भाग-२१

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

२३८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : (१) नेपालम एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेबा ज्याकर प्रमुख आयुक्त ओ और चार जन आयुक्तहुँक रहनेबाट । प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक अध्यक्ष होख काम कर्नेबा ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम प्रमुख आयुक्त ओ आयुक्तक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) प्रमुख आयुक्त ओ आयुक्तक पदावधि नियुक्तिक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफें देहायक कौनो अवस्थाम प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा डेलसे ।

(ख) निजक उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहख कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन आयुक्तहन प्रमुख आयुक्तक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन आयुक्त प्रमुख आयुक्तक पदम नियुक्त हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर आयुक्त हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबाट :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि प्राप्त कर्लक,

(ख) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल,

(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानक क्षेत्रम कम्तीम बीस वर्ष काम कैख अनुभव ओ ख्याति प्राप्त कर्लक,

(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र हुइलक ।

(७) प्रमुख आयुक्त ओ आयुक्तक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा । प्रमुख आयुक्त ओ आयुक्त आपन पदम बहाल रहटसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश करकलाग कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैलक कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक कम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) कौनो सार्वजनिक पदम रहल मनै भ्रष्टाचार कैख अख्तियारक दुरुपयोग कर्लक सम्बन्धम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानून अन्सार अनुसन्धान कर वा कराय सेक्नेबा ।

लेकिन यी संविधानम छुट्ट व्यवस्था हुइलक पदाधिकारी ओ और कानूनले छुट्ट विशेष व्यवस्था कर्लक पदाधिकारीक हकम यी उपधारा लागू निहुइनेहो ।

(२) धारा १०१ अन्सार महाभियोग प्रस्ताव पारित होख पदमुक्त हुइना व्यक्ति, न्याय परिषदसे पदमुक्त हुइना न्यायाधीश ओ सैनिक ऐन अन्सार कारबाही हुइना व्यक्तिक हकम निज पदमुक्त होसेक्लकपाछ संघीय कानून अन्सार अनुसन्धान कर वा कराय सेकजैनेबा ।

(३) उपधारा (१) वा (२) अन्सार हुइलक अनुसन्धानसे सार्वजनिक पद धारण कर्लक कौनो व्यक्ति कानून अन्सार भ्रष्टाचार मानजैना कौनो काम कर्लक डेखगैलसे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओसिन व्यक्ति ओ उ अपराधम संलग्न और व्यक्ति उपर कानून अन्सार अधिकार प्राप्त अदालतम मुद्दा दायर कर वा कराय सेक्नेबा ।

(४) उपधारा (१) वा (२) अन्सार हुइलक अनुसन्धानसे सार्वजनिक पद धारण करल व्यक्तिक काम कारबाही और अधिकारी वा निकायक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ना प्रकृतिक डेखगैलसे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आवश्यक कारबाहीक लाग सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लिख्क पठाय सेक्नेबा ।

(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान कर्ना वा मुद्दा चलैना आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार प्रमुख आयुक्त, कौनो आयुक्त वा नेपाल सरकारक अधिकृत कर्मचारीहन त्वाकल शर्तक अधीनम रहक प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-२२

महालेखा परीक्षक

२४०. महालेखा परीक्षक : (१) नेपालम एक महालेखा परीक्षक हुइनेबा ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम महालेखा परीक्षकक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) महालेखा परीक्षकक पदावधि नियुक्तिक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम महालेखा परीक्षकक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैंख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त महालेखा परीक्षकक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेक्नेहो ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति महालेखा परीक्षकक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखाम स्नातक उपाधि प्राप्त कैंख वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण कैंख नेपाल सरकारक विशिष्ट श्रेणीक पदम काम कर्लक वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममं कम्तीम बीस वर्ष अनुभव प्राप्त कर्लक,

(ख) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरलक,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(घ) उच्च नैतिक चरित्र हुइलक ।

(७) महालेखा परीक्षकक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा । महालेखा परीक्षक आपन पदम बहाल रहटसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ । लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) महालेखा परीक्षक होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानवीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैल कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२४१. महालेखा परीक्षकक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा वाकर कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताक कार्यालय ओ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतक सक्कु संघीय ओ प्रदेश सरकारी कार्यालयक लेखा कानून अन्सार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता ओ औचित्य समेतक विचार कैख महालेखा परीक्षकसे लेखापरीक्षण हुइनेबा ।

(२) पचास प्रतिशतसे ढीउर शेयर वा जायजेथाम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारक स्वामित्व हुइलक संगठित संस्थाक लेखापरीक्षणक लाग लेखापरीक्षक नियुक्त करबेर महालेखा परीक्षकसे परामर्श करजैनेबा । ओसिन संगठित संस्थाक लेखापरीक्षण करबेर अपनाइ पर्ना सिद्धान्तक सम्बन्धम महालेखा परीक्षक आवश्यक निर्देशन डिहे सेक्नेबा ।

(३) महालेखा परीक्षकहन उपधारा (१) अन्सारक कामक लाग लेखा सम्बन्धी कागजपत्र कौनोफे व्याला ह्यार पैना अधिकार हुइनेबा । महालेखा परीक्षक वा वाकर कौनो कर्मचारी माग कर्लसे कौनोफे कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध करैना सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखक कर्तव्य हुइनेबा ।

(४) उपधारा (१) अन्सार लेखापरीक्षण करजैना लेखा संघीय कानून अन्सार महालेखा परीक्षक तोक्लक ढाँचामा ढरजैनेबा ।

(५) उपधारा (१) म उल्लेख हुइलक कार्यालयहुँकन्हँक लेखाक सँग सँग और कौनो कार्यालय वा संस्थाक महालेखा परीक्षकसे लेखापरीक्षण कर पर्ना कैख संघीय कानून अन्सार व्यवस्था कर सेकजैनेबा ।

भाग-२३

लोक सेवा आयोग

२४२. लोक सेवा आयोग : (१) नेपालम लोक सेवा आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जन सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति करेंबा ।

(३) लोक सेवा आयोगक सदस्यहुँकमध्ये कम्तीम पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा ओहीसे ढिउर अवधीसम कौनो सरकारी सेवाम रहल व्यक्तिहुँक मध्येसे ओ बाँकी सदस्यहुँक विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनक और क्षेत्रम शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा और कौनो महत्वपूर्ण कार्य कैंख ख्याति प्राप्त कर्लक व्यक्तिहुँक मध्येसे नियुक्त हुइनेबाट ।

(४) लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरक गणना करजाइ ।

(६) उपधारा (४) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैंख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(७) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर्लक,

(ख) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइल, ओ

(घ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(८) लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा । लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्य आपन पदम बहाल रहटसम निजहुँकन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ । लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(९) लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्य होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैलक कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२४३. लोक सेवा आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) निजामती सेवाक पदम नियुक्तिक लाग उपयुक्त उम्मेदवार छनौट करकलाग परीक्षा सञ्चालन कर्ना लोक सेवा आयोगक कर्तव्य हुइनेबा ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "निजामती सेवाक पद" कहबेर सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालक कर्मचारीक सेवाक पद तथा निजामती सेवाक पद निहो कैख ऐन अन्सार तोकगैलक और सेवाक पद बाहेक नेपाल सरकारक और सक्कु सेवाक पद सम्झ पर्ठा ।

(२) निजामती सेवाक पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, और संघीय सरकारी सेवा ओ संगठित संस्थाक पदम पदपूर्तिक लाग लेजैना लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोग सञ्चालन कर्नेबा ।

स्पष्टीकरण : यी धाराक प्रयोजनक लाग "संगठित संस्था" कहबेर विश्वविद्यालय ओ शिक्षक सेवा आयोग बाहेकक पचास प्रतिशत वा ओहिसे ढीउर शेयर वा जायजेथाम नेपाल सरकारक स्वामित्व वा नियन्त्रण हुइलक संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून अन्सार स्थापित वा नेपाल सरकारसे गठित

आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद ओ असहें प्रकृतिक और संगठित संस्था सम्झ पर्ठा ।

(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ओ और संघीय सरकारी सेवाक पदम बढुवा करबेर अपनाइ पर्ना सामान्य सिद्धान्तक विषयम लोक सेवा आयोगक परामर्श लिहे पर्नेबा ।

(४) कौनो संगठित संस्थाक सेवाक कर्मचारीक सेवाक शर्त सम्बन्धी कानून ओ ओसिन सेवाक पदम बढुवा ओ विभागीय कारवाही करबेर अपनाइ पर्ना सामान्य सिद्धान्तक विषयम लोक सेवा आयोगक परामर्श लिहे पर्नेबा ।

(५) नेपाल सरकारसे निवृत्तिभरण पैना पदम लोक सेवा आयोगक परामर्श विना स्थायी नियुक्ति निकरजाइ ।

(६) देहायक विषयम लोक सेवा आयोगक परामर्श लिहे पर्नेबा :-

(क) संघीय निजामती सेवाक शर्तसम्बन्धी कानूनक विषयम,

(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदम नियुक्ति, बढुवा ओ विभागीय कारवाही करबेर अपनाइ पर्ना सिद्धान्तक विषयम,

(ग) संघीय निजामती सेवाक पदम छ महीनासे ढिउर समयक लाग नियुक्ति करबेर उम्मेदवारक उपयुक्तताक विषयम,

(घ) कौनो एक मेहीक संघीय निज़ामती सेवाक पदसे और मेहीक संघीय निजामती सेवाक पदम वा और सरकारी सेवासे संघीय निजामती सेवाम सरुवा वा बढुवा करबेर वा कौनो प्रदेशक निजामती सेवाक पदसे संघीय निजामती सेवाक पदम वा संघीय निजामती सेवाक पदसे प्रदेश निजामती सेवाक पदम सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण करबेर उम्मेदवारक उपयुक्तताक विषयम,

(ङ) लोक सेवा आयोगक परामर्श लिहे निपर्ना अवस्थाक पदम बहाल रहल कर्मचारीहन लोक सेवा आयोगक परामर्श लिहे पर्ना अवस्थाक पदम स्थायी सरुवा वा बढुवा कर्ना विषयम, ओ

(च) संघीय निजामती सेवाक कर्मचारीहन डेजैना विभागीय सजायक विषयम ।

(७) उपधारा (६) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे धारा १५४ अन्सारक न्याय सेवा आयोगक अधिकार क्षेत्रभिट्टर पर्ना विषयमा उहो अन्सार हुइनेबा ।

(८) लोक सेवा आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार आयोगक अध्यक्ष वा कौनो सदस्य वा नेपाल सरकारक कर्मचारीहन तोक्लक शर्तक अधीनम रहख प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(९) लोक सेवा आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशम प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेबा ।

(२) प्रदेश लोक सेवा आयोगक गठन, काम, कर्तव्य ओ अधिकार प्रदेश कानून अन्सार हुइनेबा ।

(३) उपधारा (२) क प्रयोजनक लाग संघीय संसद कानून बनाख आधार ओ मापदण्ड निर्धारण कर्नेबा ।

भाग-२४

निर्वाचन आयोग

२४५. निर्वाचन आयोग : (१) नेपालम एक निर्वाचन आयोग रहनेबा जेहींम प्रमुख आयुक्त ओ और चार जन आयुक्त रहनेबाट । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगक अध्यक्ष होख काम कर्नेबा ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ आयुक्तक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ निर्वाचन आयुक्तक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ निर्वाचन आयुक्तक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैक संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन आयुक्तहन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तक पदम नियुक्ति हुइलसे निज़क पदावधि गणना करबेर आयुक्त हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यता पाईल विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि प्राप्त कर्लक,

(ख) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइल, ओ

(घ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ आयुक्तक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ आयुक्त आपन पदम बहाल रहटसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) निर्वाचन आयोगक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ आयुक्त होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैल कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२४६. निर्वाचन आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) निर्वाचन आयोग यी संविधान ओ संघीय कानूनक अधीनम रहख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदक सदस्य, प्रदेश सभक सदस्य, स्थानीय तहक सदस्यक निर्वाचनक संचालन, रेखदेख, निर्देशन ओ नियन्त्रण कर्नेबा । निर्वाचनक प्रयोजनक लाग मतदाताक नामावली तयार कर्ना कार्य निर्वाचन आयोग कर्नेबा ।

(२) निर्वाचन आयोग यी संविधान ओ संघीय कानून अन्सार राष्ट्रिय महत्वक विषयम जनमत संग्रह करैनेबा ।

(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदक सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहक सदस्यक लाग उम्मेदवारीक मनोनयन दर्ता होसेक्लक लेकिन निर्वाचन परिणाम घोषणा हो निस्याकल अवस्थाम कौनो उम्मेदवारक योग्यता सम्बन्धम कौनो प्रश्न उठ्लसे बाकर निर्णय निर्वाचन आयोग कर्नेबा ।

(४) निर्वाचन आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कौनो निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीहन तोक्लक शर्तक अधीनम रहख प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(५) निर्वाचन आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२४७. आवश्यक सहयोग कर पर्ना : यी संविधान अन्सार निर्वाचन आयोगहन आपन काम पूरा कर आवश्यक पर्ना कर्मचारी ओ और सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ओ स्थानीय सरकार उपलब्ध करैनेबा

भाग-२५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

२४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : (१) नेपालम एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जन सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(५) उपधारा (३) म ज्याजसिन लिखगैल हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनाम डेलसे,

(ख) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक, अध्यक्ष वा सदस्य पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) अध्यक्षक हकम मानव अधिकारक संरक्षण ओ संवर्धनक क्षेत्रम विशिष्ट योगदान पुगाइल प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशक पदसे सेवानिवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारक संरक्षण ओ संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनक मेहमेह्रीक क्षेत्रम कम्तीम बीस वर्ष क्रियाशील रहक विशिष्ट योगदान पुगाख ख्यातिप्राप्त कर्लक,

(ख) सदस्यक हकम मानव अधिकारक संरक्षण ओ संवर्धन, बालबालिकाक हकहितक क्षेत्रम कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनक मेह्नमेह्नीक क्षेत्रम कम्तीम बीस वर्ष क्रियाशील रहक विशिष्ट योगदान पुगाइल ख्यातिप्राप्त कर्लक,

(ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि हासिल कर्लक,

(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा कर्लक,

(ङ) नियुक्ति हुइना व्याला राजनीतिक दलक सदस्य निरहल,

(च) उच्च नैतिक चरित्र हुइलक ।

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्य आपन पदम बहाल रहटसम निजहुँकन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक अध्यक्ष वा सदस्य होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदमा नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैल कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२४९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) मानव अधिकारक सम्मान, संरक्षण ओ संवर्धन तथा वाकर प्रभावकारी कार्यान्वयनहन सुनिश्चित कर्ना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक कर्तव्य हुइनेबा ।

(२) उपधारा (१) म उल्लिखित कर्तव्य पूरा करकलाग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देहाय अन्सारक काम कर्नेबा :-

(क) कौनो व्यक्ति वा समूहक मानव अधिकार उल्लंघन वा वाकर दुरुत्साहन हुइलकम पीडित अप्पनहें वा निजक तरफसे कीउफे आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित करल निवेदन वा उजूरी वा कौनो स्रोतसे आयोगहन प्राप्त हुइलक वा आयोगक जानकारीम आइल विषयम छानबिन तथा अनुसन्धान कैख दोषी उपर कारवाही कर सिफारिस कर्ना,

(ख) मानव अधिकारक उल्लंघन हुइनामसे रोक्ना जिम्मेवारी वा कर्तव्य हुइलक पदाधिकारी आपन जिम्मेवारी पूरा निकर्लसे वा कर्तव्य पालन निकर्लसे वा जिम्मेवारी पूरा कर वा कर्तव्य पालन कर उदासीनता डेखैलसे ओसिन पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही कर सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस कर्ना,

(ग) मानव अधिकार उल्लंघन कर्ना व्यक्ति वा संस्थाक विरुद्ध मुद्दा चलाइ पर्ना आवश्यकता हुइलसे कानून अन्सार अदालतम मुद्दा दायर कर सिफारिस कर्ना,

(घ) मानव अधिकारक चेतना अभिवृद्धि कर नागरिक समाजसे समन्वय ओ सहकार्य कर्ना,

(ङ) मानव अधिकारक उल्लंघनकर्ताहन विभागीय कारबाही तथा सजाय कर कारण ओ आधार खुलाख सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस कर्ना,

(च) मानव अधिकारसे सम्बन्धित कानूनक आवधिक रूपम पुनरावलोकन कर्ना तथा ओहिंम कर पर्ना सुधार तथा संशोधनक सम्बन्धम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,

(छ) मानव अधिकारसे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताक नेपाल पक्ष बन पर्ना हुइलसे वाकर कारणसहित नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्ना ओ नेपाल पक्ष बनसेक्लक सन्धि वा सम्झौताक कार्यान्वयन हुइल वा निहुइल अनुगमन कैख कार्यान्वयन निहुइलक पागैलसे वाकर कार्यान्वयन कर नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,

(ज) मानव अधिकारक उल्लंघनक सम्बन्धम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्लक सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन निकर्ना पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायक नाउँ कानून अन्सार सार्वजनिक कैख मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताक रूपम अभिलेख, ढर्ना ।

(३) मानव अधिकार आयोग आपन कार्य सम्पादन करबेर वा कर्तव्य पालन करबेर देहाय अन्सारक अधिकार प्रयोग कर सेक्नेबा :-

(क) कौनो मनैयहन आयोग समक्ष उपस्थित कराख जानकारी वा बयान लेना वा बकपत्र करैना, प्रमाण बुझ्ना, दशी प्रमाण दाखिला कर लगैना सम्बन्धम अदालतहन हुइल सरहक अधिकार प्रयोग कर्ना,

(ख) मानव अधिकारक गहिँर उल्लंघन ह्वाय लग्लक वा होसेक्लक सूचना आयोग कौनो मेह्रसे प्राप्त कर्लसे कौनो व्यक्ति वा निजक आवास वा कार्यालयम विना सूचना प्रवेश कर्ना, खानतलासी लेना तथा ओसिख खानतलासी लिहेबेर मानव अधिकारक उल्लंघनसे सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुतकब्जामा लेना,

(ग) कौनो व्यक्तिक मानव अधिकार उल्लंघन होसेक्लक बाट जानकारी होख तत्काल कारबाही करपर्ना आवश्यक डेखगैलसे विना सूचना सरकारी कार्यालय वा और ठाउँम प्रवेश कर्ना ओ उद्धार कर्ना,

(घ) मानव अधिकारक उल्लंघनसे पीडितहन कानून अन्सार क्षतिपूर्ति डिहे आदेश डेना ।

(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार उ आयोगक अध्यक्ष, कौनो सदस्य वा नेपाल सरकारक कर्मचारीहन तोकगैलक शर्तक अधीनम रहक प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-२६

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

२५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : (१) नेपालम एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेबा जेहिंम अध्यक्ष सहित ढीउरम पाँच जन सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति करेंबा ।

(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैंह संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी । लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर, सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे सम्बन्धित विषयम स्नातक उपाधि हासिल कैंह प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनक क्षेत्रम कम्तीम बीस वर्ष क्रियाशील रहक विशेषज्ञता हासिल कर्लक,

(ख) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(घ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ओ निजहुँक बहाल रहटसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक अध्यक्ष वा सदस्य होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदमा वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ना कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखल कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२५१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा:-

(क) संविधान ओ कानून अन्सार संघीय सञ्चित कोषसे संघ, प्रदेश ओ स्थानीय सरकारबीच राजस्वक बाँडफाँड कर्ना विस्तृत आधार ओ ढाँचा निर्धारण कर्ना,

(ख) संघीय सञ्चित कोषसे प्रदेश ओ स्थानीय सरकारहन प्रदान करजैना समानीकरण अनुदान सम्बन्धम सिफारिस कर्ना,

(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारक अवस्था अनुसार प्रदेश ओ स्थानीय सरकारहन प्रदान करजैना सशर्त अनुदानक सम्बन्धम अध्ययन अनुसन्धान कैख आधार तयार कर्ना,

(घ) प्रदेश सञ्चित कोषसे प्रदेश ओ स्थानीय सरकारबीच राजस्वक बाँडफाँड कर्ना विस्तृत आधार ओ ढाँचा निर्धारण कर्ना,

(ङ) संघ, प्रदेश ओ स्थानीय सरकारक खर्च जिम्मेवारी पूरा कर्ना ओ राजस्व असुलीम सुधार कर पर्ना उपायक सिफारिस कर्ना,

(च) समष्टिगत आर्थिक सूचक्क विश्लेषण कैख संघ, प्रदेश ओ स्थानीय सरकार लिहे सेक्ना आन्तरिक रिनक सीमा सिफारिस कर्ना,

(छ) संघ ओ प्रदेश सरकारक राजस्व बाँडफाँड आधारक पुनरावलोकन कैख परिमार्जनक सिफारिस कर्ना,

(ज) प्राकृतिक स्रोतक परिचालन करबेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ओ स्थानीय तहक लगानी तथा प्रतिफलक हिस्सा निर्धारणक आधार तय कैख सिफारिस कर्ना,

(झ) प्राकृतिक स्रोतक बाँडफाँड सम्बन्धी विषयम संघ ओ प्रदेश, प्रदेश ओ प्रदेश, प्रदेश ओ स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहुँकन्हँक वीच उठ सेक्ना संभावित विवादक विषयम अध्ययन अनुसन्धान कैख वाकर निवारण कर समन्वयात्मक रूपम काम कर सुझाव डेना ।

(२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोतक बाँडफाँड करबेर ओहिसे सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धम आवश्यक अध्ययन ओ अनुसन्धान कैख नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार, प्राकृतिक स्रोतक परिचालन करबेर वा राजस्वक बाँडफाँड करबेर अपनाय पर्ना विस्तृत आधार, आयोगक पदाधिकारीहुँकन्हँक सेबाक शर्त लगायत और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-२७

अन्य आयोग

२५२. राष्ट्रिय महिला आयोग : (१) नेपालम एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेबा । जेहींम अध्यक्ष ओ और चारजन सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति करेंबा ।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थाम राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष व सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पदम नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) कम्तीम दश वर्ष महिलाक हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार ओ कानूनक क्षेत्रम महत्वपूर्ण योगदान पुगैलक महिला,

(ख) अध्यक्षक हकम मान्यता पाईल विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि हासिल कर्लक,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा कर्लक,

(घ) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल, ओ

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(७) राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ओ निजहुँक बहाल रहटसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) राष्ट्रिय महिला आयोगक अध्यक्ष वा सदस्य होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदमा नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैलक कौनो बाटले बाधा पुगैलक निमानजाइ ।

२५३. राष्ट्रिय महिला आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रिय महिला आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा :-

(क) महिलाक हक हितसे सरोकार रख्ना नीति तथा कार्यक्रमक तर्जुमा कैख कार्यान्वयनक लाग नेपाल सरकार समक्ष पेश कर्ना,

(ख) महिलाक हक हितसे सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष हुइल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतक दायित्व कार्यान्वयन हुइल वा निहुइलक विषयम अनुगमन कैख वाकर प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनक उपाय सहित नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(ग) महिलाहन राष्ट्रिय विकासक मूल प्रवाहम समाहित कर तथा राज्यक सक्कु निकायम समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित कर मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमक समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन कर्ना ओ वाकर प्रभावकारी कार्यान्वयनक लाग नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्ना,

(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासे सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाक अध्ययन, अनुसन्धान कैख ओसिन कानूनम

करपर्ना सुधारक सम्बन्धम सम्बन्धित निकायहन सिफारिस कर्ना ओ वाकर अनुगमन कर्ना,

(ङ) महिला अधिकारसे सम्बन्धित नेपाल पक्ष हुइलक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताम हुइलक व्यवस्था अन्सार नेपाल पठाइ पर्ना प्रतिवेदन तयारीक सम्बन्धम नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिसे पीडित हुइलक वा महिला अधिकार प्रयोग कर निडेलक वा वञ्चित कर्लक विषयम कौनो व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर करपर्ना आवश्यकता डेखपर्लसे कानून अन्सार अदालतम मुद्दा दायर कर सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस कर्ना ।

(२) राष्ट्रिय महिला आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार आयोगक अध्यक्ष, कौनो सदस्य वा नेपाल सरकारक कौनो कर्मचारीहन तोकगैलक शर्तक अधीनम रहख प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोगक और काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२५४. प्रदेशम कार्यालय स्थापना कर सेक्ना : राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशम आपन कार्यालय स्थापना कर सेक्नेबा ।

२५५. राष्ट्रिय दलित आयोग : (१) नेपालम एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जन सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसे फे देहायक कौनो अवस्थाम राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताक कारण सेवाम रहक कार्य सम्पादन कर असमर्थ रहल कैख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी ।

लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरख गन्टी करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदमा नियुक्तिक लाग योग्य हुइनेबा :-

(क) कम्तीम दश वर्ष दलित समुदायक हक हित वा मानव अधिकार ओ कानूनक क्षेत्रम महत्वपूर्ण योगदान पुगैलक दलित,

(ख) अध्यक्षक हकम मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे कम्तीम स्नातक उपाधि प्राप्त कर्लक,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक,

(घ) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल, ओ

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(७) राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ओ निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइलक्र अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) राष्ट्रिय दलित आयोगक अध्यक्ष वा सदस्य होस्याकल व्यक्ति और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानवीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदमा नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखल बाटले कौनो बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

२५६. राष्ट्रिय दलित आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रिय दलित आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा :-

(क) दलित समुदायक समग्र स्थितिक अध्ययन तथा अन्वेषण कैख तत्सम्बन्धम कर पर्ना नीतिगत, कानूनी ओ संस्थागत सुधारक विषय पहिचान कैख नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्ना,

(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन ओ विभेदक अन्त्य कैख दलित उत्थान ओ विकासक लाग दलित हितसे सरोकार रख्ना राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमक तर्जुमा कैख कार्यान्वयनक लाग नेपाल सरकार समक्ष पेश कर्ना,

(ग) दलित समुदायक उत्थान तथा हितम हुइल विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसे सम्बन्धित कानूनक प्रभावकारी रूपम पालना हुइल वा निहुइल विषयम अनुगमन कैख पालना वा कार्यान्वयन निहुइलरलसे वाकर पालना वा कार्यान्वयनक लाग नेपाल सरकार समक्ष सुझाव डेना,

(घ) दलित समुदायक अधिकारसे सम्बन्धित नेपाल पक्ष हुइलक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताम हुइलक व्यवस्था अन्सार नेपाल पठाइ पर्ना प्रतिवेदन तयारीक सम्बन्धम नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(ङ) दलित समुदायहन राष्ट्रिय विकासक मूल प्रवाहम समाहित कर तथा राज्यक सक्कु अंगम समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित कर मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमक समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन कर्ना ओ वाकर प्रभावकारी कार्यान्वयनक लाग नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्ना,

(च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिसे पीडित हुइल वा दलितक हक प्रयोग कर निडिहेल वा बञ्चित करल विषयम कौनो व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर कर पर्ना आवश्यकता डेखपर्लसे कानून अन्सार अदालतम मुद्दा डारकलाग सम्बन्धित निकाय हन सिफारिस कर्ना ।

(२) राष्ट्रिय दलित आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार आयोगक अध्यक्ष, कौनो सदस्य वा नेपाल सरकारक कौनो कर्मचारीहन तोकगैलक शर्तक अधीनम रहक प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोगक और काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२५७. प्रदेशम कार्यालय स्थापना कर सेक्ना : राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशम आपन कार्यालय स्थापना कर सेक्नेबा ।

२५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग : (१) नेपालम एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जनसम सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) म ज्या जसिन बाट लिख्लक हुइलसेफे देहायक कौनो अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइलक मानजाइ :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(ग) निजक विरुद्ध धारा १०१ अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताके कारण सेवाम रहक काम कर असमर्थ रहल कैख संवैधानिक परिषदक सिफारिसम राष्ट्रपति पदमुक्त कर्लसे,

(ङ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(५) उपधारा (२) अन्सार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेकी । लेकिन सदस्यहन अध्यक्षक पदम नियुक्ति कर सेकजाइ ओ ओसिन सदस्य अध्यक्षक पदम नियुक्ति हुइलसे निजक पदावधि गणना करबेर सदस्य हुइलक अवधिहन समेत जोरख गणना करजाइ ।

(६) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदम नियुक्ति ह्वाय योग्य हुइनेबा :-

(क) कम्तीम दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता हुइलक व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पाछपरल क्षेत्र ओ वर्गक हक हित वा विकास वा मानव अधिकारक क्षेत्रम महत्वपूर्ण योगदान पुगाइल,

(ख) अध्यक्षक हकमा मान्यता पाईल विश्वविद्यालयसे स्नातक उपाधि हासिल कर्लक,

(ग) पैतालिस वर्ष उमेर पूरा कर्लक,

(घ) नियुक्ति हुइना व्याला कौनो राजनीतिक दलक सदस्य निरहल, ओ

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(७) राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ओ निज बहाल रहलसम निजहन मर्का पर्ना कैख पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त परिवर्तन निकरजाइ ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारण संकटकाल घोषणा हुइल अवस्थाम यी व्यवस्था लागू निहुइ ।

(८) राष्ट्रिय समावेशी आयोगक अध्यक्ष वा सदस्य होस्याकल मनैयाँ और सरकारी सेवाम नियुक्तिक लाग ग्राह्य निहुइ ।

लेकिन कौनो राजनीतिक पदम वा कौनो विषयक अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन कर्ना वा कौनो विषयक अध्ययन वा अन्वेषण कैख राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश कर्ना कौनो पदम नियुक्त होख काम कर यी उपधाराम लिखगैल कौनो बाटले बाधा पुगाइल निमान जाइ ।

२५९. राष्ट्रिय समावेशी आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार : (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा :-

(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता हुइलक व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पाछपरल बर्ग ओ कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतक समुदायक हक अधिकारक संरक्षणक लाग अध्ययन तथा अनुसन्धान कर्ना,

(ख) खण्ड (क) म उल्लिखित समुदाय, वर्ग ओ क्षेत्रक समावेशीकरणक लाग नेपाल सरकार अवलम्बन कर्लक नीति तथा कानूनक कार्यान्वयन अवस्थाक अध्ययन कैख सुधारक लाग नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(ग) खण्ड (क) म उल्लिखित समुदाय, वर्ग ओ क्षेत्रक राज्य संयन्त्रम उचित प्रतिनिधित्व हुइल निहुइल अध्ययन कैख ओसिन समुदाय, वर्ग ओ क्षेत्रक प्रतिनिधित्वक लाग करगैल विशेष व्यवस्थाक पुनरावलोकन कर नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(घ) खण्ड (क) म उल्लिखित समुदाय, वर्ग ओ क्षेत्रक संरक्षण, सशक्तीकरण ओ विकास सन्तोषजनक हुइल निहुइल अध्ययन कैख भविष्यम अवलम्बन कर पर्ना नीतिक सम्बन्धम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,

(ङ) कर्णाली ओ पाछपरल क्षेत्रक विकास ओ समृद्धिक लाग अबलम्बन कर पर्ना नीति ओ कार्यक्रमक सम्बन्धम नेपाल सरकारहन सुझाव डेना,

(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनम समयानुकुल परिमार्जनक लाग सिफारिस कर्ना,

(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायक लाग प्रत्याभूत हक अधिकारक कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन कैख आवधिक रूपम हुइना राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनक आधारम आवश्यक पुनरावलोकन कैख परिमार्जनक लाग सिफारिस कर्ना ।

(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोग आपन काम, कर्तव्य ओ अधिकार मध्ये कौनो काम, कर्तव्य ओ अधिकार उ आयोगक अध्यक्ष, कौनो सदस्य वा नेपाल सरकारक कौनो कर्मचारीहन तोकगैलक शर्तक अधीनम रहक प्रयोग तथा पालन कर्ना कैख प्रत्यायोजन कर सेक्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगक और काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६०. प्रदेशम कार्यालय स्थापना कर सेक्ना : राष्ट्रिय समावेशी आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशम आपन कार्यालय स्थापना कर सेक्नेबा ।

२६१. आदिवासी जनजाति आयोग : (१) नेपालम एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जनसम सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम आदिवासी जनजाति आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) आदिवासी जनजाति आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) आदिवासी जनजाति आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक योग्यता, पद रिक्त हुइना अवस्था, पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त ओ ओसिन आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६२. मधेशी आयोग : (१) नेपालम एक मधेशी आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जनसम सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम मधेशी आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) मधेशी आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) मधेशी आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक योग्यता, पद रिक्त हुइना अवस्था, पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्तओ ओसिन आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६३. थारू आयोग : (१) नेपालम एक थारू आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जनसम सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम थारू आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) थारु आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) थारू आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक योग्यता, पद रिक्त हुइना अवस्था, पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त ओ ओसिन आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६४. मुस्लिम आयोग : (१) नेपालम एक मुस्लिम आयोग रहनेबा जेहींम अध्यक्ष ओ और चार जनसम सदस्य रहनेबाट ।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषदक सिफारिसम मुस्लिम आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक नियुक्ति कर्नेबा ।

(३) मुस्लिम आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक पदावधि नियुक्ति हुइलक मितिले छ वर्षक हुइनेबा ।

(४) मुस्लिम आयोगक अध्यक्ष तथा सदस्यक योग्यता, पद रिक्त हुइना अवस्था, पारिश्रमिक ओ सेवाक शर्त ओ ओसिन आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६५. आयोगक पुनरावलोकन : यी भाग अन्सार गठन हुइल आयोगहुँकन्हँक संघीय संसद यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले दश वर्ष पाछ पुनरावलोकन कर्नेबा ।

भाग-२८

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

२६६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद : (१) नेपालक समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा ओ प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा कर तथा नेपाली सेनाक परिचालन वा नियन्त्रण करक लाग नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदहन सिफारिस करकलाग देहाय अन्सारक अध्यक्ष ओ सदस्यहुँक रहल एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेबा :-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारक रक्षा मन्त्री - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारक गृह मन्त्री - सदस्य

(घ) नेपाल सरकारक परराष्ट्र मन्त्री - सदस्य

(ङ) नेपाल सरकारक अर्थ मन्त्री - सदस्य

(च) नेपाल सरकारक मुख्य सचिव - सदस्य

(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य

(२) रक्षा मन्त्रालयक सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदक सदस्य-सचिव होक काम कर्नेबा ।

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद आपन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्नेबा ओ राष्ट्रपति ओसिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश कर लगैनेबा ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६७. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता ओ राष्ट्रिय एकताक रक्षाक लाग यी संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाक एक संगठन रहनेबा ।

(२) राष्ट्रपति नेपाली सेनाक परमाधिपति हुइनेबा ।

(३) नेपाली सेनाम महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पाछपरल क्षेत्रक नागरिकक प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तक आधारमा संघीय कानून अन्सार सुनिश्चित करजैनेबा ।

(४) नेपाल सरकार नेपाली सेनाहन संघीय कानून अन्सार विकास निर्माण ओ विपद व्यवस्थापन लगायतक और कार्यम समेत परिचालन कर सेक्नेबा ।

(५) राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषदक सिफारिसम प्रधान सेनापतिक नियुक्ति ओ पदमुक्ति कर्नेबा ।

(६) नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कौनो भागक सुरक्षाम युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताक कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न हुइलसे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदक सिफारिशम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदक निर्णय अन्सार राष्ट्रपतिसे नेपाली सेना परिचालनक घोषणा हुइनेबा । नेपाली सेना परिचालनक घोषणा हुइलक मितिले एक मैन्हाँ भित्र प्रतिनिधि सभासे अनुमोदन हुइ पर्नेबा ।

(७) नेपाली सेना सम्बन्धी और व्यवस्था कानून अन्सार हुइनेबा ।

२६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ओ राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) संघम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेबा ।

(२) प्रत्येक प्रदेशम प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेबा ।

(३) नेपाल प्रहरी ओ प्रदेश प्रहरी सम्पादन कर्ना कार्यक सञ्चालन, सुपरिवेक्षण ओ समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

(४) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ओ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-२९

राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

२६९. राजनीतिक दलक गठन, दर्ता ओ सञ्चालन : (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन ओ कार्यक्रमम प्रतिबद्ध व्यक्तिहुँक धारा १७ क उपधारा (२) क खण्ड (ग) अन्तर्गत बनल कानूनक अधीनम रहक राजनीतिक दल गठन कैख सञ्चालन कर ओ दलक विचारधारा, दर्शन ओ कार्यक्रमप्रति जनसाधारणक समर्थन ओ सहयोग प्राप्त करकलाग बाकर प्रचार ओ प्रसार कर, कराए वा उ प्रयोजनक लाग और आवश्यक काम कर सेक्नेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार गठन हुइल राजनीतिक दल कानून अन्सारक कार्यविधि पूरा कैख निर्वाचन आयोगम दल दर्ता कराइ पर्नेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार दल दर्ता करैना प्रयोजनक लाग निवेदन पेश करबेर सम्बन्धित राजनीतिक दलक विधान ओ घोषणापत्रक अतिरिक्त संघीय कानून अन्सारक और कागजात पेश कर पर्नेबा ।

(४) उपधारा (२) अन्सार दल दर्ताक लाग निवेदन डिहेबेर राजनीतिक दल देहायक शर्त पूरा कर पर्नेबा :-

(क) राजनीतिक दलक विधान ओ नियमावली लोकतान्त्रिक हुइ पर्ना,

(ख) राजनीतिक दलक विधानम कैम्तीम पाँच वर्षम एक फ्यारा उ दलक संघीय ओ प्रदेश तहक प्रत्येक पदाधिकारीक निर्वाचन हुइना व्यवस्था हुइ पर्ना, लेकिन विशेष परिस्थिति उत्पन्न होख पाँच वर्षभिट्टर पदाधिकारीक निर्वाचन सम्पन्न ह्वाय निसेक्लसे छ महीनाभिट्टर ओसिन निर्वाचन कर सेकजैना कैख राजनीतिक दलक विधानम व्यवस्था कर बाधा निपरी ।

(ग) दलक मेह्नमेह्नीक तहक कार्यकारिणी समितिम नेपालक विविधताहन प्रतिबिम्बित कर्ना कैख समावेशी प्रतिनिधित्वक, व्यवस्था करल हुइ पर्ना ।

(५) कौनो राजनीतिक दलक नाउँ, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशक धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकताम खलल पर्ना वा देशहन विखण्डित कर्ना प्रकृतिक रहलबा कलसे राजनीतिक दल दर्ता निहुइ ।

२७०. राजनीतिक दलहन प्रतिबन्ध लगाय बन्देज : (१) धारा २६९ अन्सार राजनीतिक दलक गठन कैख सञ्चालन कर ओ दलक विचारधारा, दर्शन ओ कार्यक्रमप्रति

जनसाधारणक समर्थन ओ सहयोग प्राप्त करक लाग वाकर प्रचार ओ प्रसार कर्ना कार्यम कौनो प्रतिवन्ध लगैना कैख बनाइल कानून वा करगैल कौनो व्यवस्था वा निर्णय यी संविधानक प्रतिकूल मानजैनेबा ओ स्वतः अमान्य हुइनेबा ।

(२) कौनो एकठो राजनीतिक दल वा एक्क मेह्रीक राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम हुइल व्यक्तिहुँक केल निर्वाचन, देशक राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनम भाग लिहे पैना वा सम्मिलित ह्वाय पैना कैख बनाइल कानून वा करगैल कौनो व्यवस्था वा निर्णय यी संविधानक प्रतिकूल मानजैनेबा ओ स्वतः अमान्य हुइनेबा ।

२७१. राजनीतिक दलक रूपम निर्वाचनक लाग मान्यता प्राप्त कर दर्ता कराइ पर्ना : (१) निर्वाचनक प्रयोजनक लाग निर्वाचन आयोगसे मान्यता प्राप्त कर चहना धारा २६९ अन्सार दर्ता हुइलक प्रत्येक राजनीतिक दल संघीय कानून अन्सारक कार्यविधि पूरा कैख निर्वाचन आयोगम दर्ता कराइ पर्नेबा ।

(२) उपधारा (१) क प्रयोजनक लाग निवेदन डिहेबेर राजनीतिक दल धारा २६९ क उपधारा (३) म उल्लिखित विवरणक अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश कर पर्नेबा ओ उहो धाराक उपधारा (४) म उल्लिखित शर्त समेत पूरा करल हुइ पर्नेबा ।

२७२. राजनीतिक दल सम्वन्धी और व्यवस्था : राजनीतिक दलक गठन, दर्ता, सञ्चालन ओ सुविधा तथा तत्सम्वन्धी और विषय संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

भाग-३०

संकटकालीन अधिकार

२७३. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कौनो भागक सुरक्षाम युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीक कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न हुइलसे राष्ट्रपति नेपालभर वा नेपालक कौनो खास क्षेत्रम लागू हुइना कैख संकटकालीन अवस्थाक घोषणा कर वा आदेश जारी कर सेक्नेबा ।

(२) उपधारा (१) म ज्याजसिन बाट लिखल हुइलसे फे कौनो प्रदेशम प्राकृतिक विपद वा महामारीक कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न हुइलसे सम्बन्धित प्रदेश सरकार नेपाल सरकार समक्ष यी धारा अन्सार प्रदेश वा प्रदेशक कौनो भागम संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश जारी करक लाग अरजी कर सेक्नेबा ।

(३) उपधारा (१) अन्सार करगैल घोषणा वा आदेश ओसिन घोषणा वा आदेश हुइलक मितिले एक मैन्हाँ भित्र अनुमोदनक लाग संघीय संसदक डुनु सदनम पेश करजैनेबा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार अनुमोदनक लाग पेश हुइलक घोषणा वा आदेश संघीय संसदक डुनु सदनम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम डुइ तिहाइ बहुमत अनुमोदन कर्लसे ओसिन घोषणा वा आदेश हुइलक मितिले तीन मैन्हाँसम कायम रहनेबा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार अनुमोदनक लाग पेश हुइल घोषणा वा आदेश उपधारा (४) अन्सार अनुमोदन निहुइलसे स्वतः निष्क्रिय हुइनेबा ।

(६) यी धाराम औरठाउँम ज्याजसिन बाट लिखल हुइलसेफे उपधारा (१) अन्सारक अवस्था आम्हन विद्यमान वा कैख उपधारा (४) अन्सारक अवधि समाप्त बिना हुइल और एक फ्यारा तीन मैन्हाँम निबह्राख संकटकालीन घोषणा वा आदेशक अवधि थप कर्ना प्रस्ताव संघीय संसदम पेश कर सेकजैनेबा ।

(७) उपधारा (६) अन्सारक प्रस्ताव संघीय संसदक डुनु सदनम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम डुइ टिहाइ बहुमतले पारित हुइलसे ओसिन प्रस्तावम उल्लिखित अवधि सम्मक लाग संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश कायम रहनेबा ।

(८) प्रतिनिधि सभा विघटन हुइलक अवस्थाम उपधारा (३), (४), (६) ओ (७) अन्सार संघीय संसद प्रयोग कर्ना अधिकार राष्ट्रिय सभा प्रयोग कर्नेबा ।

(९) उपधारा (१) अन्सार संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश हुइलक पाछ ओसिन अवस्थाक निवारण कर राष्ट्रपति आवश्यक आदेश जारी कर सेक्नेबा । ओसिख जारी हुइलक आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहटसम कानून सरह लागू हुइनेबा ।

(१०) उपधारा (१) अन्सार संकटकालीन अवस्थाक घोषणा वा आदेश जारी करबेर ओसिन घोषणा वा आदेश बहाल रहटसमक लाग भाग-३ म व्यवस्था हुइल मौलिक हक निलम्बन कर सेकजैनेबा ।

लेकिन धारा १६, धारा १७ क उपधारा (२) क खण्ड (ग) ओ (घ), धारा १८, धारा १९ क उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ क उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ क उपधारा (१) ओ (२), ३८, ३९, ४० क उपधारा (२) ओ (३), ४१, ४२, ४३, ४५ ओ धारा ४६ अन्सारक संवैधानिक उपचारक हक ओ बन्दी प्रत्यक्षीकरणक उपचार पैना हक निलम्बन निकरजाइ ।

(११) उपधारा (१०) अन्सार यी संविधानक कौनो धारा निलम्बन करगैलकम उ धारासे प्रदत्त मौलिक हकक प्रचलनक लाग कौनो अदालतम निवेदन दिहे वा वाकर सम्बन्धम कौनो अदालतम प्रश्न उठाय निसेकजाइ ।

(१२) यी धारा अन्सारक घोषणा वा आदेश बहाल रहल अवस्थाम कौनो पदाधिकारी बदनियतसाथ कौनो काम कर्लसे किहुहन कौनो मेह्रीक क्षति हुइल रहल कलसे पीडित ओसिन घोषणा वा आदेश ओरैलक मितिले टिन मैन्हाँभिट्टर अप्नहन पर्लक क्षति बापत क्षतिपूर्तिक दाबी कर सेक्नेबा । ओसिन दावी पर्लसे अदालत संघीय कानून अन्सार क्षतिपूर्ति भराडिहे ओ पीडकहन सजाय कर सेक्नेबा ।

(१३) यी धारा अन्सारक घोषणा वा आदेश राष्ट्रपति कौनोफे व्याला फिर्ता लिहे सेक्नेबा ।

संविधान संशोधन

२७४. संविधान संशोधन : (१) नेपालक सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता ओ जनताम निहित सार्वभौमसत्ताक प्रतिकूल हुइना कैंख यी संविधान संशोधन कर निसेकजाइ ।

(२) उपधारा (१) ओ यी संविधानक और धाराक अधीनम रहक यी संविधानक कौनो धाराहन संशोधन वा खारेज कर्ना विधेयक संघीय संसदक कौनो फे सदनम पेश कर करसेकजाइ । लेकिन उपधारा (१) हन संशोधन निकरजाइ ।

(३) उपधारा (२) अन्सार पेश हुइल विधेयक सम्बन्धित सदनम प्रस्तुत हुइलक टीस डिनभिट्टर सर्वसाधारण जनताक जानकारीक लाग सार्वजनिक रूपम प्रकाशन कर पर्नेबा ।

(४) उपधारा (२) अन्सार पेश हुइलक विधेयक कौनो प्रदेशक सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची-६ म उल्लिखित विषयसे सम्बन्धित हुइलसे ओसिन विधेयक संघीय संसदम प्रस्तुत हुइलक तीस डिनभिट्टर सम्बन्धित सदनक सभामुख वा अध्यक्ष सहमतिक लाग प्रदेश सभाम पठाइ पर्नेबा ।

(५) उपधारा (४) अन्सार पठाइल विधेयक तीन मैन्हाँ भिट्टर सम्बन्धित प्रदेश सभक तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्यहुँकन्हँक बहुमतसे स्वीकृत वा अस्वीकृत कैंख वाकर जानकारी संघीय संसदम पठाइ पर्नेबा ।

लेकिन कौनो प्रदेश सभा कायम निरहल अवस्थाम ओसिन प्रदेश सभा गठन होख वाकर पैल्हा कचेह्री बैठल मितिले तीन मैन्हाँ भिट्टर स्वीकृत वा अस्वीकृत कैंख पठाइ पर्नेबा ।

(६) उपधारा (५) अन्सारक अवधिभिट्टर ओसिन विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत हुइलक जानकारी निडेलसे संघीय संसदक विधेयक उत्पत्ति हुइलक सदन ओसिन विधेयक उपर कारबाही आघ बढ्राय बाधा निपरी ।

(७) उपधारा (५) अन्सारक अवधिभिट्टर बहुसंख्यक प्रदेश सभा ओसिन विधेयक अस्वीकृत कर्लक सूचना संघीय संसदक सम्बन्धित सदनहन डेलसे ओसिन विधेयक निष्क्रिय हुइनेबा ।

(८) प्रदेश सभक सहमति आवश्यक निपर्ना वा उपधारा (५) अन्सार बहुसंख्यक प्रदेश सभासे स्वीकृत होख आइल विधेयक संघीय संसदक डुनु

सदनम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम डुई टिहाइ बहुमतसे पारित कर पर्नेबा ।

(९) उपधारा (८) अन्सार पारित हुइल विधेयक प्रमाणीकरणक लाग राष्ट्रपति समक्ष पेश करजैनेबा ।

(१०) राष्ट्रपति उपधारा (९) अन्सार पेश हुइल विधेयक प्राप्त हुइलक पन्द्रदिन भित्तर प्रमाणीकरण कर्नेबा ओ प्रमाणीकरण हुइलक मितिसे संविधान संशोधन हुइनेबा ।

विविध

२७५. जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था : (१) राष्ट्रिय महत्वक कौनो विषयम जनमत संग्रहसे निर्णय कर आवश्यक वा कैख संघीय संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक डुई टिहाइ सदस्यक बहुमतसे निर्णय होख ओसिन विषयम जनमत संग्रहसे निर्णय लिहे सेकजैनेबा ।

(२) जनमत संग्रह ओ तत्सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२७६. माफी : राष्ट्रपति कौनो अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकाय कर्लक सजायहन कानून अन्सार माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम कर सेक्नेबा ।

२७७. उपाधि, सम्मान ओ विभूषण : (१) राष्ट्रपति राज्यक तरफसे प्रदान करजैना उपाधि, सम्मान ओ विभूषण प्रदान कर्नेबा ।

(२) नेपाल सरकारसे स्वीकृति प्राप्त निकैख नेपालक कौनो नागरिक कौनो विदेशी सरकारसे प्रदान करजैना उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण कर निहुइट ।

२७८. सन्धि सम्पन्न कर्ना अधिकार : (१) सन्धि वा सम्झौता कर्ना अधिकार संघम निहित रहनेबा ।

(२) प्रदेशक अधिकारक सूचीम पर्ना विषयम सन्धि वा सम्झौता करबेर नेपाल सरकार सम्बन्धित प्रदेशसे परामर्श कर पर्नेबा ।

(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद नेपाल सरकारक सहमति लेख आर्थिक तथा औद्योगिक विषयक करारजन्य सम्झौता कर सेक्नेबा ।

२७९. सन्धि वा सम्झौताक अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन : (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुइना सन्धि वा सम्झौताक अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सार कानून बनाइबेर देहायक विषयक सन्धि वा सम्झौताक अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदक डुनु सदनम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक डुई टिहाइ बहुमतले करपर्ना शर्त ढरजैनेबा :-

(क) शान्ति ओ मैत्री,

(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,

(ग) नेपाल राज्यक सीमाना, ओ

(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा वाकर उपयोगक बाँडफाँड ।

लेकिन खण्ड (क) ओ (घ) म उल्लिखित विषयक सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रहन व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर निपर्ना साधारण प्रकृतिक सन्धि वा सम्झौताक अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाके कचेह्रीम उपस्थित सदस्यहुँकन्हँक साधारण बहुमतसे ह्वाय सेक्नेबा ।

(३) यी संविधान प्रारम्भ हुइलकपाछ हुइना कौनो सन्धि वा सम्झौता यी धारा अन्सार अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन निहुइटसम नेपाल सरकार वा नेपालक हकम लागू निहुइने हो ।

(४) उपधारा (१) ओ (२) म ज्याजसिन बाट लिखल हुइलसेफे नेपालक भौगोलिक अखण्डताम प्रतिकूल असर पर्ना कौनो सन्धि वा सम्झौता निकरजाइ ।

२८०. राष्ट्रपतिक कार्य कर्ना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यी संविधान अन्सार राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति डुनु पद रिक्त हुइलसे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन होख कार्यभार निसम्हालटसम यी संविधान अन्सार राष्ट्रपतिसे करजैना कार्य प्रतिनिधि सभाके सभामुख सम्पादन कर्नेबा ।

२८१. विशेष अधिकारक समीक्षा तथा पुनरावलोकन : नेपाल सरकार प्रत्येक दश वर्षम हुइना राष्ट्रिय जनगणनासे महिला ओ दलित समुदायक विशेष अधिकारक व्यवस्थाक कार्यान्वयन ओ वाकर प्रभाव सम्बन्धम मानव विकास सूचकांकक आधारम समीक्षा तथा पुनरावलोकन कर्नेबा ।

२८२. राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि : (१) राष्ट्रपति समावेशी सिद्धान्तक आधारम नेपाली राजदूत ओ कौनो खास प्रयोजनक लाग विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति कर सेक्नेबा ।

(२) राष्ट्रपति विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसे ओहोदाक प्रमाणपत्र ग्रहण कर्नेबा ।

२८३. समावेशी सिद्धान्त अन्सार नियुक्ति कर पर्ना : संवैधानिक अंग ओ निकायक पदम नियुक्ति करबेर समावेशी सिद्धान्त अन्सार करजैनेबा ।

२८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान अन्सार प्रधान न्यायाधीश ओ संवैधानिक निकायक प्रमुख ओ पदाधिकारीहुँकन्हँक नियुक्तिक सिफारिस कर देहाय अन्सारक अध्यक्ष ओ सदस्य रहल एक संवैधानिक परिषद रहनेबा :-

(क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश -सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाके सभामुख -सदस्य

(घ) राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष -सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि सभाके विपक्षी दलक नेता -सदस्य

(च) प्रतिनिधि सभाके उपसभामुख -सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशक पद रिक्त हुइलक अवस्थाम प्रधान न्यायाधीशक नियुक्तिक सिफारिस करबेर संवैधानिक परिषदम नेपाल सरकारक कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यक रूपमा रहनेबा ।

(३) संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायक कौनो प्रमुख वा पदाधिकारीक पद खाली हुइनासे एक मैन्हाँ आघ यी संविधान अन्सार नियुक्तिक लाग सिफारिस कर पर्नेबा ।

लेकिन मृत्यु होख वा राजीनामा डेख ओसिन पद रिक्त हुइलक अवस्थाम रिक्त हुइलक मितिले एक मैन्हाँ भित्र पदपूर्ति हुइना कैख नियुक्तिक लाग सिफारिस कर सेक्नेबा ।

(४) संवैधानिक परिषदक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारीक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

(५) नेपाल सरकारक मुख्य सचिव, संवैधानिक परिषदक सचिव होख काम कर्नेबा ।

२८५. सरकारी सेवाक गठन : (१) नेपाल सरकार देशक प्रशासन सञ्चालन कर संघीय निजामती सेवा ओ आवश्यकता अनुसार और संघीय सरकारी सेवाक गठन कर सेक्नेबा । ओसिन सेवाक गठन, सञ्चालन ओ सेवाक शर्त संघीय ऐन अन्सार हुइनेबा ।

(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सक्कु संघीय सरकारी सेवाम प्रतियोगितात्मक परीक्षासे पदपूर्ति करबेर संघीय कानून अन्सार खुला ओ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारमा हुइनेबा ।

(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिका आपन प्रशासन सञ्चालन कर आवश्यकता अनुसार कानून अन्सार मेह्रमेह्रीक सरकारी सेवाक गठन ओ सञ्चालन कर सेक्नेबा ।

२८६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग : (१) यी संविधान अन्सार संघीय संसदक सदस्य ओ प्रदेश सभक सदस्यक निर्वाचन कर्ना प्रयोजनक लाग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर नेपाल सरकार देहायक अध्यक्ष ओ सदस्य रहल एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगक गठन कर सेक्नेबा :-

(क) सर्वोच्च अदालतक सेवानिवृत्त न्यायाधीश - अध्यक्ष

(ख) भूगोलविद एक जन - सदस्य

(ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जन - सदस्य

(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जन - सदस्य

(ङ) नेपाल सरकारक विशिष्ट श्रेणीक अधिकृत - सदस्य सचिव

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगक कार्यावधि ओसिन आयोग गठन कर्ना व्याला त्वाकल अन्सार हुइनेबा ।

(३) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदम नियुक्त ह्वाय योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे सम्बन्धित विषयम कम्तीम स्नातक उपाधि प्राप्त करल,

(ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइल, ओ

(ग) उच्च नैतिक चरित्र हुइल ।

(४) देहायक कौनो अवस्थाम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजहन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद हटैलसे,

(ग) निजक मृत्यु हुइलसे ।

▲(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसे यी धारा अन्सार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करबेर धारा ८४ क उपधारा (१) क खण्ड (क) क अधिनम रहख प्रतिनिधितोकलाग जनसंख्याहन मुख्य ओ भुगोलहन डोश्रा आधार मानख संघिय कानुन अन्सार प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कैजाई ओ प्रदेशभित्र रहल प्रत्येक जिल्लाम कम्तिमा १ निर्वाचन क्षेत्र रहने बा ।

(६) उपधारा (५) अन्सार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करबेर ■ जनसंख्याओ भौगोलिक अनुकुलता ऊ क्षेत्रक जनसंख्याक घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातक सहजिलता, सामुदायिक ओ सांस्कृतिक पक्षहन समेत ध्यान डिहे पर्नेबा ।

(७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसे निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करगैलक ओ पुनरावलोकन करगैलक विषयम कौनो अदालतम प्रश्न उठाय निपाजाइ ।

▲ पहिला संसोधनसे संसोधित
■ पहिला संसोधनसे संसोधित

(८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अप्न काम कर्लक कामक प्रतिवेदन नेपाल सरकार हन पेश कर्नेबा ।

(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद उपधारा (८) अन्सारक प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश कर्नक अतिरिक्त कार्यान्वयनक लाग निर्वाचन आयोगम पठैनेबा ।

(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग आपन कार्यविधि अप्पनहें निर्धारण कर्नेबा ।

(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओ निर्वाचन आयुक्त सरह हुइनेबा ।

(१२) उपधारा (५) अन्सार निर्धारण हुइल निर्वाचन क्षेत्रक प्रत्येक बीस वर्षम पुनरावलोकन कर पर्नेबा ।

(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगहन आवश्यक पर्ना कर्मचारी नेपाल सरकार उपलब्ध करैनेबा ।

२८७. भाषा आयोग : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले एक वर्षभिट्टर नेपाल सरकार प्रदेशहुँकन्हँक प्रतिनिधित्व हुइना कैख एक भाषा आयोगक गठन कर्नेबा ।

(२) भाषा आयोगम अध्यक्षकसँग आवश्यक संख्याम सदस्यहुँक रहनेबाट ।

(३) भाषा आयोगक अध्यक्ष ओ सदस्यक पदावधि नियुक्तिक मितिले छ वर्षक हुइनेबा । निजहुँकन्हँक पुनः नियुक्ति ह्वाय निसेक्नेहो ।

(४) देहायक योग्यता हुइलक व्यक्ति भाषा आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पदम नियुक्त ह्वाय योग्य हुइनेबा :-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे सम्बन्धित विषयम स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर्लक,

(ख) नेपालक मेह्मेह्मीक भाषाहुँकन्हँक सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान ओ अन्वेषणक क्षेत्रम कम्तीम बीस वर्षक कार्य अनुभव हुइलक,

(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा हुइलक, ओ

(घ) उच्च नैतिक चरित्र हुइलक ।

(५) देहायक कौनो अवस्थाम भाषा आयोगक अध्यक्ष वा सदस्यक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजहन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद हटैलसे,

(ग) निजक उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(६) भाषा आयोगक काम, कर्तव्य ओ अधिकार देहाय अन्सार हुइनेबा :-

(क) सरकारी कामकाजक भाषाक रूपम मान्यता पाइक लाग पूरा करपर्ना आधारक निर्धारण कैख नेपाल सरकार समक्ष भाषाक सिफारिस कर्ना,

(ख) भाषाक संरक्षण, संवर्धन ओ विकासक लाग अवलम्बन करपर्ना उपाय नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस कर्ना,

(ग) मातृभाषा विकासक स्तर मापन कैख शिक्षाम प्रयोगक सम्भाव्यताक बिषयम नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश कर्ना,

(घ) भाषाक अध्ययन, अनुसन्धान ओ अेनुगमन कर्ना ।

(७) भाषा आयोग उपधारा (६) क खण्ड (क) अन्सारक कार्य आयोग गठन हुइलक मितिले पाँच वर्ष भिट्टर सम्पन्न कर्नेबा ।

(८) नेपाल सरकार प्रदेश सरकारसे समन्वय कैख प्रदेशम भाषा आयोगक शाखा स्थापना कर सक्नेबा ।

(९) भाषा आयोगक और काम, कर्तव्य ओ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२८८. राजधानी : (१) नेपालक राजधानी काठमाडौँम रहनेबा ।

(२) यी संविधान अन्सारक प्रदेशक राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाम तत्काल कायम रहल सदस्य संख्याक दुई तिहाइ बहुमतसे निर्णय हुइल अन्सार हुइनेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार निर्णय निहुइटसम नेपाल सरकार त्वाकल अन्सारक स्थानसे प्रदेशक कार्य सञ्चालन हुइनेबा ।

२८९. पदाधिकारीक नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभक सभामुख, राष्ट्रिय सभक अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभक सभामुख ओ सुरक्षा निकायक प्रमुखक पदम निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति ह्वाय वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त करल हुइ पर्नेबा ।

(२) उपधारा (१) म उल्लिखित पद बाहेक और संवैधानिक निकायक पदम यी संविधान अन्सार नियुक्तिक लाग वंशजक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति, नेपालक अंगीकृत नागरिकता पाईल मनैया वा जन्मक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति समेत योग्य हुइनेबा ।

लेकिन नेपालक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करल व्यक्तिक हकम कम्तीम दश वर्ष, जर्मक आधारम नेपालक नागरिकता प्राप्त करल मनैया ओ धारा ११ क उपधारा (६) अन्सार नेपालक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करल मनैयक हकम कम्तीम पाँच वर्ष नेपालम बसोबास करल हुइ पर्नेबा ।

२९०. गुठी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गुठीक मूलभूत मान्यताम प्रतिकूल असर निपर्ना कैख गुठी जग्गाम भोगाधिकार होस्याकल किसान एवं गुठीक अधिकारक सम्बन्धम संघीय संसद आवश्यक कानून बनैनेबा ।

(२) गुठी सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२९१. नियुक्तिक लाग योग्य निहुइना : (१) यी संविधानम औरठाउँम ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे विदेशक स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिहेल नेपालक नागरिक यी संविधान अन्सार निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुइना पदम निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिक लाग योग्य निहुइनेहो ।

लेकिन ओसिन विदेशक स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागल व्यक्तिहन कम्तीम तीन महीनाक अवधि व्यतित हुइलक पाछ ओसिन पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त कर बाधा निपरी ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक विदेशक स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिहेल नेपालक नागरिक सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

२९२. संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान अन्सार संवैधानिक परिषदक सिफारिसम नियुक्त हुइना प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश, न्याय परिषदक सदस्य, संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारी ओ राजदूतक पदम नियुक्ति हुइनासे आघ संघीय कानून अन्सार संसदीय सुनुवाई हुइनेबा ।

(२) उपधारा (१) क प्रयोजनक लाग संघीय संसदक डुनु सदनक सदस्यहुँक रहना कैक संघीय कानून अन्सार पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन करजैनेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक संयुक्त समितिम रहना सदस्य संघीय संसदक उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतम उपस्थित होख बहस पैरबी कर निपाइ ।

२९३. सवैधानिक निकायक काम कारबाहीक अनुगमन : सवैधानिक निकायक प्रमुख ओ पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी ओ जवाफदेही रह पर्नेबा । प्रतिनिधि सभक समिति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकक और संवैधानिक निकायक प्रतिवेदन लगायतक काम कारबाहीक अनुगमन ओ मूल्यांकन कैक आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह डिहे सेक्नेबा ।

२९४. संवैधानिक निकायक वार्षिक प्रतिवेदन : (१) यी संविधान अन्सारक संवैधानिक निकाय आपन करल काम कारबाहीक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश कर्नेबा ओ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मार्फत ओसिन प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश कर लगैने बा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक वार्षिक प्रतिवेदनम खुलाए पर्ना बाट संघीय कानून अन्सार हुइनेबा ।

(३) उपधारा (१) म ज्याजसिन बाट लिखगैलक हुइलसेफे संवैधानिक निकाय प्रत्येक प्रदेशक काम कारबाहीक सम्बन्धम अलग अलग प्रतिवेदन तयार कैक प्रदेश प्रमुख हन पेश कर सेक्नेबा ।

भाग-३३

संक्रमणकालीन व्यवस्था

२९५. संघीय आयोगक गठन : (१) प्रदेशक सीमांकन सम्बन्धी विषयम सुझाव डिहे नेपाल सरकार एक संघीय आयोग गठन कर सेक्नेबा ।

(२) धारा ५६ क उपधारा (३) अन्सारक प्रदेशक नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभक सम्पूर्ण सदस्य संख्याक डुई तिहाइ बहुमतसे हुइनेबा ।

(३) धारा ५६ क उपधारा (४) ओ (५) अन्सार निर्माण हुइना गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रक संख्या ओ साँढ सीमाना निर्धारण करकलाग नेपाल सरकार एक आयोग गठन कर्नेबा । ओसिन आयोग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रक संख्या ओ सीमानाक निर्धारण नेपाल सरकार निर्धारण कर्लक मापदण्ड अन्सार कर पर्नेबा ।

(४) उपधारा (३) अन्सारक आयोगक गठन यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले छ मैन्हाँ भित्र करजैनेबा । ओसिन आयोगक कार्यावधि एक वर्षक हुइनेबा ।

२९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदम रूपान्तरण हुइना : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल संविधान सभा यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ व्यवस्थापिका-संसदम स्वतः रूपान्तरण हुइनेबा ओ ओसिन व्यवस्थापिका-संसदक कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम कायम रहनेबा ।

लेकिन ओसिन कार्यकाल पूरा हुइनासे आघ यी संविधान अन्सारक प्रतिनिधि सभक निर्वाचन हुइना हुइलसे ओसिन निर्वाचनक लाग उम्मेदवारक मनोनयनपत्र दाखिला कर्ना आघक् डिनसम व्यवस्थापिका-संसद कायम रहनेबा ।

(२) यी संविधान जारी हुँइना व्याला व्यवस्थापिका-संसदम विचाराधीन रहल विधेयक उपधारा (१) अन्सारक व्यवस्थापिका-संसदम स्वतः सर्नेबा ।

(३) यी संविधान अन्सार संघीय संसद सम्पादन कर पर्ना काम यी संविधान अन्सार प्रतिनिधि सभक निर्वाचन निहुइटसम उपधारा (१) अन्सारक व्यवस्थापिका-संसद कर्नेबा ।

४) यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ प्रदेश सभा गठन निहुइटसम अनुसूची-६ अन्सारक विषयम कानून बनैना प्रदेश सभक अधिकार उपधारा (१)

अन्सारक व्यवस्थापिका-संसदम रहनेबा । ओसिख बनल कानून यी संविधान अन्सारक प्रदेश सभा गठन हुइलक मितिले एक वर्षपाछ ओसिन प्रदेशक हकम निष्क्रिय हुइनेबा ।

(५) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्यालक व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, वाकर महासचिव, सचिव ओ कर्मचारीहुँक निजहुँकन्हँक नियुक्ति हुइना व्यालक सेवाक शर्तक अधीनम रहख यी संविधान अन्सारक संघीय संसद सचिवालयम कायम हुइनेबाट ।

(६) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन चल्टिरहल निहोकलसे राष्ट्रपति यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले सात दिनभिट्टर व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन आह्वान कर्नेबा । वाकर पाछ राष्ट्रपति समय समयम व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन आह्वान कर्नेबा ।

२९७. राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति यी धारा अन्सार और राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति निर्वाचित निहुइटसम आपन-आपन पदम बहाल रहनेबाट ।

(२) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्यालक व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन चल्टिरहल बा कलसे यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले ओ अधिवेशन निचलल्हो कलसे धारा २९६ क उपधारा (६) अन्सार अधिवेशन आह्वान हुइलक मितिले एक मैन्हाँ भिट्टर राजनीतिक सहमतिक आधारम राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन धारा २९६ क उपधारा (१) अन्सारक व्यवस्थापिका-संसद कर्नेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार सहमति कायम ह्वाय निसेक्लसे व्यवस्थापिका-संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्यक बहुमतसे राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन सम्पन्न कर पर्नेबा ।

(४) उपधारा (२) वा (३) अन्सार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक पद कौनो कारणले रिक्त हुइलसे संघीय संसदक गठन निहुइटसम इहे धारा अन्सार व्यवस्थापिका-संसदसे राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन करजैनेबा ।

(५) यी धारा अन्सार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक पदावधि धारा ६२ अन्सारक निर्वाचक मण्डलसे और राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होख कार्यभार निसम्हालटसम कायम रहनेबा ।

(६) यी धारा अन्सार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिक पद देहायक कौनो अवस्थाम रिक्त हुइनेबा :-

(क) राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समक्ष ओ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) निजक विरुद्ध उपधारा (७) अन्सार महाभियोगक प्रस्ताव पारित हुइलसे,

(ग) धारा ६२ अन्सारक निर्वाचक मण्डलसे और राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होख कार्यभार सम्हल्लसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(७) यी धारा अन्सार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति यी संविधान ओ कानूनक गम्भीर उल्लंघन कर्लक चोरीम धारा २९६ क उपधारा (१) अन्सारक व्यवस्थापिका-संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम एक चौथाइ सदस्य निजक विरुद्ध महाभियोगक प्रस्ताव पेश कर सेक्नेबाट । ओसिन प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम डुई तिहाइ बहुमतसे पारित हुइलसे निज पदमुक्त हुइनेबा ।

२९८. मन्त्रिपरिषदक गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) अन्सारक मन्त्रिपरिषद गठन निहुइटसम कायम रहनेबा ।

(२) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन चल्टिरहलबा कलसे यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले ओ अधिवेशन निचल्लहो कलसे धारा २९६ क उपधारा (६) अन्सार आह्वान कररौलक व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन प्रारम्भ हुइलक मितिले सात दिनभिट्र राजनीतिक सहमतिक आधारम प्रधानमन्त्रीक निर्वाचन सम्पन्न कैख निजक अध्यक्षताम मन्त्रिपरिषदक गठन हुइनेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार सहमति कायम ह्वाय निसेक्लसे व्यवस्थापिका-संसदक तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतक आधारम, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुइनेबा ।

(४) यी धारा अन्सार गठन हुइना मन्त्रिपरिषदक संरचना ओ कार्य विभाजन आपसी सहमतिसे तय करजैनेबा ।

(५) यी धारा अन्सार गठन हुइना मन्त्रिपरिषदम आवश्यकता अनुसार उप-प्रधानमन्त्री ओ और मन्त्रीहुँक रहनेबाट ।

(६) यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा (५) अन्सार मन्त्री नियुक्ति करबेर सम्बन्धित दलक सिफारिसम व्यवस्थापिका-संसदक सदस्यहुँक मध्येसे नियुक्ति कर पर्नेबा ।

(७) यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओ और मन्त्रीहुँक व्यवस्थापिका-संसदप्रति सामूहिक रूपम उत्तरदायी हुइनेबाट ओ मन्त्रीहुँक आपन मन्त्रालयक कामक लाग व्यक्तिगत रूपम प्रधानमन्त्री ओ व्यवस्थापिका-संसदप्रति उत्तरदायी हुइनेबाट ।

(८) देहायक कौनो अवस्थाम यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री आपन पदसे मुक्त हुइनेबा :-

(क) निज राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) उपधारा (१४) अन्सार निजक विरुद्ध अविश्वासक प्रस्ताव पारित हुइलसे वा विश्वासक प्रस्ताव पारित ह्वाय निसेक्लसे,

(ग) निज व्यवस्थापिका-संसदक सदस्य निरलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(९) यी धारा अन्सार नियुक्त उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायक कौनो अवस्थाम आपन पदसे मुक्त हुइनेबाट :-

(क) निज प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) उपधारा (८) अन्सार प्रधानमन्त्री आपन पदसे मुक्त हुइलसे,

(ग) सम्बन्धित दलक सिफारिसम वा सम्बन्धित दलक सल्लाहम प्रधानमन्त्री निजहन पदमुक्त कर्लसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(१०) उपधारा (८) अन्सार प्रधानमन्त्री आपन पदसे मुक्त हुइलसे फे और मन्त्रिपरिषद गठन निहुइटसम उहो मन्त्रिपरिषद कार्य सञ्चालन कर्टीरनेबा ।

(११) यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्रीक मृत्यु हुइलसे और प्रधानमन्त्रीक चयन निहुइट सम्मकलाग उप-प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्री प्रधानमन्त्रीक रूपम कार्य सञ्चालन कर्नेबा ।

(१२) यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री कौनो फे व्याला आपन उप्पर व्यवस्थापिका-संसदक विश्वास बा कना बाट स्पष्ट कर आवश्यक वा उपयुक्त

ठन्लसे विश्वासक मतक लाग व्यवस्थापिका-संसद समक्ष प्रस्ताव ढर सेक्नेबा ।

(१३) व्यवस्थापिका-संसदक सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम एक चौथाइ सदस्य यी धारा अन्सार नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका-संसदक विश्वास निहो कैंख लिखित रूपम अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर सेक्नेबा ।

लेकिन यी धारा अन्सार नियुक्त एक्कठो प्रधानमन्त्री उपर छ महीनाम एक फ्यारासे ढिउर अविश्वासक प्रस्ताव पेश कर निसेकजाइ ।

(१४) उपधारा (१२) वा (१३) अन्सारक प्रस्तावक निर्णय व्यवस्थापिका-संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमतसे हुइनेबा ।

(१५) यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ यी संविधान अन्सारक प्रदेश मन्त्रिपरिषदक गठन निहुइटसम प्रदेशक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकार प्रयोग कर्नेबा ।

२९९. सभामुख ओ उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल व्यवस्थापिका-संसदक सभामुख ओ उपसभामुख यी धारा अन्सार और सभामुख ओ उपसभामुख निर्वाचित निहुइटसम आपन-आपन पदम बहाल रहनेबाट ।

(२) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला व्यवस्थापिका-संसदक अधिवेशन चल्टिरहलबा कलसे यी संविधान प्रारम्भ हुइलक मितिले ओ अधिवेशन निचलठो कलसे धारा २९६ क उपधारा (६) अन्सार अधिवेशन आह्वान हुइलक मितिले बीस दिनभिट्टर व्यवस्थापिका-संसदक सदस्यहुँक अप्न मध्येसे राजनीतिक सहमतिक आधारम एकजन सभामुख ओ एकजन उपसभामुखक निर्वाचन कर्नेबाट ।

(३) उपधारा (२) अन्सारक सहमति कायम ह्वाय निसेक्लसे व्यवस्थापिका-संसदम तत्काल कायम रहल सम्पूर्ण सदस्य संख्याक बहुमत प्राप्त कर्ना, व्यवस्थापिका-संसदक सदस्य व्यवस्थापिका-संसदक सभामुख वा उपसभामुख पदम निर्वाचित हुइल मानजैने बाट ।

(४) उपधारा (२) वा (३) अन्सार निर्वाचन करबेर सभामुख ओ उपसभामुख व्यवस्थापिका-संसदम प्रतिनिधित्व कर्ना अलग-अलग राजनीतिक दलसे प्रतिनिधित्व कर्ना सदस्य हुइ पर्नेबा ।

(५) सभामुख वा उपसभामुख यी संविधान अन्सार आपन कार्य सम्पादन करबेर कौनो फे राजनीतिक दलक पक्ष वा विपक्षम निरहख तटस्थ व्यक्तिक हैसियत कर्नेबा ।

(६) देहायक कौनो अवस्थाम सभामुख वा उपसभामुखक पद रिक्त हुइनेबा :-

(क) निज लिखित राजीनामा डेलसे,

(ख) व्यवस्थापिका-संसदम निजक सदस्यता निरलसे,

(ग) निज पद अनुकूलक आचरण निकर्लहो कना प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदक सम्पूर्ण सदस्य संख्याक कम्तीम डुई तिहाइ सदस्यक बहुमतसे पारित हुइलसे,

(घ) निजक मृत्यु हुइलसे ।

(७) व्यवस्थापिका संसदक सभामुख पद अनुकूलक आचरण निकर्लहो कना प्रस्ताव उपर छलफल हुइना कचेह्रीक अध्यक्षता उपसभामुख वा और कौनो सदस्य कर्नेबा ओ ओसिन प्रस्तावक छलफलम सभामुख भाग लिह ओ मत डिहे पैनेबा ।

(८) सभामुख ओ उपसभामुखक निर्वाचन सम्बन्धी और प्रक्रिया ओ सभामुख वा उपसभामुख पद अनुकूलक आचरण निकर्लक कना प्रस्ताव पेश कर्ना ओ पारित कर्ना प्रक्रिया तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका-संसदक नियमावली अन्सार हुइनेबा ।

३००. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत ओ जिल्ला अदालतहुँक यी संविधान अन्सारक न्यायपालिकाक संरचना तयार निहुइटसम कायम रहनेबाट । यी संविधान प्रारम्भ हुइनासे आघ ओसिन अदालतम दायर हुइल मुद्दा ओ यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ दायर हुइना मुद्दा तत् तत् अदालतसे निरूपण कर यी संविधान बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

(२) यी संविधान सुरु हुइना व्याला सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत ओ जिल्ला अदालतम बहाल रहल सर्वोच्च अदालतक प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश ओ जिल्ला अदालतक न्यायाधीश यिहे संविधान अन्सार नियुक्त हुइलक मानजैनेबाट ।

(३) यी संविधान सुरु हुइलक मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून अन्सार धारा १३९ अन्सारक उच्च अदालतक स्थापना करजैनेबा । ओसिन अदालतक

स्थापना हुइलक पाछ यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल पुनरावेदन अदालत विघटन हुइनेबा ।

(४) उपधारा (३) अन्सार उच्च अदालत स्थापना हुइलक पाछ पुनरावेदन अदालतम विचाराधीन रहल मुद्दा नेपाल सरकार न्यायपरिषदक परामर्शम नेपाल राजपत्रम सूचना प्रकाशन कैंख तोक्लक उच्च अदालतम सर्नेबा ।

(५) उपधारा (३) अन्सार उच्च अदालत स्थापना हुइलक पाछ न्यायपरिषदक सिफारिसम प्रधान न्यायाधीश यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला बहाल रहल पुनरावेदन अदालतक मुख्य न्यायाधीश ओ न्यायाधीशहुँकन उच्च अदालतक मुख्य न्यायाधीश ओ न्यायाधीशम पदस्थापन करजैनेबा ।

(६) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला बहाल रहल पुनरावेदनअदालतक सँग न्यायाधीशहुँक नियुक्ति हुइबेर तोकगैलक अवधिसम बहाल रह सक्नेबाट ।

(७) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला अदालत बाहेक और निकायम विचाराधीन रहल एक वर्षसे ढिउर कैद सजाय हुइना फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा यी संविधान प्रारम्भ हुइलक पाछ सम्बन्धित जिल्ला अदालतम सर्नेबा ।

३०१. संवैधानिक निकाय ओ पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल ओ यी संविधानम व्यवस्था हुइल संवैधानिक निकाय इहे संविधान अन्सार गठन हुइल मानजैनेबा ओ ओसिन निकायम विचाराधीन रहल विषयहन यी संविधानक अधीनम रहक फर्छौट कर बाधा पुगाइल निमानजाइ ।

(२) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला बहाल रहल संवैधानिक निकायक प्रमुख वा पदाधिकारी इहे संविधान अन्सार नियुक्त हुइलक मानजैनेबा ओ निज नियुक्त हुइना व्यालक सेवाक शर्तक अधीनम रहख आपन पदमा बहाल रहनेबा ।

(३) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओ लोक सेवा आयोगम यी संविधानम उल्लेख हुइलक संख्या से ढिउर संख्याम कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुइना व्यालक सेवाक शर्तक अधीनम रहख आपन पदम बहाल रहनेबा ।

३०२. प्रदेश ओ स्थानीय तहम सरकारी सेवाहुँकन्हँक गठन ओ सञ्चालन : (१) प्रदेश ओ स्थानीय तहम आवश्यक सेवा प्रवाह कर नेपाल सरकार आवश्यक व्यवस्था कर्नेबा ।

(२) उपधारा (१) अन्सारक व्यवस्था करबेर यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला सरकारी सेवाम कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहन नेपाल सरकार कानून अन्सार संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहम समायोजन कैख सेवा प्रवाहक व्यवस्था मिलाए सेक्नेबा ।

३०३. स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल स्थानीय निकायहुँक यी संविधान अन्सार स्थानीय तहक संख्या ओ क्षेत्र निर्धारण निहुइटसम कायम रहनेबाट ।

(२) उपधारा (१) अन्सार कायम रहल स्थानीय निकायक पदाधिकारीक निर्वाचन कानून अन्सार हुइनेबा ।

(३) उपधारा (२) अन्सार निर्वाचित स्थानीय निकायक पदाधिकारीहुँक यी संविधान अन्सार स्थानीय तहक निर्वाचन निहुइटसम कायम रहनेबाट ।

३०४. वर्तमान कानून लागू रहना : (१) यी संविधान प्रारम्भ हुइना व्याला कायम रहल नेपाल कानून खारेज वा संशोधन निहुइटसम लागू रहनेबा ।

लेकिन यी संविधानसे बाझल कानून यी संविधान अन्सारक संघीय संसदक पैल्हा अधिवेशन बैठलक मितिले एक वर्षपाछ्र बाझल हदसम स्वतः अमान्य हुइनेबा ।

(२) नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्सारक शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य इहे संविधान अन्सार हुइल करल मानजाइ ।

३०५. बाधा अड्काउ छुटैना अधिकार : यी संविधान अन्सार संघीय संसदक निर्वाचन होख बाकर पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ निहुइटसम यी संविधानक कार्यान्वयन कर कौनो बाधा अड्काउ पर्लसे राष्ट्रपति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदक सिफारिसम ओसिन बाधा अड्काउ छुटाए आवश्यक आदेश जारी कर सेक्नेबा । ओसिन आदेश जारी हुइलक पाछ्र तत्काल बैठल व्यवस्थापिका-संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनक लाग पेश कर पर्नेबा ।

भाग-३४

परिभाषा ओ व्याख्या

३०६. परिभाषा ओ व्याख्या : (१) विषय वा प्रसङ्गले और अर्थ निलग्लसे यी संविधानम,-

(क) "अल्पसंख्यक" कहबेर संघीय कानून अन्सार निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक ओ धार्मिक समूह सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले आपन जातीय, धार्मिक ओ भाषिक विशिष्टता हुइलक, ओहीहन बचाख ढर्ना आकांक्षा रहल, विभेद ओ उत्पीडन भोग्लक समूह समेतहन जनैठा ।

(ख) "कानून" कहबेर संघीय कानून, प्रदेश कानून ओ स्थानीय कानून सम्झ पर्ठा ।

(ग) "धारा" कहबेर यी संविधानक धारा सम्झ पर्ठा ।

(घ) "नगरपालिका" कहबेर महानगरपालिका उपमहानगरपालिका समेत सम्झ पर्ठा ।

(ङ) "नागरिक" कहबेर नेपालक नागरिक सम्झ पर्ठा ।

(च) "प्रदेश" यी संविधान अन्सार संघीय इकाइम विभाजन करगैलक नेपालक संघीय इकाइक क्षेत्र ओ स्वरूप सम्झ पर्ठा ।

(छ) "पारिश्रमिक" कहबेर तलब, भत्ता ओ और कौनो मेड्डीक पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झ पर्ठा ।

(ज) "राज्यशक्ति" कहबेर राज्यक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ओ न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतहन जनैठा ।

(झ) "विधेयक" कहबेर संघीय संसद वा प्रदेश सभाम पेश हुइल संविधान संशोधन वा ऐनक मस्यौदा सम्झ पर्ठा ।

(ञ) "संघ" कहबेर संघीय संरचनाक सबसे उप्रक इकाइक रूपम रना संघीय तह सम्झ पर्ठा ।

(ट) "संघीय इकाइ" कहबेर संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह सम्झ पर्ठा ।

(ठ) "संवैधानिक निकाय" कहबेर यी संविधान अन्सार गठन कररौल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग ओ मुस्लिम आयोग सम्झ पर्ठा ।

(ड) "सीमान्तीकृत" कहबेर राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिकरूपले पाछ पार गैलक, विभेद ओ उत्पीडन ओ भौगोलिक विकटताक कारणले सेवा सुविधाक उपभोग कर निसेक्लक वा ओहिंमसे वञ्चित रहल संघीय कानून अन्सारक मानव विकासक स्तर से न्यून स्थितिम रहल समुदाय सम्झ पर्ठा ओ उ शब्दले अतिसीमान्तीकृत ओ लोपोन्मुख समुदाय समेतहन जनैठा ।

(ढ) "स्थानीय तह" कहबेर यी संविधान अन्सार स्थापना हुइना गाउँपालिका, नगरपालिका ओ जिल्ला सभाहन सम्झ पर्ठा ।

(२) विषय वा प्रसङ्गले और अर्थ निलग्लसे यी संविधानम व्यक्त हुइलक बाटक अधीनम रहख कानूनक व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनक व्याख्याम लागू हुइल सरह यी संविधानक व्याख्याम फे लागू हुइनेबा ।

भाग-३५

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ ओ खारेजी

३०७. संक्षिप्त नाम ओ प्रारम्भ : (१) यी संविधानहन "नेपालक संविधान"कैजाइ ।

(२) यी संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल कुवाँर मैन्हँक टिन गतेसे शुरु हुइनेबा ।

३०८. खारेजी : नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज करगैलबा ।

अनुसूची-१

(धारा ८ क उपधारा (२) से सम्बन्धित)

नेपालक राष्ट्रिय झण्डा

नेपालक राष्ट्रिय झण्डा बनैना तरीका

(क) किनाराभिट्टक आकार बनैना तरीका

(१) एकठो सिम्रिक रंगक लाल लुगाम टरक भागम चाहल जट्टा लम्बाइक रेखा बाउँसे डाहिनओर खिच्ना ओ यहीहन क ख नाउँ ढर्ना ।

(२) क से सीधा उप्पर ग सम क ख क लम्बाइ जट्टाम क ख क तृतीयांश थपबेर जट्टा हुइठा वट्टहें नम्मा हुइना कैख क ग रेखा खिच्ना । क ग म क से क ख क लम्बाइ जट्टा लेख घ चिन्हाँ लगैना । ख ओ घ जोरना ।

(३) ख घ रेखाम ख से क ख जट्टा लेख ङ चिन्हाँ लगैना ।

(४) ङ हुइटी क ख क समानान्तर पारख क ग म पर्ना बिन्दु च से शुरु कैख डाहिनओर छ सम क ख क लम्बाइ जट्टा रेखा खिच्ना ।

(५) ग ओ छ हन जोरना ।

(ख) जोन्ह्याँ बनैना तरीका

(६) क ख क चतुर्थांश जट्टा क से दाहिनम ज चिन्हाँ लगैना ओ उहाँसे उप्पर क ग क समानान्तर पारख ग छ हन झ म छुना रेखा खिच्ना ।

(७) ग च क आधा ञ से क ख क समानान्तर पारख रेखा डाहिनओर खिचख ग छ हन ट म छुना ।

(८) ञ ट ओ ज झ रेखा काटगैलक ठाउँम ठ चिन्हाँ ढर्ना ।

(९) ञ ओ छ जोरना ।

(१०) ञ छ ओ ज झ काटगैलक बुन्डाम ड चिन्हाँ लगैना ।

(११) ड हन बिच मानख ख घ रेखाहन न्यूनतम अन्तर पर्ना कैख छुवबेर हुइना जट्टा दूरी पर्ना कैख ज झ रेखाक टरका भागम ढ चिन्हाँ लगैना ।

(१२) ड म छुख क ख क समानान्तर रेखा बाउँओरसे डाहिनओर खिच्ना ओ यहींले क ग हन छुलक बुन्डक नाउँ ण ढर्ना ।

(१३) ठ केन्द्र लेख ठ ढ व्यासार्द्धले टरका भागम वृत्त खण्ड खिच्ना ओ ण ड से गैल रेखाहन याकर छुवल डुनु ठाउँम क्रमशः त ओ थ नाउँ ढर्ना ।

(१४) ड हन केन्द्र मानख ड थ व्यासार्द्धले टरका भागम अर्ध वृत्ताकार त थ हन छुना कैख खिच्ना ।

(१५) ढ केन्द्र मानख ढ ड क व्यासार्द्धले त ढ थ वृत्त खण्डक डुनुओर छुना कैख वृत्त खण्ड खिच्ना ओ यहींले त ढ थ हन छुलक विन्दुहुँकन्हँक नाउँ क्रमशः द ओ ध ढर्ना । द ध हन जोरना । द ढ ओ ज झ काटगैलक विन्दुक नाउँ न ढर्ना ।

(१६) न हन केन्द्र मानख व्यासार्द्ध न ध ले त ढ थ क उप्रक भागम डुनु ठाउँम छुना कैख अर्ध वृत्ताकार खिच्ना ।

(१७) न हन केन्द्र मानख व्यासार्द्ध न ड ले त ढ थ क उप्रक भागम डुनु ठाउँम छुना कैख वृत्त खण्ड खिच्ना ।

(१८) यी अनुसूचीक नं. (१६) क अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) क वृत्त खण्ड बाहेर जोन्हेंक आठठो बराबरक कोण बनैना ।

(ग) डिन बनैना तरीका

(१९) क च क आधा प से क ख क समानान्तर पारख ख ड म छुना कैख प फ रेखा खिच्ना ।

(२०) ज झ ओ प फ काटगैलक विन्दु ब केन्द्र मानख ड ढ क व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ना ।

(२१) ब हन केन्द्र मानख ठ ढ व्यासार्द्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ना ।

(२२) यी अनुसूचीक नं. (२०) क वृत्ताकार बाहेर ओ यी अनुसूचीक नं. (२१) क वृत्ताकारभित्र परल गुल्यार घेराक बीच भागम सूर्यक बाह्रठो बराबरक कोण डुई चुच्चाहुँक ज झ रेखाम छुना कैख बनैना ।

(घ) किनारा बनैना तरीका

(२३) न ढ क चौडाइ जट्टा गाढा बैजङ्यार रंगक किनारा झण्डाक आकारक बाहेर सक्कुओरीक सीमाम ठप्ना, लेकिन झण्डाक पाँच कोणहुँकन्हँकम चाहिं बाहिरी कोणहुँकफे भिट्टहें सरहक बनैना ।

(२४) झण्डा डौरी लगाख प्रयोग कर्लसे उप्पर कलकओर ढर्ना । झण्डा लट्ठीम घुसर्ना हो कलसे क ग ओर आवश्यक परल जट्टा किनारा चक्रैना । डौरी वा लट्ठीक प्रयोगम क ग क ओर फ्वांग ढर्ना ।

स्पष्टीकरण : झण्डा बनाइबेर खिचल ज झ द ध, च ड, ड घ, ञ छ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहुँक कल्पित हुइट । असहेंक सूर्यक बाहिरी ओ भित्री वृत्ताकारहुँक तथा हँस्याअस जोन्ह्याँ बाहेक और वृत्त खण्ड फे कल्पित हुइट । हिंकन झण्डाम निडेखाजाइट ।

द्रष्टव्य : राष्ट्रिय झण्डाके आकार नेपाल सरकार निर्धारण करल अन्सार हुइनेबा ।

अनुसूची-२

(धारा ९ क उपधारा (१) से सम्बन्धित)

नेपालक राष्ट्रिय गान

सयौं फूलक ठ्याचा हम्र एक्क माला नेपाली
सार्वभौम होख फैललबाटी मेची-महाकाली ।
प्रकृतिक कोटीकोटी सम्पदाक आँचल
वीरहुँकन्हँक रकटले स्वतन्त्र ओ अटल
ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल
अखण्ड यी मैगर हमार मातृभूमि नेपाल
बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति बा विशाल
अगसुर डेश हमार जय जय नेपाल ।

अनुसूची-३

(धारा ९ क उपधारा (२) से सम्बन्धित)

नेपालक निशान छाप

द्रष्टव्य : यी निशान छाप आवश्यकता अनुसार बरा वा छोटी आकारक बनाय सेकजैनेबा । ओहिम नेपाल सरकारसे ट्वाकल रंगक प्रयोग हुइनेबा ।

अनुसूची-४

(धारा ५६ क उपधारा (३) से सम्बन्धित)

प्रदेश ओ सम्बन्धित प्रदेशम रहना जिल्ला

प्रदेश नं. १	प्रदेश नं. २
१. ताप्लेजुङ २. पाँचथर ३. इलाम ४. संखुवासभा ५. तेह्रथुम ६. धनकुटा ७. भोजपुर ८. खोटाङ	१. सप्तरी २. सिराहा ३. धनुषा ४. महोत्तरी ५. सर्लाही ६. रौतहट ७. बारा ८. पर्सा
९. सोलुखुम्बु १०. ओखलढुंगा ११. उदयपुर १२. झापा १३. मोरङ १४. सुनसरी	

प्रदेश नं. ३	प्रदेश नं. ४
१. दोलखा	१. गोरखा
२. रामेछाप	२. लमजुङ
३. सिन्धुली	३. तनहुँ
४. काभ्रेपलाञ्चोक	४. कास्की
५. सिन्धुपाल्चोक	५. मनाङ
६. रसुवा	६. मुस्ताङ
७. नुवाकोट	७. पर्वत
८. धादिङ	८. स्याङजा
९. चितवन	९. म्यार्दी
१०. मकवानपुर	१०. बाग्लुङ
११. भक्तपुर	११. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व
१२. ललितपुर	
१३. काठमाडौं	

प्रदेश नं. ५	प्रदेश नं. ६
१. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पच्छिउँ)	१. रुकुम (पश्चिम भाग)
२. रूपन्देही	२. सल्यान
३. कपिलवस्तु	३. डोल्पा
४. पाल्पा	४. जुम्ला
५. अर्घाखाँची	५. मुगु
६. गुल्मी	६. हुम्ला
७. रुकुम (पूर्वी भाग)	७. कालिकोट
८. रोल्पा	८. जाजरकोट
९. प्यूठान	९. दैलेख
१०. दाङ	१०. सुर्खेत
११. बाँके	
१२. बर्दिया	
प्रदेश नं. ७	
१. बाजुरा	
२. बझाङ	
३. डोटी	
४. अछाम	
५. दार्चुला	
६. बैतडी	
७. डडेल्धुरा	
८. कञ्चनपुर	
९. कैलाली	

अनुसूची-५

(धारा ५७ क उपधारा (१) ओ धारा १०९ से सम्बन्धित)

संघक अधिकारक सूची

क्र.सं.	विषयहरू	
१	रक्षा ओ सेना सम्बन्धी	
	(क)	राष्ट्रिय एकता ओ भौगोलिक अखण्डताक संरक्षण
	(ख)	राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी
२	युद्ध ओ प्रतिरक्षा	
३	हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी	
४	केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा	
५	केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा ओ बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग ओ रिन	
६	परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ओ संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी	
७	अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता ओ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लङ्घा,	
८	दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीक बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन ओ हुलाक	

९	भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना
१०	संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा ओ और सरकारी सेवा
११	जलस्रोतक संरक्षण ओ बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति ओ मापदण्ड
१२	अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन
१३	केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानक ओ गुणस्तर)
१४	केन्द्रीय स्तरक बरा विद्युत, सिंचाइ ओ और आयोजना तथा परियोजना
१५	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड ओ नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
१६	स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर ओ अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण
१७	संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना
१८	अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१९	हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०	राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गक व्यवस्थापन

२१	सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून
२२	नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
२३	आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल ओ अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२४	बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क ओ प्रतिलिपि अधिकार समेत)
२५	नाप-तौल
२६	खानी उत्खनन
२७	वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा
२८	बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन
२९	भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन
३०	फौजदारी, देवानी कानूनक निर्माण
३१	सुरक्षित छापाखाना
३२	सामाजिक सुरक्षा ओ गरीबी निवारण
३३	संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महत्वक आयोग
३४	पुरातात्विक महत्वक स्थान ओ प्राचीन स्मारक
३५	संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहक अधिकारक सूचीम वा साझा सूचीम उल्लेख निहुइलक कौनो विषय तथा यी संविधान ओ संघीय कानूनम नितोकगैलक विषय

अनुसूची-६

(धारा ५७ क उपधारा (२), धारा १६२ क उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ क उपधारा (३), धारा २३२ क उपधारा (७), धारा २७४ क उपधारा (४) ओ धारा २९६ क उपधारा (४) से सम्बन्धित)

प्रदेशक अधिकारक सूची

क्र.सं.	विषयहरू
१	प्रदेश प्रहरी प्रशासन ओ शान्ति सुरक्षा
२	नेपाल राष्ट्र बैंकक नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहुँकन्हँक सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रक सहमतिम वैदेशिक अनुदान ओ सहयोग
३	रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन
४	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयम कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
५	प्रदेश निजामती सेवा ओ और सरकारी सेवा
६	प्रदेश तथ्यांक
७	प्रदेश स्तरक विद्युत, सिचाइ ओ खानेपानी सेवा, परिवहन
८	प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
९	स्वास्थ्य सेवा
१०	प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी
११	प्रदेशभिट्टरक व्यापार
१२	प्रदेश लोकमार्ग
१३	प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

१४	प्रदेश सरकारी कार्यालयहुँकन्हँक भौतिक व्यवस्थापन ओ और आवश्यक विषय
१५	प्रदेश लोक सेवा आयोग
१६	भूमि व्यवस्थापन, जग्गक अभिलेख
१७	खानी अन्वेषण ओ व्यवस्थापन
१८	भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला ओ धर्मक संरक्षण ओ प्रयोग
१९	प्रदेशभिट्टक राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०	कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात,
२१	गुठी व्यवस्थापन

अनुसूची-७

(धारा ५७ क उपधारा (३), धारा १०९, धारा १६२ क उपधारा (४), धारा १९७ से सम्बन्धित)

संघ ओ प्रदेशक साझा अधिकारक सूची

क्र.सं.	विषयहरू
१	फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि ओ प्रमाण ओ शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य ओ अभिलेख ओ न्यायिक प्रक्रिया)
२	आवश्यक वस्तु तथा सेवाक आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर ओ अनुगमन
३	देशक सुरक्षासे सम्बन्धित विषयम निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन ओ शान्ति सुरक्षाक व्यवस्था
४	एक प्रदेशसे और प्रदेशम अभियुक्त, थुनुवा ओ कैदीक स्थानान्तरण
५	पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुवर, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार ओ संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून
६	सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण ओ अधिकारक सृजना
७	करार, सहकारी, साझेदारी ओ एजेन्सी सम्बन्धी
८	टाट पल्टलक ओ दामासाही सम्बन्धी
९	औषधि ओ विषादि
१०	योजना, परिवार नियोजन ओ जनसंख्या व्यवस्थापन
११	सामाजिक सुरक्षा ओ रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादक समाधान, श्रमिकक हक, अधिकार ओ विवाद सम्बन्धी कार्य
१२	कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिड, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, बैडावा ओ और पेशा

१३	प्रदेश सीमा लङ्या, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता
१४	सञ्चार माध्यम सम्बन्धी
१५	उद्योग तथा खनिज ओ भौतिक पूर्वाधार
१६	क्यासिनो, चिठ्ठा
१७	प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत ओ पुनर्लाभ
१८	पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ
१९	चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद
२०	बीमा व्यवसाय सञ्चालन ओ व्यवस्थापन
२१	गरीबी निवारण ओ औद्योगीकरण
२२	वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि ओ मानव संसाधन विकास
२३	अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलल् जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग
२४	भूमि नीति ओ उ सम्बन्धी कानून
२५	रोजगारी ओ बेरोजगार सहायता

अनुसूची-८

(धारा ५७ क उपधारा (४), धारा २१४ क उपधारा (२), धारा २२१ क उपधारा (२) ओ धारा २२६ क उपधारा (१) से सम्बन्धित)

स्थानीय तहक अधिकारक सूची

क्र.सं.	विषयहरू
१	नगर प्रहरी
२	सहकारी संस्था
३	एफ. एम सञ्चालन
४	स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
५	स्थानीय सेवाक व्यवस्थापन
६	स्थानीय तथ्यांक ओ अभिलेख संकलन
७	स्थानीय स्तरक विकास आयोजना तथा परियोजना
८	आधारभूत ओ माध्यमिक शिक्षा
९	आधारभूत स्वास्थ्य ओ सरसफाइ
१०	स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण ओ जैविक विविधता
११	स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२	गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप ओ मध्यस्थताक व्यवस्थापन

१३	स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४	घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५	कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६	ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता हुइलक व्यक्ति अशक्तहुँकन्हँक व्यवस्थापन
१७	बेरोजगारक तथ्यांक संकलन
१८	कृषि प्रसारक व्यवस्थापन, संचालन ओ नियन्त्रण
१९	खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०	विपद व्यवस्थापन
२१	जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थक संरक्षण
२२	भाषा, संस्कृति ओ ललितकलाक संरक्षण ओ विकास

अनुसूची-९

(धारा ५७ क उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ क उपधारा (४), धारा १९७, धारा २१४ क उपधारा (२), धारा २२१ क उपधारा (२) ओ धारा २२६ क उपधारा (१) से सम्बन्धित)

संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहक अधिकारक साझा सूची

क्र.सं.	विषयहरू
१	सहकारी
२	शिक्षा, खेलकूद ओ पत्रपत्रिका
३	स्वास्थ्य
४	कृषि
५	विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जसीन सेवा
६	सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतसे प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७	वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८	खानी तथा खनिज
९	विपद व्यवस्थापन
१०	सामाजिक सुरक्षा ओ गरीबी निवारण
११	व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह ओ तथ्यांक
१२	पुरातत्व, प्राचीन स्मारक ओ संग्रहालय
१३	सुकुम्बासी व्यवस्थापन
१४	प्राकृतिक स्रोतसे प्राप्त रोयल्टी
१५	सवारी साधन अनुमति

प्रकाशकिय

नेपालम हुइलक १० बर्षे सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, आदिबासी जनजाति ओ मधेश आन्दोलनक बलसे हम्र लौव संबिधान पैल बाटी। एकात्मक ओ केन्द्रिकृत राज्य सत्ता रहल हमार देश नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यम च्वाला फेर्ल बा। संबिधान घोषणा हुइलक पाछ फे संबिधानम मेह्मेह्रीक समुहक असन्तुष्टी डेखपरल बा। संबिधान गतिशील दस्ताबेज हुइलकओर्से देश, काल, परिस्थिति अनुसार आपन माङग ढर्ना सक्कु नेपाली नागरिकन छुट बा। तर देशम शान्ति अमन चयन राखक्लाग, नेपाली नेपालीनक बिचम भाइ चारा बह्राइकलाग ओ सम्बृद्ध नेपाल बनाइकलाग संबिधानह कार्यान्वयन कर्ना जरुरी बा। ज्याकरलाग नेपालम रहल चौठा बरा समुदाय थारु भाषीनह संबिधान बुझाइकलाग ओ संबिधानम अपनत्व जगाइकलाग प्राचिन सृजनशिल आदिबासी समाज बर्दिया नेपालक संबिधानहन थारु भाषाम प्रकाशन कर्ल बा। पोष्टा प्रकाशन करवेर भाषा अनुवाद करुइया एकराज चौधरी ओ भाषा सम्पादनम सहयोग करुइया शुशिल चौधरी ओ कृष्णराज सर्वहारी हन ढिउर ढिउर धन्यवाद।

फग्गुव थारु
अध्यक्ष
प्राचिन सृजनशिल आदिबासी समाज बर्दिया

प्रकाशक : प्राचिन सृजनशिल आदिबासी समाज,
बाँसगढी नगरपालिका ५ बर्दिया,
फोन ०८४-४००००३
प्रकाशन मिति : २०७४ भडौ
प्रकाशन प्रति : २००० प्रति
थारु भाषाम अनुवाद : एकराज चौधरी

यी पोस्टा निशुल्क बितरणक लाग हो

नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

(..शाखा)

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

प.सं. : ०७३/०७४
च.नं. : ८८४

मिति: २०७३।०९।२१

विषय: नेपालको संविधानलाई थारु भाषामा प्रकाशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री प्राचिन सृजनशील आदिवासी समाज,
बाँसगढी न.पा. ८, बर्दिया ।

उपरोक्त सम्बन्धमा प्राचिन सृजनशील आदिवासी समाजको मिति २०७३/०८/२३ को पत्रबाट माग भए अनुसार तपशिलको शर्तहरुको पालना गर्ने गरी पश्चिमा थारु भाषामा नेपालको संविधान अनुवाद गरी प्रकाशन गर्न अनुमति दिईएको व्यहोरा नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तर)को मिति २०७३/०९/०१ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।

तपशिल

क) नेपालको संविधानका मूलभुत विशेषताहरु (जस्तै :- नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु) समेटिएको टिप्पणी समेत संलग्न गर्नुपर्ने ।

ख) संवैधानिक, कानूनी प्रश्नको निरोपण वा व्याख्या समेतको सन्दर्भमा कानून किताव व्यवस्था समितिले नेपाली भाषामा प्रकाशन गरेको संविधान मात्र मान्य हुने भन्ने व्यहोरा अनुवादित प्रतिमा छाप्नुपर्ने ।

ग) थारु भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गरिएको संविधान प्राज्ञिक प्रयोजन एवं नेपालका थारु जातीलाई सूसूचित / सचेतना दिलाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।

घ) थारु भाषामा प्रकाशन गरिएको नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रति निःशुल्क वितरण गुर्नपर्ने एवं सो सम्वन्धी जानकारी प्रकाशित हुने प्रतिको कभर पेजमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।

ङ) थारु भाषामा अनुवादित प्रतिमा कुनै भाषागत त्रुटी एवं द्विविधा भएमा यस मन्त्रालय जवाफदेही नहुने।

च) थारु भाषामा अनुवादित नेपालको संविधानको प्रकाशन तथा वितरणका लागि यस मन्त्रालयले कुनै आर्थिक भार नव्यहोर्ने ।

२०७३/९/२४

(रिन्जा डंगोल)
उपसचिव

फोन: ४-२११९८७, ४-२११७८६, ४-२११६३०, ४-२११७४१, ४-२११६३४, ४-२११७०२, ४-२११६३६, ४-२११८७२, ४-२११७२७
फ्याक्स नं.: ४-२११६८४

नेपालक संविधान

डोसरा संसोधन ओ
संबिधानक बिशेषता सहित